lfo/kku dh ipk;rh jkt lLFkkvk l vi{kk

संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था को सरकार की शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई है। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 भारत के गजट में प्रकाशन पश्चात्, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसके फलस्वरूप संविधान में भाग– IX के रूप में पंचायत संबंधी अध्याय जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 243 (डी) में पंचायत को परिभाषित करते हुए– उसे ग्रामीण अंचल की स्व–शासन की संस्था के रूप में माना गया है। (चाहे देश के विभिन्न प्रांतो में उन्हें किसी भी नाम से संबोधित किया जावे।)

इसी संशोधन की अनुच्छेद 243 (जी) में पंचायतों की शक्तियॉ, अधिकार एवं दायित्वों को रेखांकित किया गया है। संविधान की अनुच्छेदों के अनुसरण में, राज्य की विधायिका द्वारा कानूनन, पंचायतों को ऐसी शक्तियॉ एवं अधिकार सुपुर्द किये जा सकेंगे, जो कि उन्हें स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनावें। साथ ही ऐसे प्रावधान कानून में किये जा सकेंगे जो कि पंचायती राज संस्थाओं के समुचित स्तरों पर, शक्तियों एवं दायित्वों के हस्तान्तरण के फलस्वरूप, पंचायतों को निम्न दायित्वों के प्रभावी निष्पादन हेतु अधिकार सम्पन्न बनावें :

(अ) आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की आयोजना तैयार करने में, एवं

(ब) आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में, जो कि उन्हें सौंपी गई हों व जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषय भी सम्मिलित किये जा सकेंगे।

> *"आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर एक गॉव में पंचायत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गॉव को अपने पॉव पर खड़ा होना होगा।"*
>
> **– महात्मा गांधी**

X;kjgoh vu|l|ph

(1) कृषि, कृषि विस्तार सम्मिलित करते हुये
(2) भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण
(3) लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल फैलाव विकास
(4) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कट पालन
(5) मत्स्यपालन
(6) सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी
(7) लघु वनोपज
(8) खादय प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित करते हुये लघु उद्योग
(9) खादी, ग्राम तथा कुटीर उद्योग
(10) ग्रामीण आवास
(11) पेयजल
(12) ईधन तथा चारा
(13) सड़क, पुलिया, पुल, पारघाट (फैरिज) जल मार्ग तथा आवागमन के अन्य साधन
(14) विद्युत का वितरण सम्मिलित करते हुये ग्रामीण विद्युतीकरण
(15) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत
(16) गरीबी–उन्मूलन योजना
(17) प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुये शिक्षा
(18) तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा
(19) प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा
(20) पुस्तकालय
(21) सांस्कृतिक क्रियाकलाप
(22) बाजार तथा मेले
(23) अस्पताल, प्राथ. चिकि. केन्द्र तथा औषधालयों को सम्मिलित करते हुये स्वास्थ्य तथा स्वच्छता
(24) परिवार कल्याण
(25) महिला एवं बाल विकास
(26) विकलांग और मानसिक रुप से बाधितों को सम्मिलित करते हुये समाज कल्याण
(27) कमजोर वर्गो का कल्याण विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का
(28) लोक वितरण पद्धति
(29) सामुदायिक आस्तियों का संधारण

73 ok l fo/kku l ’kk/ku & fo’k"krk,

L0kr=rk d ckn Hkkjr dk ,d l i.k iHkRo&l iUu lektoknh /kefujis{k ykdr=kRed x.kjkT; cuku d fy;] rFkk leLr ukxfjdk dk lkekftd] vkfFkd vkj jktufrd U;k;] fopkj] vfHk0;fDr] fo’okl] /ke vkj mikluk dh Lor=rk] ifr"Bk vkj volj dh lerk ikIr djku d fy;] rFkk mu lc e 0;fDr dh xfjek vkj jk"V dh ,drk vkj v[kMrk lfuf’pr dju okyh c/kqrk c<ku d fy; n<ldYi gkdj lfo/kku dk viuk;k x;kA साथ ही राज्यों के लिये नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन कर उन्हें स्वायत्त शासन प्रदान की इकाई के रूप में कार्य कर सकने योग्य बनने के लिए आवश्यक शक्तियॉ और प्राधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया। फलस्वरूप देश में पंचायतों का गठन कर, शक्तियॉ एवं अधिकार दिए गए परंतु अलग अलग राज्यों मे अलग–अलग ढंग से किया गया। कालांतर में राज्यों का रूख पंचायतों के प्रति उदासीन रहा इससे राज्यों में पंचायतें स्वशासन के इकाई के रूप में अक्षम रही। इसलिये पंचायतों को अधिकार संपन्न बना कर स्वशासन के इकाई के रूप में स्थापित करने के लिये 73 वॉ संविधान संशोधन लाया गया और इसे 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। इस संशोधन से संविधान के भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किये गये है जिसमें 15 उप–अनुच्छेद है। इस संशोधन के पश्चात पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। इस 73 वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 243 (क) से अनुच्छेद 243 (ण) के रूप में विस्तार किया गया। इसके अंतर्गत पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए है :–

- *243&¼d½- xke lHkk &* ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन कर उन्हें कार्य सौप कर शक्ति संपन्न बनाने के लिये राज्य के विधान मण्डल को निर्देशित किया गया।
- *243&¼[k½- ipk;rk dk xBu &* (1) प्रत्येक राज्य मे ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा।
- *243&¼x-½ ipk;rk dh ljpuk &* (1) राज्य का विधान–मण्डल, विधि, द्वारा, पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकेगा।

  परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्रों की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य, एक ही होगा।

(2) ग्राम स्तर और जनपद स्तर पर पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएगे और इस प्रयोजन

के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि, प्रत्येक निर्वाचन–क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आबंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में, यथासाध्य एक ही हो।

(3) जिला स्तर पर पंचायतों के स्थान ऐसी रीति से निर्वाचन द्वारा भरे जाएगे जो राज्य विधान–मण्डल, विधि द्वारा उपबन्धित करें।

(4) राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा–

(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के सरपंचों का जनपद पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहॉ जनपद पंचायते नहीं है, जिला पंचायतों में,

(ख) जनपद पंचायतों के अध्यक्षों का जिला पंचायतों में,

(ग) लोक सभा के सदस्यों और राज्य स्तर की विधान सभा के सदस्यों के जो ऐसी निर्वाचन–क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है। जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है ऐसी पंचायत में;

(घ) राज्य सभा के सदस्यों और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के जहॉ वे

(i) जनपद पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रावधान कर सकेगा।

(ii) जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्रों के भीतर निर्वाचिकों के रूप में पंजीकृत है, जिला पंचायत में

(5) किसी पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को पंचायतों के अधिवेशनों मे मत देने का अधिकार होगा जो पंचायत क्षेत्रें के प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्र से, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या अन्यथा चुने गए है।

(6) (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के विधान–मण्डल द्वारा, विधि उपबंधित की जाए, किया जाएगा और

(ख) जनपद स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत या अध्यक्ष; उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में चुना जाएगा।

243- ¼?k½ LFkkuk dk vkj{k.k &

(1) प्रत्येक पंचायत में –

(क) अनुसूचित जातियों और

(ख) अनुसूचित जनजातियों, के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन–क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(2) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन–क्षेत्रों के चक्रानुक्रम में आबंटित किए जा सकेंगे।

(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेगा जैसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा उपबंधित करें :

परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्युन पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(5) खण्ड (1) और (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खण्ड (4) के अधीन अध्यक्षों के पद के लिए आरक्षण (जो महिलाओं के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान–मण्डल को किसी स्तर पर किसी पंचायत के पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

234&¼M½- i¡pk;rk dk dk;ldky vkfn &

(1) प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय में प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पॉच वर्ष की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई संशोधन किसी स्तर ऐसी पंचायत का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है तब तक विघटन नहीं करेगा, जब तक खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल का अवसान नहीं हो जाता।

(3) किसी पचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन –

(क) खण्ड (1) में निविर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छः मास की अवधि के अवसान के पूर्व; पूरा किया जाएगा, परन्तु जहॉ वह शेष अवधि के लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती है, छह मास से कम है, वहॉ ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खण्ड के अधिन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) पंचायत के कार्यकाल के अवसान से पूर्व किसी पंचायत के विघटन पर गठित की गई पंचायत उस अवधि क केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिस अवधि तक विघटित पंचायत खण्ड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

234&¼p½ lnL;rk d fy, fujgZrk,¡ &

(1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य बनने के लिए निरर्हित होगा –

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान–मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है : परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस (25) वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस (21) वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि वह राज्य के विधान–मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खण्ड (1) से वर्णित किन्ही निरर्हताओं से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसी प्राधिकारी को, और एसी रीति से जैसा राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

234&¼N½ iapk;rk dh 'kfDr;k] izkf/kdkj vkSj mRrjnkf;Ro &

इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधान–मण्डल विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियॉ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियॉ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे –

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाऍ तैयार करना;

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को, जो उन्हें सौपी जाए, जिसके अंतर्गत वे स्कीमें भी है जो ग्यारहवी अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, क्रियान्वित करना।

243&¼t½ iapk;rk d }kjk dj vf/kjkfir djus dh 'kfDr] vkSj iapk;rk dh fuf/k;k&

राज्य का विधान–मण्डल विधि द्वारा –

(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्ग्रहीत, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तो तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को समानुदेशित, कर सकेगा।

(ग) पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा और

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों के जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिए भी उपबंध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए या की जाए।

243&¼>½ foRrh; fLFkfr d iufolykdu d fy, foRr vk;kx dk xBu &

(1) राज्य के राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवॉ संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक पॉचवें वर्ष के अवसान पर पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त अयोग का गठन करेगा, जो

(क) (I) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस के शुद्ध आगमों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण करने,

(II) पंचायतों द्वारा लगाये एवं वसूल किये गये कर, शुल्क, पथकर और फीस का विनियोजन करने ;

(III) राज्य के संचित निधि में से पंचायतों को सहायता अनुदान देने;

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय;

(ग) कोई अन्य विषय, जो पंचायतों के वित्तपोषण के हित में हो, के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। राज्यपाल आयोग के सिफारिशों को पूर्ण विवरण के साथ ज्ञापन, राज्य के विधान–मण्डल के समक्ष रखवाएंगे।

243&¼t½ ipk;rk d y[kkvk dh lijh{kk&

राज्य का विधान–मण्डल, पंचायतों द्वारा लेखा बनाए रखने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा कराने संबंधी नियम बना सकेंगे।

243&¼V½ ipk;rk d fy, fuokpu &

(1) पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिये एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जायेगा जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा।

243&¼.k½ fuokpu lc/kh ekeyk e U;k;ky;k d gLr{ki dk otu &

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी –

(क) अनुच्छेद 243 (ट) के अधीन बनाई गई विधि जो निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसिमन या ऐसे निर्वाचन–क्षेत्रों के स्थानों के आबंटन से संबंधित है, विधि मान्यता को किसी न्यायालय में प्रश्नगत् नहीं की जाएगी;

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई भी निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जायेगा जो ऐसे अधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध है, अन्यथा नहीं।

2- ¼d½ vuPNn 280 dk l'kk/ku &

संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्– (ख) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के साधनों की पूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किया जाएगा ।

––0––

> *समाज परिवर्तन का सारा कार्य हमें प्रेम–भावना के माध्यम से, विचार परिवर्तन एवं हृदय परिवर्तन द्वारा ही करना है। उसी से स्थायी परिवर्तन हो सकता है। हमारे गॉव की विकास योजनाओं का मूल आधार भी यही होना चाहिए।*
>
> **–'ग्रामस्वराज की ओर'**
> **पुस्तक से**

Rkkfydk 1% 11oh vuqlwph ds fo"k;ksa dk {ks=&okj forj.k

{ks=

- **lkekftd**
  - **f'k{kk**
    - – प्राथमिक शिक्षा
    - – माध्यमिक शिक्षा
    - – तकनीकी शिक्षा
    - – व्यावसायिक शिक्षा
    - – प्रौढ़ शिक्षा
    - – गैर–औपचारिक शिक्षा
    - – पुस्तकालय
    - – सांस्कृतिक कार्यकलाप
  - **LokLF;**
    - – निवारक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल
    - – परिवार कल्याण साफ–सफाई
    - – पीने का पानी
  - **lkekftd dY;k.k**
    - समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अक्षम व्यक्तियों, महिला और बाल विकास एवं कल्याण संबंधी मुद्दे
- **vkfFkd**
- **cfu;knh <kpk**
- **fu/kurk mUewyu**
  - – भू–सुधार
  - – निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम
  - – जन वितरण पद्धति

> जब देश स्वतंत्र हो जाता है, तब शक्ति का अधिष्ठान बदल जाता है। तब शक्ति राजनीति में नहीं, समाज सेवा में रहती है। क्योंकि समाज का ढॉचा बदलना होता है। आर्थिक विषमता मिटानी होती है। ये सारे काम सामाजिक क्षेत्र मे करने पड़ते हैं।
>
> **–विनोबा**

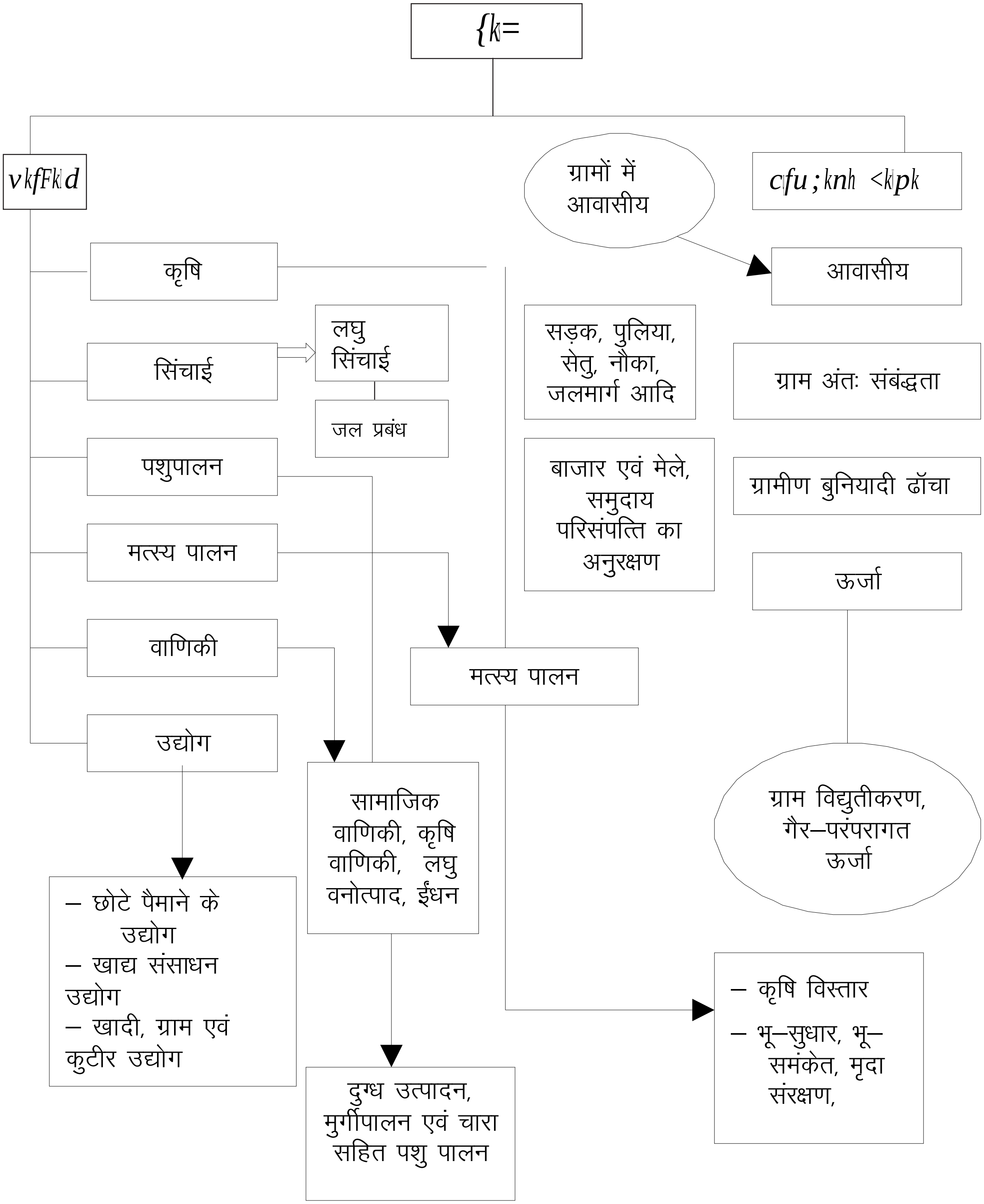
{k=
vkfFkd
ग्रामों में आवासीय
cfu;knh <kpk
कृषि
आवासीय
लघु सिंचाई
सिंचाई
सड़क, पुलिया, सेतु, नौका, जलमार्ग आदि
ग्राम अंतः संबंद्धता
जल प्रबंध
पशुपालन
बाजार एवं मेले, समुदाय परिसंपत्ति का अनुरक्षण
ग्रामीण बुनियादी ढॉचा
मत्स्य पालन
ऊर्जा
वाणिकी
मत्स्य पालन
उद्योग
सामाजिक वाणिकी, कृषि वाणिकी, लघु वनोत्पाद, ईंधन
ग्राम विद्युतीकरण, गैर–परंपरागत ऊर्जा
– छोटे पैमाने के उद्योग
– खाद्य संसाधन उद्योग
– खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग
– कृषि विस्तार
– भू–सुधार, भू–समंकेत, मृदा संरक्षण,
दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन एवं चारा सहित पशु पालन

NRrhlx< ipk;r&jkt vf/kfu;e

अविभाजित मध्यप्रदेश, देश का प्रथम राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन में किये गए लगभग समस्त प्रावधानों का यथावत लागू किया तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 बनाया। यह अधिनियम 30.12.1993 को विधानसभा में पारित हुआ। 24 जनवरी, 1994 को महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त हुआ एवं 25 जनवरी, 994 को राजपत्र में प्रकाशित होकर प्रदेश अधिनियम को अक्टूबर, 2000 तक के संशोधनों के साथ छत्तीसगढ़ में राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 134 दिनांक 18.06.2001 द्वारा यथावत अनुकूलन किया गया। नवम्बर 2000 बाद मध्यप्रदेश के पंचायत राज अधिनियम में जो भी संशोधन हुये हैं वे अब छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होंगे। अब छत्तीसगढ़ राज्य में जो भी संशोधन होंगे वही लागू होंगे।

1- *ipk;r jkt vf/kfu;e dk e[; mnn';&* स्थानीय स्वशासन एवं विकास संबंधी कार्यो को करने में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी प्रभावपूर्ण बनाए जाने के उद्देश्य से पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) लाया गया। इसमें पंचायतों की स्थापना से संबंधित विधियों को संकलित किया गया है।

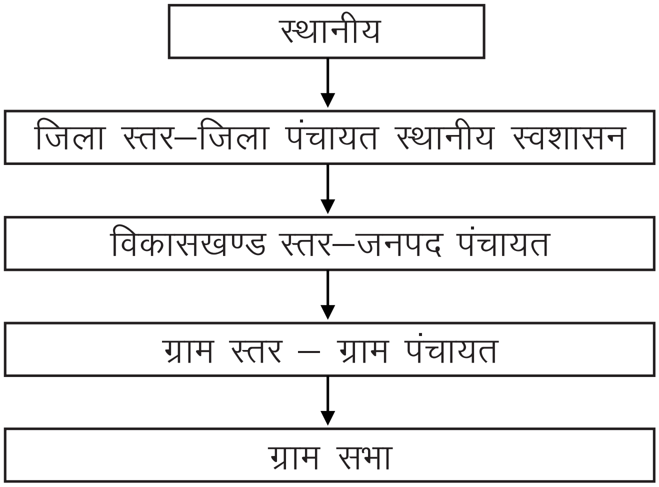

2- *jkT; ljdkj dh fo/kkf;uh 'kfDr;k%&* छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 43 तथा 95 में राज्य सरकार को विधायिनी शक्तियॉ प्रत्यायोजित की गयी, जिसके द्वारा राज्य सरकार विभिन्न पंचायतों के गठन, उसके कार्य संचालन की विधि, शक्तियों के उपयोग, सम्पत्ति, स्थापना, आय–व्यय, लेखे–जोखे, कराधान, निरीक्षण आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगी।

3- *xke dh ?kk"k.kk %&*

1. महामहिम राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी कर ग्राम या ग्राम समूह को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्राम के रूप में घोषित किया जायेगा।
2. प्रत्येक खण्ड के ग्रामों को वार्डों में बांटा जायेगा तथा प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या, लगभग बराबर रखी जायेगी।
3. प्रत्येक ग्राम के लिये ग्राम सभा होगी। इस ग्राम सभा का सदस्य हर वह व्यक्ति होगा, जिसका नाम इस ग्राम की मतदाता सूची में है।
4. ग्राम पंचायतों के कार्यों की समीक्षा/सामाजिक मूल्यांकन, सलाह देने, आय व्यय को जानने जैसे अधिकार ग्राम सभा को देकर उन्हें सशक्त बनाया गया।
5. ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से एक पंच होगा। पंच एक से अधिक वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरपंच तथा एक उपसरपंच होगा और जनपद तथा जिला पंचायत के स्तर पर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद होंगे।
6. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार हेतु समुदायगत् संसाधनों, रीति रिवाजों, सार्वजनिक एवं धार्मिक प्रथाओं एवं परंपरागत प्रबंध प्रथाओं के अनुरूप नियम बनाने का प्रावधान है।

4- *f=Lrjh; iapk;rk dh lajpuk&*

अधिनियम में तीन स्तरों पर पंचायतों का गठन किये जाने का प्रावधान है अर्थात ग्राम के लिये ग्राम पंचायत, खण्ड के लिये जनपद पंचायत और जिले के लिये जिला पंचायत का गठन किया जायेगा। (धारा– 8)

5- *pquko vk;kx dk xBu &*

पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जायेगा। (धारा–42)

6- *inks dk vkj{k.k %&*

1. खण्ड के भीतर ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या में जो अनुपात है उसी अनुपात में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए ग्राम पंचायत के सरपंचों के पद आरक्षित रखे जावेंगे। (धारा– 17 दो)
2. जहॉ खण्ड में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या आधे से कम है वहॉ खण्ड के भीतर ग्राम पंचायतों में सरपंच के कुल पदों के 25 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जायेंगे। (धारा–17 दो–2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या के अनुपात, उस ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस ग्राम पंचायत क्षेत्र भी कुल जनसंख्या के साथ है। ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस पंचायत में भिन्न–भिन्न वार्डों के लिए विहित रीति में चक्रानुक्रम में आबंटित किये जा सकेंगे।

(परंतु पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी।)

3. किसी ग्राम में जहॉ अनुसूचित जातियों, जनजातियों के स्थान 50 प्रतिशत या उससे कम आरक्षित किये गये है, वहॉ 25 प्रतिशत के स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जायेंगे, और उसे वार्ड विहित रीति में चक्रानुसार कलेक्टर द्वारा आबंटित किये जावेंगे।

4. खण्ड के भीतर सरपंचो के कुल स्थानों की संख्या से कम से कम 50 प्रतिशत् स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये है।

5. ग्राम पंचायत का सरपंच यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है तो उप सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों अथवा पिछड़े वर्गों के पंचों में से निर्वाचित किया जावेगा। (धारा–17 – छः)

6. प्रत्येक ग्राम पंचायत में उप सरपंच तथा जनपद तथा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष का पद होगा।

7. ग्राम पंचायत के पंच सरपंच, तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान के द्वारा होगा। जनपद तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किया जावेगा।

8. यदि सरपंच या उपसरपंच लोकसभा, विधानसभा या राज्य सभा का सदस्य अथवा सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति हो जाता है तो वह सरपंच अथवा उपसरपंच के पद पर नहीं रह सकेगा।

9. जनपद एवं जिला पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जनपद या जिला पंचायत में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में वही होगा जो उस जनपद या जिला पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और जाति की संख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है।

10. जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे या आधे से कम है वहॉ अन्य पिछड़े वर्ग के लिये 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

11. जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये उसी अनुपात में आरक्षित किया जायेगा जो कि कुल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या तथा कुल जनसंख्या के बीच है। इन जनपद अध्यक्ष के कुल पदों में से 50 प्रतिशत् पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

inkf/kdkjh ds fy, fu;kX;rk&

12. कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए एक से अधिक वार्डो या निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होने के लिये पात्र नहीं होगा।

13. कोई भी व्यक्ति निम्न स्थिति में पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन में खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा – धारा (36)

- *tks lk{kj ¼30 o"kZ ls de vk;q dh½ ugha gksus ij]*
- *ftlds fuokl ifjlj esa fuokZpu gksus ds ,d o"kZ ckn Hkh tyofgr 'kkSpky; ugha gksus ij]*
- *iapk;r ds fdlh inkdkj dh nsunkjh ¼cdk;k½ gks mlls ekax dh tkus ds ckn rhl fnu ds Hkhrj okil tek ugha djus ijA*
- *ftlus fdlh iapk;r vFkok 'kkldh; Hkwfe ;k Hkou ij vfrdze.k fd;k gksA*

7- iapk;rksa dk dk;Zdky %&

ग्राम पंचायत जनपद तथा जिला पंचायत के निर्वाचन का प्रकाशन होने के बाद प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के अंदर इनकी पहली बैठक आयोजित की जायेगी। वह बैठक विहित अधिकारी के द्वारा बुलाई जायेगी अर्थात क्रमशः सचिव, ग्राम पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा बुलाई जायेगी। (धारा–20, 27, 34)

प्रत्येक पंचायत अपने पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष तक कार्य करेगी इससे अधिक नहीं यदि इसे समय से पहले कानूनन विघटित कर दिया जाता है तो शेष अवधि के लिये छः माह के भीतर चुनाव कराया जाना आवश्यक होगा। (धारा–9 ख)

8- iapk;rksa ds dk;Z dk fu/kkZj.k %&

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत तथा जिला पंचायतों के द्वारा किये जाने वाले कार्यो को स्पष्ट रूप से विभाजित किया है। प्रत्येक पंचायत सौंपे गये कार्यों को करेगी। (धारा– 49, 50, 52)

9- iapk;r dh 'kfDr;k¡ %&

पंचायतों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ और सुरक्षा के मामलों में अतिरिक्त शक्तियॉ

प्रदान की गई है। इसके अलावा भवनों के निर्माण पर नियंत्रण एवं अनुमति, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को खत्म करने, मार्गो का नामकरण करने, भवनों पर क्रमांक डालने बाजारों तथा मेलों का नियमन करने की शक्तियॉ दी गयी है।(धारा 45 से 60 तक)

10- ipk;r e lfpo rFkk e[; dk;ikyu vf/kdkjh dh fu;fDr %&

पंचायत के तीनों स्तरों पर पंचायत के कार्यो में सहयोग एवं क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के समूह के लिये सचिव, जनपद व जिले के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नियुक्त किये जायेंगे। इन्हें वे कार्य करने होंगे जो नियम के अनुसार इन्हे सौंपे जायेंगे। (धारा– 69)

11- djk/kku ,o nkok dk olyh dju dh 'kfDr %&

पंचायत के स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों को बढ़ाने के उद्‌देश्य से पंचायत स्तर पर कर लगाने की शक्ति दी गयी है, जिसका उल्लेख अधिनियम की अनुसूची 1,2 और 3 में दिया गया है।

12- ipk;rk d dk;dykik dh fujh{k.k ,o tkp %&

पंचायतों की कार्यवाहियों को निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार अधिकारियों को अधिकृत कर सकेगा। इसी प्रकार राज्य शासन समय–समय पर पंचायतों की जॉच करा सकती है। (धारा– 88)

13- ipk;r d fdlh /ku ;k mldh lEifRr dh gkfu] n0;;] n: i;kx %&

पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक पंचायत के किसी धन या उसकी सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय, दुरूपयोग उनके कारण हुई है, के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

14- vfo'okl iLrko %&

किसी सरपंच तथा उपसरपंच, जनपद तथा जिले के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम तीन चौथाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर अपने पद पर नहीं रह जावेगा। इसमें शर्त यह है कि यह तीन चौथाई बहुमत तत्‌समय पंचायत का गठन करने वाले पंचों/सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पंचायत गठन के एक वर्ष तक तथा अवधि समाप्त होने के अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकेगा।

15- inkf/kdkfj;k dk dk;Hkkj xg.k %&

निर्वाचित सरपंच अथवा अध्यक्ष प्रथम बैठक की तारीख से अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया माना जायेगा। बर्हिगामी, सरपंच, जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा

अपना कार्य भार निर्वाचित सरपंच अथवा अध्यक्ष पद ग्रहण करने की तिथि पर तत्काल सौंप देगा। (धारा–18)

16- ipk;r in/kkfj;k dk ,d ls vf/kd in /kkj.k djus ij jksd %&

निर्वाचन से 15 दिन की अवधि में कोई व्यक्ति जो एक से अधिक पद पर निर्वाचित हो जाता है, एक पद पर बने रहने का अपना विकल्प देगा। यदि वह ऐसा विकल्प निर्धारित अवधि में नहीं देता है, अथवा यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत, जनपद या जिला पंचायत में से एक से अधिक पद पदों को उसे छोड़ना पड़ेगा। (धारा – 41)

1. जिला पंचायत का सदस्य ।
2. जनपद पंचायत का सदस्य।
3. ग्राम पंचायत का सरपंच।
4. ग्राम पंचायत के पंच।

vuqlwfpr {ks=ksa esa iapk;rksa ds fy;s fof'k"V micU/k

129-&d ifjHkk"kk,a %&

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये तथा इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''ग्राम सभा'' से अभिप्रेत है ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में, जिसके लिये उसका गठन किया गया है, पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित है।

(ख) ''ग्राम'' से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गॉव या छोटे गॉवों का समूह ऐसा होगा, जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परम्पराओं और रुढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।

129&[k xzke rFkk xzke lHkk dk xBu &

(1) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा इस आशय के प्रयोजनों के लिए किसी ''ग्राम'' को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

(2) साधारणतया, ग्राम के लिये जैसा कि उपधारा (1) में परिभाषित है, एक ग्राम सभा होगी : परन्तु ग्राम सभा के सदस्य, यदि ऐसा चाहे तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम

सभा के क्षेत्र में आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगा।

(3) ''ग्रामसभा'' के सम्मिलन के लिये ''ग्रामसभा'' के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई से गणपूर्ति होगी जिसमें से कम से कम एक–तिहाई महिला सदस्य होंगी।

(4) ''ग्रामसभा'' के सम्मिलन की अध्यक्षता, ग्रामसभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का सरपंच या उपसरपंच या कोई सदस्य न हो और जो उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किया गया हो।

129&x- xke lHkk dh 'kfDr;k vkj dR; %&

किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम सभा की धारा 7 के अधीन प्राप्त शक्तियॉ तथा कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियॉ तथा कृत्य भी होगे, अर्थात –

(एक) व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रुढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रुढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना :

(दो) ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्त्रोतों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल तथा वन आते है, उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुये प्रबंन्ध करनाः

(तीन) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएँ, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध करना':

(चार) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप–योजनाएँ सम्मिलित है, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना' और

(पांच) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करें।

129&?k- xke ipk;r d dR; %&

इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देश के अधीन निम्नलिखित शक्तियॉ भी होगी।

अर्थात :–

(एक) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएँ, प्रबंध करना'

(दो) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप–योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना, और

(तीन) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे।

129 M% LFkkuk dk vkj{k.k &

(1) अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचति जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी–अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा–

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा–

परन्तु यह और भी कि अधिसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायत के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(परन्तु यह भी कि उन अनुसूचित क्षेत्रों में की ग्राम पंचायतों को, जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नही हैं, अनुसूचित जनजातियों के पंचों या सरपंचों के लिए आरक्षित यथास्थिति स्थानों या पदों के आवंटन से विहित रीति में अपवर्जित कर दिया जाएगा।)

(2) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है :

परन्तु ऐसा नामनिर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में, अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिए ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किए जाएंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हों, के लिए आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों के तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।

> *ग्राम सभा की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा सम्पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी अहम् जरूरतों के लिए पड़ौसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, फिर भी बहुतेरी दूसरी जरूरतों के लिये–जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा–वह परस्पर सहयोग से काम लेगा।*
>
> **–महात्मा गॉधी**

f=&Lrjh; iapk;r dh lajpuk

iapk;rksa dk xBu %& इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए–

(क) ग्राम के लिए ग्राम पंचायत

(ख) खण्ड के लिए जनपद पंचायत : और

(ग) जिला के लिए जिला पंचायत :

का गठन किया जायेगा।

iapk;r dh vof/k %& (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने सम्मेलन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक के लिये बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन समय से पहले विघटित नहीं कर दी जाए।

(2) किसी पंचायत का गठन करने के लिये निर्वाचन–

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व,

(ख) उसके विघटन की तारीख में छः मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा कर लिया जाएगा :

परंतु जहां ऐसी शेष कालावधि, जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छः मास से कम है, वहां ऐसी कालावधि के लिए उस पंचायत का गठन करने हेतु इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(3) किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस कालावधि के केवल उतने शेष भाग के लिये बनी रहेगी, जिसके लिए विघटित पंचायत, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती तो वह उपधारा (1) के अधीन बनी रहती।

ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना :– (1) प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिये जो धारा 3 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है एक ग्राम पंचायत होगी।

(2) राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा किसी जिले को खण्डों में विभाजित कर सकेगा। अधिसूचना में प्रत्येक ऐसे खण्ड का नाम, उसका मुख्यालय और समाविष्ट क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। प्रत्येक खण्ड के लिए एक जनपद पंचायत होगी जो उस खण्ड के नाम से जानी जाएगी।

(3) प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होगी :

परन्तु तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन गठित प्रत्येक नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र के लिए एक पृथक् प्रशासनिक इकाई बनेगी।

––0––

xke ipk;r d dR;

xke ipk;r d dR;%& ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह, जहां तक ग्राम पंचायत निधि में गुंजाइश हो, अपने क्षेत्र के भीतर, निम्नलिखित कृत्य करे :–

(1) स्वच्छता, सफाई और न्यूसेन्स का निवारण और उसका उपशमन :–

(2) सार्वजनिक कुओं और तालाबों का निर्माण,मरम्मत और अनुरक्षण तथा घरेलू उपयोग के लिये जल प्रदाय;

(3) नहाने तथा धोने और पालतू पशुओं को पीने के लिए जल प्रदाय हेतु जल के स्त्रोतों का सन्निर्माण और अनुरक्षण;

(4) ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों, बांधों तथा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य संकर्मों तथा भवनों का सन्निर्माण और अनुरक्षण;

(5) सार्वजनिक सड़कों, संडासों, नालियों, तालाबों, कुओं, तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का सन्निर्माण, अनुरक्षण ओर उनकी सफाई;

(6) उपयोग में न लाये जाने वाले कुओं, अस्वच्छ, खाइयों तथा गढ्ढों को भरना और सीढीदार कुओं (बावडियों) को स्वच्छ कुओं में परिवर्तित करना।

(7) ग्राम मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना।

(8) सार्वजनिक मार्गों या स्थानों और उन स्थलों में, जो निजी सम्पत्ति न हो कर या जो सार्वजनिक उपयोग के लिये खुले हो, चाहे ऐसे स्थल पंचायत में निहित हो या राज्य सरकार के हो, बाधाओं तथा आगे निकले हुए भाग को हटाना।

(9) मनोरंजनों, खेल तमाशों, दुकानों, भोजन गृहों और पेय पदार्थो मिठाईयों, फलों दुध तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के विक्रेंताओं का विनियमन और उस पर नियंत्रण।

(10) मकानों, संडासों, मुत्रालयों, नालियों तथा शौचालयों के सन्निर्माण का विनियमन।

(11) सार्वजनिक भूमि का प्रबंध और ग्राम स्थल का प्रबंध, विस्तार और विकास

(12) (क) शवों, पशु–शवों और अन्य घृणोत्पादक पदार्थो के व्यसन के लिये स्थानों का विनियमन

(ख) लावारिस शवों और पशु शवों का व्ययन

(13) कचरा इकट्‌ठा करने के लिये स्थानों का पृथक रक्षण

(14) मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनियमन

(15) ग्राम पंचायत की सम्पत्ति का अनुरक्षण

(16) कांजी हाऊस की स्थापना और प्रबंध और पशुओं से संबंधित अभिलेखों का रखा जाना

(17) संसद द्वारा बनाई गयी विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गये प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों को छोड़कर अन्य ऐसे प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण और चारागाहों तथा अन्य भूमियों का बनाया रखा जाना जो ग्राम पंचायतों में निहित या उनके नियंत्रणाधीन है।

(18) सार्वजनिक बाजारों तथा सार्वजनिक मेलों से भिन्न बाजारों तथा मेलों की स्थापना और प्रबंध और विनियमन

(19) जन्म–मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रखा जाना

(20) जनगणना कार्य में राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या विधि पूर्वक गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारण द्वारा संचालित सर्वेक्षणों में सहायता करना।

(21) सांसर्गिक रोगों के रोकथाम में सहायता करना।

(22) टीका लगाने और चेचक का टीका लगाने में सहायता करना तथा मनुष्यों एवं पशुओं की सुरक्षा के लिये ऐसे अन्य निवारक उपायो को जो संबंधित सरकारी विभागों द्वारा विहित किये जाए, प्रवर्तित करने में सहायता करना।

(23) निःशक्त तथा निराश्रितों की सहायता करना।

(24) युवा कल्याण, परिवार कल्याण तथा खेलकूद का अभिवर्धन करना।

(25) (क) जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिये

(ख) आग की रोकथाम, आग बुझाने और ऐसे आग लग जाने पर संपत्ति की सुरक्षा करने के लिये रक्षा समिति की स्थापना करना।

(ग) जरुरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था मूलभूत कार्यो के लिये मिलने वाली अनुदान राशि से करना।

(26) वृक्षारोपण तथा पंचायत वनों का संरक्षण

(27) दहेज जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करना।

(28) (एक) गंभीर तथा आपाती मामलों में निर्धन व्यक्तियों के लिये चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करने के लिये

(दो) निर्धन व्यक्तियों या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की अन्त्येष्टि प्रयोजन के लिये या

(तीन) किसी निर्धन व्यक्ति के फायदे हेतु किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए।

ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुये, जो विहित की जाए, उधार मंजूर करना।

(29) (क) राज्य सरकार, कलेक्टर या इस संबंध में राज्य सरकार, द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो की दशा में सुधारने के लिये उपायों के संबध में और विशेषतः अस्पृश्यता निवारण के संबध में दिये गये और जारी किये गये, निर्देशों या आदेशों का कार्यान्वयन।

(ख) ऐसे कृत्य करना जो राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत साधारण या विशेष आदेशों, द्वारा उसे सौंपे।

(ग) जनपद पंचायत के पूर्वानुमोदन से ऐसे कृत्य भी कर सकेगी जिनका किया जाना वह वांछनीय समझेगी।

परन्तु जहॉ ऐसे कोई कृत्य ग्राम पंचायत को सौपे गये है, वहॉ वह यथास्थिति राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अभिकर्ता के रुप में कार्य करेगी और उस प्रयोजन के लिये उसे आवश्यक निधियॉ और अन्य सहायता की व्यवस्था यथास्थिति राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी।

(30) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, संचालन, देखरेख एवं निगरानी करना।

xke ipk;r d vU; dR; %&

इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के संबंधों के अध्यधीन रहते हुये, तथा ऐसी नीतियों, निर्देशों, अनुदेशों, साधारण या विशेष आदेशों के जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाए, अध्यधीन रहते हुये ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कर्तव्य होगें :–

(एक) पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करना और उसे जनपद पंचायत की योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये विहित समय के भीतर जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना।

(दो) आधारभूत नागरिक सुविधाओं की योजना तैयार करना और उनका प्रबंध करना।

(तीन) ग्राम सभा के अनुमोदन से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों को चुनना।

(चार) ग्राम पंचायत के भीतर विकास स्कीमों और निर्माण कार्यो को कार्यान्वित करना, निष्पादित करना और उनका पर्यवेक्षण करना।

(पॉच) किसी विधि द्वारा उसे सौपी गयी या जो उसे केन्द्र या राज्य सरकार या जिला

पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा सौपी गयी हो, ऐसी स्कीमों, परियोजनाओं, संकर्मों के निष्पादन को सुनिश्चित करना।

(छः) हिताधिकारियों के लिये बनाई गई स्कीमों और कार्यक्रमों का नियंत्रण करना तथा उन्हें मानीटर करना।

(सात) जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की अभिवृद्धि करना।

(आठ) सामुदायिक कार्यो के लिये स्वैच्छिक श्रम तथा योगदान का आयोजन करना और सामुदायिक–स्वामित्व की धारणा की अभिवृद्धि करना।

(नौ) धारा 61–क में यथा परिभाषित 'ग्राम पंचायत क्षेत्र' के भीतर आने वाली कालोनियों की स्थापना के लिये आवेदनों पर विचार करना।

(दस) ग्राम सभा द्वारा की गयी अनुशंसाओं और किये गये विनिश्चयों को कार्यान्वित करना।

(ग्यारह) अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक अपनी लघु जल निकायों की योजना बनाना और उनका प्रबन्ध करना।

(बारह) किसी लघु जल निकाय की मछली पकड़ने और अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट क्षेत्र तक पट्टे पर देना।

(तेरह) सिंचाई के प्रयोजनों के लिये नदियों, जलस्त्रोतों, लघु जल निकायों के पानी के उपयोग को विनियमित करना।

(चौदह) सभी सामाजिक सेक्टरों में, ग्राम पंचायतों को अंतरित या उनके द्वारा नियुक्त संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना, और

(पन्द्रह) स्थानीय योजनाओं, संसाधनों और ऐसी योजनाओं के लिये व्ययों पर नियंत्रण रखना।

जन सेवा करने वाले को सतत् यह सोचते रहना चाहिए कि हमें किस तरह दूसरों को अधिक सुख दे सकते हैं। इस दुनिया का भार और दुनिया की सारी समस्याओं का हल ढूंढ़ निकालने की जिम्मेदारी हम पर नहीं है। वह तो उस पर है, जिसकी यह सारी लीला है। हमें इतना ही देखना है कि हमारे इर्द-गिर्द के वातावरण में जितनी सुगंध फैला सकते हैं, उतनी फैलाने की चेष्टा हम करें। चन्दन यही करता है – खुद घिसता है और दूसरों को खुशबु देता है।

–विनोबा

xke ipk;r lfpo dh 'kfDr;k rFkk dR;

lfpo dh 'kfDr;k & अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों हेतु ग्राम पंचायत क साधारण अधीक्षण के अधीन कार्यपालक शक्तियॉ सचिव में निहित होंगी जो –

(क) अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसे विशिष्ट रूप से प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ख) ग्राम पंचायत के साधारण अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुए तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत के सेवकों के कर्तव्यों को अधिकथित करेगा और पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा;

(ग) अधिनियम की धारा 6 तथा धारा – 129–ख तथा अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सरपंच के अनुदेश पर ग्राम सभा, पंचायत का सम्मिलन करेगा;

(घ) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों या जिला पंचायत, जनपद पंचायत या कलेक्टर की अध्यपेक्षा पर नियमों के उपबंधों के अनुसार ग्राम सभा का सम्मिलन बुलाएगा;

(ड.) ग्राम पंचायत की सामान्य सभा या स्थायी समिति का सम्मिलन, यथास्थिति, सरपंच या सभापति द्वारा नियत स्थान तथा समय पर आयोजित करने के लिए सूचना जारी करेगा;

(च) इस अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार ग्राम पंचायत का सम्मिलन बुलाने के लिये, जब कभी अपेक्षित हो, सूचना जारी करेगा;

(छ) अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), धारा 39 की उपधारा (3) तथा धारा 44 की उपधारा (4) के उपबंधों क अनुसार जब कभी अपेक्षित हो, ग्राम पंचायत का सम्मिलन बुलाएगा;

(ज) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा उसकी स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मिलन के कार्यवृत्त, कार्यवाहियों तथा विनिश्चयों का तथा उसमें उपस्थित सदस्यों के ब्यौरों को अभिलेख कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित करेगा;

(झ) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा उसकी स्थायी समिति के सम्मिलन में अनिवार्यतः हाजिर करेगा, जब तक कि उसे युक्तियुक्त तथा पर्याप्त कारण से रोका न जाए;

(ध) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के सम्मिलन मे चर्चा के अधीन किसी मामले से संबंधित जानकारी या स्पष्टीकरण दे सकेगा ;

(ट) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा उसकी स्थायी समितियों के संकल्पों को कार्यान्वित करने की कार्यवाही करेगा;

(ठ) पंचायत के प्रशासन से संबंधित टिप्पणी, विवरण/रिपोर्ट , प्राक्कलन, ऑकड़े या कोई अन्य जानकारी देगा;

(ड) ऐसे समस्त मामलों में, जहॉ उसकी राय में ग्राम पंचायत या उसके सरपंच या स्थायी समिति के सभापति का कोई कार्य या उसके किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन अधिनियम या उसके बनाए गए नियमों के उपबंधों या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा अनुदेशों के अनुसार नहीं हैं, ग्राम पंचायत या स्थायी समिति के सम्मिलन की तारीख से तीन दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट देगा;

(ढ) इस अधिनियम की धारा 65 के उपबंधों के अधीन स्थावर संपत्ति के अन्तरण या पट्टे के मामलों को ग्राम पंचायत के समक्ष उसके विनिश्चय हेतु औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् रखेगा;

(ण) राज्य सरकार द्वारा जारी आदर्श उपविधियों के अनुसरण में ग्राम पंचायत की उपविधियॉ बनाने के पश्चात् उनको अंगीकार करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष रखेगा;

(त) धारा 116 के उपबंधों के अधीन ग्राम पंचायत की अवसूली योग्य रकमों या सामग्री को अपलिखित करने के मामलों मे औपचारिकताऍ पूर्ण करने के पश्चात् यथास्थिति, ग्राम पंचायत के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखेगा या ग्राम पंचायत की अनुशंसा के साथ विहित प्राधिकारी को विनिश्चय हेतु अग्रेषित करेगा; और

(थ) छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (अभिलेखों तथा प्रतियों का निरिक्षण) नियम, 1995 के उपबंधों के अधीन अभिलेखों के निरीक्षण तथा प्रतियों के प्रदाय के लिये प्राप्त आवेदनों का निपटारा करेगा ;

lfpo d inh; dr0;-&

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों, विभागीय आदेशों और अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करेगा तथा ग्राम पंचायत को इससे अवगत कराएगा;

(ख) ग्राम पंचायत, कार्यालय में नस्तियॅा विषयवार रखेगा, ग्राम पंचायत कार्यालय को व्यवस्थित रखेगा और ग्राम पंचायत का पुराने अभिलेख रजिस्ट्रांकित करने के पश्चात् सुरक्षित रखेगा

(ग) ग्राम पंचायत के परामर्श से पंचायत कार्यालय का कार्य समय नियत करेगा और कार्यालय समय मे उस कालावधि के दौरान उपस्थित रहेगा;

(घ) ग्राम पंचायत कार्यालय तथा उसकी सम्पत्ति को व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखेगा;

(ड.) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों मे विहित समस्त रजिस्टर एवं अभिलेख तैयार करेगा;

(च) ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत या उसकी स्थायी समिति के सम्मिलन के लिये यथास्थिति सरपंच या सभापति के अनुमोदन से कार्यसूची तैयार करेगा;

(छ) ऐसे पंचों की, जो लगातार तीन सम्मिलनों मे अनुपस्थित रहे हों, जानकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक को देगा?

(ज) रिक्त पदों/स्थानों की कारणों सहित जानकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक को देगा; ?

(झ) पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाए गए सम्मिलन को सुगम बनाने के लिए कार्यवाही करेगा;

(ध) ग्राम पंचायत द्वारा पारित किये गये संकल्प की सरपंच के हस्ताक्षर से एक प्रति सम्मिलन में उसके पारित होने की तारीख से तीन दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा उप–संचालक, पंचायत को भेजेगा

(ट) जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक को सरपंच की अनुपस्थिति की जानकारी तत्काल देगा;

(ठ) ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सदस्यों और ग्राम सभा के सदस्यों को अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के आधार पर सही सलाह देगा और ऐसे किसी कार्य या संकल्प के मामले में, जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विरूद्ध हो, उनका ध्यान आकर्षित करेगा;

(ड) अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार सरपंच को स्थायी समिति गठित करने की सलाह देगा;

(ढ) विभिन्न स्तरों से प्राप्त पत्रों, आदेशों को सरपंच के समक्ष या सरपंच की जानकारी में से ग्राम पंचायत के समक्ष रखेगा;

(ण) स्थायी समिति द्वारा पारित संकल्पों को ग्राम पंचायत के सम्मिलन में रखेगा;

(त) यथास्थिति जिला, उपखण्ड, खण्ड स्तर के कार्यालयों के प्रमुख द्वारा तथा जिला पंचायत, जनपद पंचायत या विहित प्राधिकारी द्वारा जानकारी जब कभी मॉगी जाए समयावधि में भेजेगा;

(थ) ग्राम पंचायत की प्रशासनिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार करने के पश्चात् ग्राम पंचायत के सम्मिलन में रखेगा तथा विहित प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट समय के भीतर भेजेगा;

(द) ग्राम पंचायत की जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति का लेखा जोखा रखेगा और स्थावर सम्पत्ति का प्रत्येक वर्ष भौतिक रूप से सत्यापन ग्राम पंचायत को करवेगा;

(ध) स्थावर सम्पत्ति, भवनों, पशु शाला, तालाबों, बगीचों, बाजार, मेला भूमि, खेल के मैदान आदि की सुरक्षा तथा संधारण पर ध्यान देगा और समय–समय पर उनकी मरम्मत कराने हेतु ग्राम पंचायत को जानकारी देगा;

(न) जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति से राजस्व जैसे कर, सहायता, अनुदान, भवन एवं भूमि का किराया और तालाब एवं मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन, फलोद्योग, बगीचों आदि से प्राप्त राजस्व का लेखा रखेगा;

(प) ग्राम पंचायत की स्थावर सम्पत्ति एवं सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण का परिहार करने के लिये सतर्क रहेगा और अतिक्रमण रोकने हेतु ग्राम पंचायत के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगा;

(फ) अधिनियम की धारा 49 तथा 49–क में यथा उपबंधित किए गये अनुसार ग्राम पंचायत के कृत्यों के निष्पादन की दिशा में आगे कार्यवाही करेगा;

(अ) ग्राम पंचायत क्षेत्र की आधारभूत जानकारी रखेगा, जैसे –

(1) ग्राम पंचायत की अधीनस्थ संस्थाएँ जैसे बालवाड़ी, कांजीहाउस, वाचनालय, आदि;

(2) ग्राम पंचायत के क्षेत्र में स्थित अन्य संस्थाएँ, जैसे सहकारी संस्था, चिकित्सालय, स्कूल, साक्षरता कक्षायें, आंगनबाड़ी, पंजीबद्ध स्वयंसेवी संस्थाएँ, आदि;

(3) ग्राम पंचायत क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति;

(4) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की कल्याणकारी स्कीमों के हितग्राहियों के संबंध में जानकारी;

(5) रोजगार मूलक योजनाओं, राहत कार्य, सांसद/विधायक क्षेत्र विकास निधि आदि के अधीन मंजूर किए गए कार्य के संबंध में व्यय तथा अन्य विशिष्टियॉ

(क) ग्राम पंचायत की आय को, ग्राम पंचायत निधि में जमा करेगा और उसका लेखा रखेगा तथा व्यय हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा;

(ख) ग्राम पंचायत क्षेत्र में पीने का पानी, साफ–सफाई तथा सड़क प्रकाश व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करेगा;

(ग) ग्राम पंचायत के निदेश के अधीन राष्ट्रीय समारोह, उत्सव जैसे–गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गॉधी जयंती आदि का आयोजन करेगा;

(घघ) ग्राम पंचायत के अधीन बाजारों, मेलों का प्रबंध करेगा;

(ड.ड.) ग्राम पंचायत द्वारा या उसकी अधीनता के अधीन चलाई जा रही संस्थाओं के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा सौंपे गये कार्य करेगा;

(चच) ग्राम पंचायत क्षेत्र में ऐसी योजनाओं के, जो ग्राम पंचायतों को अन्तरित की गई हों या ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण के अधीन चलाई जा रही हों, निष्पादन करने में ग्राम पंचायत के निदेशानुसार कार्यवाही करेगा और कठिनाईयों को दूर करेगा;

(छछ) ग्राम पंचायत क्षेत्र में विवाह, जन्म तथा मृत्यु के अभिलेखों को बनाए रखेगा;

(जज) ग्राम पंचायत के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करेगा तथा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा और ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् उसे जनपद पंचायत को भेजेगा;

(झझ) ग्राम पंचायत की अनुशंसा के अनुसार आधारभूत नागरिक सुख–सुविधाओं की योजना तैयार करेगा तथा उसका प्रबंध करेगा या कराएगा;

(धध) ग्राम सभा के अनुमोदन से चयन किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के हितग्राहियों की सूची, यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत या अन्य संगठन को भेजेगा;

(टट) ग्राम पंचायत क्षेत्र की विकास संबंधी स्कीमों और सनिर्माण कार्यों का कार्यान्वयन तथा निष्पादन करने हेतु ग्राम पंचायत के अनुदेशों का पालन करेगा;

(ठठ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उससे संबंधित किसी अन्य निकाय द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण मे सहयोग देगा;

(डड) ग्राम पंचायत क्षेत्र से रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रखेगा;

(ढढ) राहत कार्यों में ग्राम पंचायत तथा प्रशासन को सक्रिय सहयोग देगा और प्राकृतिक आपदाओं जैसे–ओलावृष्टि, बाढ़, आग, सूखा, टिड्डी दल, बिजली गिरने आदि विपत्ति के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को राहत दिलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा;

(णण) दैनिक (दैनंदिनी) डायरी रखेगा और उस पर सरपंच के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा तथा मासिक सम्मिलन में पंचायत तथा समाज शिक्षा संगठक को प्रस्तुत करेगा (तत) ग्राम पंचायत के सामान्य अधीक्षण के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेगा;

(थथ) सरपंच को अधिनियम या नियमों अथवा राज्य सरकार के विशेष आदेश के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों तथा कृत्यों के निर्वहन में सहयोग देगा;

(दद) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो अधिनियम या नियमों या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा उसे सौंपे जाये.

(धध) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा उसे सौंपे जाएँ.

lfpo d foRRkh; rFkk djk/kku lc/kh drO;-& ग्राम पंचायत के सचिव के वित्तीय तथा कराधान संबंधी कर्तव्य निम्नानुसार होंगे –

(क) आगामी वर्ष के लिये ग्राम पंचायत के राजस्व और व्यय के प्राक्कलन तैयार करने के बाद उसकी स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के सम्मिलन में रखने और विहित प्राधिकारी को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करना;

(ख) यह देखना कि व्यय को विहित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित बजट के प्राक्कलनों के अनुसार उपगत किया जाता है और कार्यकलापों की स्थिति से सरपंच और ग्राम पंचायत को अवगत रखना;

(ग) लेखा नियमों के अधीन बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रतिदिन दैनिक बही तथा खाता लेखा में आय–व्यय की प्रविष्टि करना और आय–व्यय की प्रत्येक प्रविष्टि पर सरपंच के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करना;

(घ) प्रत्येक मास के अन्त में दैनिक बही पर अंतिम अतिशेष का भौतिक सत्यापन करना और सरपंच के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करना तथा दैनिक वही पर प्रमाण–पत्र अभिलिखित करते हुए अपने हस्ताक्षर करना;

(ड.) प्रत्येक मास की 5 तारीख तक गत मास का राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करना और उसे ग्राम पंचायत के अगले सम्मिलन में रखना;

(च) लेखा नियमों के अधीन किए गये उपबंधों के अनुसार पंचायत निधि की राशि की सुरक्षा हेतु सरपंच को लेखा नियमों से अवगत कराना;

(छ) ग्राम पंचायत का नगद अतिशेष सहकारी बैंक या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में बिना विलम्ब के जमा कराना;

(ज) विनिर्दिष्ट समय में राजस्व तथा व्यय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे ग्राम पंचायत क अनुमोदन से विहित प्राधिकारी को भेजना;

(झ) अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) और (2) में विहित किए गए अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक करों के निर्धारण की कार्यवाही करना;

(ञ) इस प्रयोजन के लिये बनाए गए नियमों के अनुसार अधिनियम की अनुसूची 3 में उल्लेखित कार्यकलापों की संविदा हेतु कार्यवाही करना;

(ट) इस प्रयोजन के लिये बनाए गए नियमों के विहित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत के करों आदि का मॉग तथा वसूली का रजिस्टर तैयार करना;

(ठ) पंचायत के कर, फीस तथा अन्य शोध्यों की वसूली करना;

(ड) ग्राम पंचायत के आय के स्त्रोतों में वृद्धि के बारे में सरपंच को सुझाव देना;

(ढ) ग्राम पंचायत निधि को ग्राम पंचायत के संकल्प द्वारा प्राधिकार दिये जाने पर सरपंच के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से चलाना;

(ण) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों में या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कृत्यों के क्रियान्वयन के लिये ऋण हेतु आवेदन करना और उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिये करना जिसके लिये ऋण प्राप्त किया गया है;

(त) सभी प्रकार के ऋणों का प्रतिसंदाय विनिर्दिष्ट तारीख तक करना;

(थ) इस प्रकार के लिये बनाए गए नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत में खरीदी जाने वाली सामग्री के लिये निविदा या कोटेशन मंगवाना और तुलनात्मक सूची को समिति के समक्ष विचारार्थ रखना;

(द) ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये सहायता अनुदान का उचित लेखा रखना;

(ध) ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये विभिन्न सहायता अनुदानों का उपयोग प्रमाण—पत्र विनिर्दिष्ट अन्तरालों में भेजना तथा अगली किश्त के लिये आवेदन करना;

(न) इन नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत के निरिक्षण या संपरीक्षा के लिये निरीक्षणकर्ता अधिकारी को समस्त अभिलेख उपलब्ध करना और समस्त जानकारी देना;

(प) ग्राम पंचायत के सम्मिलन में निरीक्षण और संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(फ) निरीक्षण तथा संपरीक्षा टिप्पण की अनुपालन रिपोर्ट तैयार करना और ग्राम पंचायत के अनुमोदन से विहित प्राधिकारी को समय से भेजना;

(ब) अग्रिम धन के जमा की वापसी के आवेदनों पर कार्यवाही करना;

(भ) छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (यात्रा तथा अन्य भत्ता) नियम, 1995 के अधीन शोध्य दावो क बिल तैयार करना;

ग्राम पंचायत का सचिव, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रति प्रशासकीय रूप से जिम्मेदार होगा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिये गये विधिमान्य निर्देशों का अनुपालन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार माना जाएगा.

ग्राम पंचायत का कोई भी आदेश सिर्फ तभी विधिमान्य होगा जब उसे सरपंच और सचिव की मुद्रा तथा हस्ताक्षर के अधीन जारी किया जाए।

——0——

l jiip rFkk mi l jiip dh 'kfDr;k rFkk dR;

¼1½ *l jiip]&*

(क) अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये उसके द्वारा पारित ग्राम पंचायत के संकल्पों को,

(ख) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समस्त निर्देशों को,

(ग) इस अधिनियम की धारा 49 के अधीन ग्राम पंचायत को समनुदेशित किए गए समस्त कृत्यों को कार्यान्वित करने या कार्यान्वित किये जाने के लिए, प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा।

(2) सरपंच की अनुपस्थिति में, सरपंच की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन उप सरपंच द्वारा किया जाएगा।

(3) वे शक्तियॉ तथा कृत्य, जो अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन विशिष्टतः प्रदत्त किए गए हैं, के अतिरिक्त :–

¼,d½ *l jiip &*

(क) ग्राम पंचायत के सम्मिलनों की अध्यक्षता तथ विनियमन करेगाः

(ख) ग्राम पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्टरों की समुचित अभिरक्षा सुनिश्चत करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा :

(ग) ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य तथा की गई कार्यवाई का पर्यवेक्षण करेगा तथा उस पर नियंत्रण रखेगा,

(घ) ग्राम पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा,

(ड.) ग्राम पंचायत निधि, जिसमें संदाय के प्राधिकार, चेकों का जारी करना तथा वापसी आदि सम्मिलित हैं, का अधिनियम के उपबंधो के अनुसार संचालन करेगा,

(च) इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित किए गए समस्त विवरण तथा रिपोर्ट तैयार करवाएगा,

¼nk½ *mi l jiip &*

(क) सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा तथा कार्यवाहियों का विनियमन होगा,

(ख) सरपंच का निर्वाचन लंबित होने पर या उस दशा में जब सरपंच किसी कारणवश सम्मिलन में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है तो सरपंच की शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का पालन करेगा।

xke& lHkk

73 वें संविधान संशोधन के पूर्व, ग्राम सभा की अनिवार्यता नहीं थी। सत्ता के वास्तविक विकेन्द्रीकरण एवं सत्ता में जन–जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से संविधान में अनुच्छेद 243 ''क'' प्रतिस्थापित किए गए। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 6 एवं 7 में ग्राम सभा का तथा धारा 129 क, ख, ग में अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा के गठन कार्य दायित्व आदि का प्रावधान किया गया है।

पंचायत राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। जिसमें ग्राम सभा को स्वायत्त शासी इकाई के रूप में सशक्त किया गया है। अर्था ग्राम सभा को स्थानीय शासन की इकाई के रूप में अनेक जनकल्याण एवं ग्राम विकास के कार्यक्रम दिये गये है। जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें। इसके अलावा सामाजिक क्रियाकलापों की संस्थाओं और कार्यकारियों पर ग्राम पंचायत के माध्यम से नियंत्रण रखने की शक्तियॉ भी ग्राम सभा को दी गई है।

प्रशासन में जन–जन की भागीदारी उसका सम्मान पूरी पंचायत राज व्यवस्था का लोकतांत्रिक आधार है। इसे मजबूत करने के लिए ग्राम सभा अत्यंत ही प्रभावी माध्यम बन गई है। इस व्यवस्था में ग्राम के प्रत्येक मतदाता को महत्व दिया गया है। ग्राम के सभी मतदाता ग्रामसभा के सदस्य करेगी। कार्ययोजना का अनुमोदन, आय–व्यय का अनुमोदन, हितग्राहियों का चयन तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को उठाने की योजनाओं का अनुमोदन मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण पंचायत राज व्यवस्था में प्रथमतः ग्राम सभा करेगी। गॉव के सभी वयस्क लोगों की उपस्थिति में सभी निर्णय हो, पंचायत क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना खर्च कर रही है, किस बात पर खर्च कर रही है। यह सब जानने का अधिकार गॉव वालों को मिला है। इस प्रक्रिया द्वारा अच्छी भागीदारी, जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य हो सकेंगे। जन–जन के शासन का सपना ग्राम सभा में अधिक से अधिक भागीदारी से ही पूरा हो सकता है। ग्राम स्वराज्य की भावना को वास्तविक स्वरूप देने का यह ठोस प्रयास है।

vulfpr {k=k d xke lHkk gr fo'k"k iko/kku

पंचायत राज अधिनियम की धारा 129–क के खण्ड ख में उल्लेख अनुसार प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा होगी। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर एक से अधिक ग्राम सभाओ का गठन निम्नानुसार किया जा सकेगा।

(क) ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए

(ख) पारा के समूह जिसमें मोहल्ला, मजरा टोला आदि सम्मिलित है

(ग) आवास या आवासों का समूह

जिसमें निवास करने वाले समुदाय अपनी परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार कार्यकलापों का प्रंबधन करते हो। इस प्रकार के ग्रामसभा का गठन विहित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जायेगा।

xke lHkk dh ’kfDr;k vkj dR;

ग्राम सभा की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे–

(क) ग्राम के आर्थिक विकास तथा ऐसी स्कीमों की पहचान तथा उनकी प्राथमिकता के लिए सिद्धांतों को अधिकथित करना :

(ख) सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए ऐसी योजनाएं जिनमें समस्त वार्षिक योजनाएं सम्मिलित हैं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन आरंभ करने से पूर्व अनुमोदित करना :

(ग) ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर सिफारिशें करना :

(घ) ग्राम पंचायत की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना :

(ड.) ग्राम पंचायत द्वारा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिये निधियों के समुचित उपयोग को अभिनिश्चित करना तथा प्रमाणित करना :

(च) गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्ति की पहचान करना तथा चयन करना :

(छ) हितकारियों की निधियों या अस्तियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करना

(ज) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील करना :

(झ) ग्राम के विकास स्कीमों की प्रसुविधाओं के क्रियान्वयन, उन्हें बनाए रखने तथा उनके साम्यापूर्ण वितरण के लिए व्यक्तियों के सक्रिय योगदान को सुनिश्चित करना :

(ञ) जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना :

(ञ–एक) सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे कृत्यकारियों पर, जो ग्राम पंचायत को अंतरित या ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रण करना :

(ञ–दो) ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्त्रोतों का जिनके अन्तर्गत भूमि, जल, व आते हैं, संविधान के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों के अनुसार प्रबंध करना :

(ञ–तीन) ग्राम पंचायत को लघु जलाशयों के विनियमन तथा उपयोग में सलाह देना :

(ञ–चार) स्थानीय योजना पर तथा ऐसी योजनाओं के स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखनाः और

(ट) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य

सरकार द्वारा इस अधिनियम या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसे प्रदत्त की जाय या उसे सौंपे जाएं।

b l d vfrfjDr /kkjk 129 ¼x½ e vu|lfpr {k=k e fuEufyf[kr 'kfDr;k rFkk dR; Hkh lkSi x, gA

किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम सभा की धारा 7 के अधीन प्राप्त शक्तियॉ तथा कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियॉ तथा कृत्य भी होगे, अर्थात –

(एक) व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रुढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रुढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना :

(दो) ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्त्रोतों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल तथा वन आते है, उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरुप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुये प्रबन्ध करनाः

(तीन) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाऍ, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध करना':

(चार) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप–योजनाऍ सम्मिलित है, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना' और

(पॉच) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करें।

129&?k- xke ipk;r d dR; %& इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देश के अधीन निम्नलिखित शक्तियॉ भी होगी।

(एक) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाऍ प्रबंध करना'

(दो) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप–योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना, और

(तीन) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे।

xke lHkk dk lfEeyu

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक एक. सन् 1994) की धारा 6 में ग्राम सभा की बैठक (सम्मिलन) आयोजन करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिये छत्तीसगढ़ ग्राम सभा

(सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 1994 एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 बनाए गए है। इसके अनुसार ग्राम सभा का सम्मिलन निम्नानुसार आयोजन एवं संचालित किया जाएगा–

¼1½ *xke lHkk dh cBd &* वर्ष में प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित होगी। परंतु ग्रामसभा के सदस्यों की कुलसंख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित में मांग किये जाने पर,

अथवा,

जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, ऐसी मांग किये जाने के/अपेक्षा के दिनांक से तीस दिनों के भीतर ग्राम सभा की बैठक की जायेगी।

¼2½ *cBd dh rkjh[k] le; rFkk LFkku &* ग्राम सभा की बैठक की तारीख, समय तथा स्थान सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा नियत की जाएगी।

ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का सम्मिलन आयोजित किया जायेगा। परंतु ग्राम सभा की वार्षिक बैठक ग्राम पचांयत के मुख्यालय पर होगी। वार्षिक बैठक आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम तीन माह पूर्व आयोजित की जाएगी।

¼3½ *cBd dh lpuk nus dh jhfr &*

(1) ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की सूचना में जिसमें तारीख, समय तथा स्थान और संव्यवहार किए जाने वाले कामकाज का उल्लेख करते हुए बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी।

(2) (क) ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम सहज दृश्य स्थानों पर और ग्राम पंचायत के कार्यालय पर एक प्रति चिपका कर

(ख) ग्राम पंचायत क्षेत्र में डॉडी पिटवाकर घोषणा करते हुए प्रकाशित की जायेगी। यदि कोई सदस्य बैठक में सुझाव देने की इच्छा करता हो या विषय उठाना चाहे तो वह इस सूचना की तारीख से सात दिन के भीतर ग्ग्राम पंचायत के सचिव को लिखित में एक सूचना देगा

किसी आपत्ति की दशा में जिसका स्वरूप लिखित में अभिलिखित किया जायेगा। बैठक पूरे तीन दिन की पूर्व सूचना देकर बुलाई जा सकेगी।

cBd dh lpuk fuEufyf[kr ik:i e tkjh fd;k tk;xk &
ik:i & 1
xke lHkk dh cBd dh lpuk

ग्राम सभा .... के सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्राम सभा की बैठक दिनांक .... समय ....को ग्राम .... के स्थान ....पर होगी।

ग्राम सभा के सभी सदस्य,जिनके नाम मतदाता सूची में है, बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित है।

बैठक के समक्ष निम्नलिखित विषयों पर क्रम से विचार किया जायेगा–

1

2

3

4

(त्रैमासिक बैठक के लिए ग्राम सभा को सौंपे गये विषयों में से चयन कर कार्य सूची तैयार की जायेगी)

वार्षिक बैठक के लिए निम्नलिखित विषयों पर कार्यसूची तैयार की जायेगी –

(क) लेखाओं का वार्षिक विवरण

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन के रिपोर्ट

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्य संबंधी कार्यक्रम

(घ) अन्तिम संपरीक्षा टिप्पणी और उसके संबंध मे दिये गये उत्तर, यदि कोई हो

(ड.) ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना

बैठक की कार्यसूची के अंतिम बिन्दुओं में सभापति के अनुमति से कोई अन्य विषय भी चर्चा में रखा जा सकता है।

4- *cBd dh v/;{krk &*

ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जायेगी। सरपंच की अनुपस्थिति मे उपसरंपच द्वारा की जायेगी। सरपंच और उपसरपंच दोनो की अनुपस्थिति की दशा में इस बैठक के लिए उपस्थित सदस्यों में से बहुमत द्वारा निर्वाचित सदस्य द्वारा की जायेगी।

परंतु अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा के बैठको की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो ग्राम पंचायत का सरपंच या उपसरपंच या सदस्य न हो, और जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा चुना गया व्यक्ति ही केवल उसी बैठक के लिए अध्यक्षता करेगा।

¼5½ mifLFkfr jftLVj &

ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम इस प्रयोजन के लिए रखे गए उपस्थिति रजिस्टर मे ंनिम्न प्रारूप में प्रविष्ट किये जायेंगे –

ik:i

xke lHkk e mifLFkr lnL;k dh mifLFkfr jftLVj

1. ग्राम पंचायत का नाम .... 2. ग्राम सभा का नाम ....

2. बैठक की तारीख .... 4. बैठक का स्थान ....

5. बैठक का समय ....

vuqdekd	cBd e mifLFkr lnL;k d uke	lnL;k d gLrk{kj
¼1½	¼2½	¼3½
1-		
2-		

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में)

स्थान : सचिव के हस्ताक्षर

तारीख : (सील)

¼6½ cBd d fy, x.kiwfr &

ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक दशमांश (1/10) से अधिक सदस्यों से जिसमें एक तिहाई से अधिक महिला सदस्यों की उपस्थिति होने पर ही गणपूर्ति होगी तथा बैठक का आयोजन हो सकेगा।

परंतु अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक जिसमें एक तिहाई महिला सदस्य सम्मिलित हो की उपस्थिति होने पर ही गणपूर्ति मानी जावेगी।

यदि सम्मेलन के लिए निर्धारित किये गए समय पर गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होते है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक को ऐसी आगामी तारीख तथा समय के लिए स्थगित कर देगा और अन्य तिथि एवं समय निश्चित करेगा। इसकी सूचना ग्राम पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल एवं अन्य सहज दिखने वाले स्थानों पर लगाई जायेगी । ऐसी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

स्थगित बैठक का आयोजन के समय किसी नये विषय पर विचार नहीं किया जायेगा। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति कराने का उत्तरदायित्व उनके निर्वाचित क्षेत्रों के अनुसार सरपंच एवं पंच का होगा।

ग्राम सभा की लगातार तीन बैठकों में गणपूर्ति कराने के उत्तरदायित्व उनके निर्वाचित क्षेत्र के अनुसार सरपंच एवं पंच का होगा।

ग्राम सभा की लगातार तीन बैठको में गणपूर्ति नहीं होने पर सम्बिधित पंच/सरपंच को नोटिस दिया जायेगा तथा आगे की दो ग्राम सभा में गणपूर्ति करने का अवसर दिया जायेगा। फिर भी गणपूर्ति न होने की स्थिति में संबंधित पदधारी के विरूद्ध पद से पृथक करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

¼7½ *xke lHkk d le{k j[k x; vfHkys[kk dk fujh{k.k &*

ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

¼8½ *cgqer }kjk fofuf'p; &*

(1) ग्राम सभा की बैठक में लाये गये समस्त विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा। मतों की समानता की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(2) यदि कोई विवाद उद्घृत होता है जिससे कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं तो ग्राम सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति उसका विनिश्चय किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

परंतु वार्षिक कार्ययोजना, हितग्राहियों के चयन, वार्षिक बजट, लेखा सह परीक्षा, प्रतिवेदन एंव वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट के बारें में गणपूर्ति होने पर ही संकल्प पारित किया जा सकेगा। यह कार्य स्थगित बैठक में नहीं किया जा सकेगा।

¼9½ dk;oRr i|Lrd &

(1) ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की कार्यवृत्त कार्यवाहियों के अभिलेख तथा विनिश्चय तथा उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कार्यवृत्त पुस्तक में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा इन नियमों से संलग्न प्रारूप दो में प्रविष्ट की जावेगी और उसी बैठक में उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी पुष्टि की जावेगी।

(2) बैठक की कार्यवाही को कार्यवृत्त पंजी में निम्न प्रारूप में हिन्दी में सचिव द्वारा लिखा जावेगा।

ik:i

dk;oRr i|Lrd

ग्राम पंचायत का नाम .... बैठक का स्थान ....

तारीख..समय...

उपस्थित सदस्यों की संख्या ....

ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	बैठक की कार्यवाही
1.	
2.	
3.	
4.	

स्थान :

ग्राम पंचायत के सचिव के
हस्ताक्षर एवं सील

——0——

ipk;rk dh cBd rFkk dkedkt lpkyu ifd;k

किसी संस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा उसके गरिमामय स्वरूप को स्थापित करने के लिये बैठक की प्रक्रिया तथा कामकाज के संचालन का स्पष्ट प्रावधान किया जाना आवश्यक होता है। पंचायत राज संस्थाओं को भी स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से पंचायत राज अधिनियम के धारा 44 में पंचायतों के कार्य संचालन व्यवस्था हेतु ''पंचायत सम्मिलन(बैठक) की प्रक्रिया एवं कामकाज का संचालन'' नियम 1994 बनाया गया है। बैठक के सफल संचालन हेतु अध्यक्ष/ सरपंच को प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह माना गया है। पंचायत राज अधिनियम में तत्संबंध में अधोलिखित प्रावधान किए है :–

cBd vk;ktu djku dk nkf;Ro %&

1. ग्राम पंचायत जनपद एवं जिला पंचायतों के सरपंच/अध्यक्षों द्वारा प्रत्येक माह कम से कम एक बार पंचायतों की सामान्य बैठक बुलाया जाना अनिवार्य है। किसी माह बैठक बुलाने में असफल रहता है तो ग्राम पंचायत के सचिव/पंचायत कर्मी/जनपद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विगत सम्मिलन की तारीख के पश्चात 25 दिन का अवसान होते ही संबंधित पंचायत के सम्मिलन की सूचना जारी करेगा।

2. पंचायत के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य पंचायत की विशेष बैठक के लिए लिखित में अभ्यावेदन करते है तो सरपंच/अध्यक्ष प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर बुलाएगा। अध यपेक्षा उपरांत सरपंच (जनपद/जिला पंचायत) अध्यक्ष बैठक बुलाने में असफल रहता है तो वे सदस्य जिन्होंने विशेष बैठक के लिए अध्यपेक्षा की हैं स्वयं बैठक बुला सकेंगे। ग्राम पंचायत के सचिव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी,तथा जनपद/जिला पंचायत उपरोक्त बैठक की सूचना जारी करेगा।

3. ग्राम पंचायत के सरपंच/जिला पंचायत के अध्यक्ष यदि प्रत्येक माह में आहूत करने वाली बैठक अथवा अध्यापेक्षा पर बुलाई जाने वाली बैठक में लगातार तीन अवसरों पर असफल रहता हैं तो वह धारा 40 के अधीन अपने पद से हटा दिए जाने के दायित्वहीन होगा और धारा 40 के उपबंध उसे लागू होगा जिसे इस प्रकार हटाया गया है।

¼1½ **cBd dk cyk;k tkuk&** सरपंच द्वारा बैठक की तारीख,समय तथा स्थान नियत किया जाएगा।

(i) सचिव या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, द्वारा प्रत्येक बैठक की सूचना, जिसमें तारीख, समय और उसका स्थान तथा उसमें किए जाने वाले कामकाज का लेख करते हुये, साधारण बैठक

से पूरे सात दिन पूर्व और विशेष से पूरे तीन दिन पूर्व संबंधित पंचायत के प्रत्येक पदधारियों को भेजी जाएगी और पंचायत के कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी।

(ii) प्रत्येक बैठक में यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में यथास्थिति, उपसरपंच या उपाध्यक्ष द्वारा या दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य उस अवसर पर अध्यक्षता करेगा।

(iii) बैठक के समस्त निर्णय(संकल्प) उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित होगा। मतों के बराबर रहने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक मत होगा।

2- *cBd dh dk;lph&*

(i) बैठक की कार्यसूची, यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के परामर्श से सचिव या मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।

(ii) कार्यसूची के साथ कार्यसूची में सम्मिलित की गई मदों पर यथासंभव संक्षिप्त टिप्पणियों संलग्न की जाएगी।

3- *lHkkifr dh 'kfDr;k&*

(i) सभापति, किसी पदधारी को, किसी ऐसे विषय पर, जिसकी बाबत् सभापति, का युक्तियुक्त आधारों पर यह विश्वास हो कि ऐसा पदधारी ऐसे किसी करार या संपत्ति या उसके संबंध में किसी अधिकार में जो चर्चा कि विषय वस्तु है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी कोई हित रखता हैं, मतदान करने या वाद विवाद में भाग लेने से रोक सकेगा।

(ii) ऐसा पदधारी सभापति के विनिश्चय या आक्षेप कर सकेगा और सभापति तदुपंरात इस प्रश्न को सम्मिलन के समक्ष रखेगा, बैठक में जो विनिश्चय किया जाए वह अंतिम होगा।

(iii) संबंधित पदधारी, उपनियम(2) में निर्दिष्ट प्रश्न पर मत देने का हकदार नही होगा।

4- *ldYi dk ik:i&*

(i) प्रत्येक संकल्प स्पष्ट रूप से और ठीक–ठाक अभिव्यक्त किया जाएगा और उसके द्वारा किसी निश्चित विवाद्यक को उठाया जाएगा।

(ii) संकल्पों में न तो कोई तर्क, अनुमान, व्यंगात्मक अभिव्यक्तियों या मानहानि कारक वक्तव्य अंतर्विष्ट होगें और न ही उनमें किन्ही व्यक्तियों के उनकी पदीय या लोक हैंसियत को छोड़कर, आचरण या चरित्र के संबंध में कोई निर्देश होगा।

(iii) संकल्प सकारात्मक स्वरूप का होगा।

5- l dYi dh l puk&

(i) संकल्प की सूचना लिखित में होगी और प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

(ii) कोई पदधारी जो संकल्प प्रस्तुत करना चाहता है वह अपने आशय की सूचना कम से कम पूरे पॉच दिन पूर्व देगा और सूचना के साथ ही उस संकल्प की प्रति देगा। जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हैं किन्तु सभापति, उसके द्वारा कथित किए जाने वाले कारणों के आधार पर पॉच दिन से कम की सूचना के संकल्प को भी कामकाज की सूची में प्रविष्ठ किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

6- l dYi iLrr dju dh 'kfDr&

कोई भी पदधारी, पंचायत के प्रशासन तथा कृत्यों से संबंधित किसी विषय के संबंध में संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।

7- l dYi dh xkg;rk&

सभापति किसी भी संकल्प की ग्राह्यता के संबंध में विनिश्चय करेगा यदि उसकी राय में कोई संकल्प अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह उसे ग्रहण नहीं करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

1- *l dYi iLrr djuk ;k okil yuk&* कोई पदधारी जिसके नाम से कोई संकल्प कामकाज की सूची में दर्ज किया गया हैं, नाम से पुकारे जाने पर या तो,

(क) संकल्प प्रस्तुत करेगा या

(ख) संकल्प वापस ले लेगा और वह इस स्थिति में उस आशय के केवल कथन तक ही अपनी को सीमित रखेगा।

2- *l dYi ij ppk dh vuefr&* नाम पुकारे जाने पर यदि कोई पदधारी अनुपस्थित है तो उसके नाम पर दर्ज किया गया संकल्प को वापस लिया गया, तब माना जाएगा जबकि सभापति उस पर चर्चा की अनुमति न दे दें।

3- *ppk dh lhek&* किसी भी संकल्प पर की जाने वाली चर्चा केवल संकल्प के बारे में चर्चा करने तक ही सीमित होगी।

4- *l dYi dk foHkktu&* जब अनेक बिन्दुओं से जुड़े हुये विषयों से सम्बन्धित किसी संकल्प पर चर्चा कर ली जाए, तब सभापति अपने विवेकानुसार संकल्प का विभाजन करेगा और प्रत्येक या किसी एक विषय बिन्दु को जैसा भी वह उचित समझे, पृथक मत देने के लिए रखेगा।

5- l|dYi d| l|c/k e| lHkkifr dk vf/kdkj & सभापति को संकल्प या प्रस्ताव प्रस्तुत करने या उसके संबंध में बोलने का वही अधिकार होगा जो किसी अन्य पदधारी को है।

6- lHkkifr dk /;kukd"k.k%&

1. कोई पदधारी सभापति को ध्यानाकर्षण, बैठक से पूरे पांच दिन पूर्व अपने आशय की सूचना देकर कर सकेगा।
2. कोई पदधारी बैठक से पूरे पॉच दिन पूर्व सूचना देकर पंचायत के प्रशासन या उसके किसी कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में सभापति से जानकारी भी मांग सकेगा।
3. सभापति, जानकारी प्राप्त करने के लिए रखे गए किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को, यदि वह नियम 7 के उपबंधों का उल्लघंन करता हैं, अनुज्ञात कर सकेगा।
4. जानकारी संबंधी कोई ध्यानाकर्षण सूचना विचार योग्य नही होगी।

8- /;kukd"k.k rFkk l|dYi%&

कोई भी पदधारी, पंचायत के कार्य के निष्पादन में की गई किसी भी उपेक्षा, पंचायत निधि या संपत्ति के अपव्यय या दुरूपयोग आदि की ओर सभापति का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और आवश्यक सुझाव दे सकेगा।

9- ckyr| le; vu|ikyu fd, tku| oky| fu;e%&

(i) कोई पदधारी बोलते समय

(क) किसी ऐसे विषय के गुणावगुण पर जो न्यायालय में विचाराधीन हो, टीका टिप्पणी नहीं करेगा।

(ख) स्थानीय शासन, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी पदधारी या पदाधिकारी के विरूद्व व्यक्तिगत आरोप या अभियोग नही लगाएगा।

(ग) संसद या किसी राज्य के विधान मंड़ल या किसी जिला पंचायत या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के संचालन या कार्यवाहियों के संबंध में संतापकारी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा।

(घ) मानहानि कारक शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा।

(ड) पंचायत के कामकाज में बाधा डालने के प्रयोजन से अपने भाषण संबंधी अधिकारों का अनुचित रूप से प्रयोग नहीं करेगा।

(ii) कोई पदधारी किसी प्रस्ताव पर संशोधन का प्रस्ताव या समर्थन नही करेगाः— ऐसा कोई पदधारी, जिसने किसी प्रस्ताव पर बैठक में एक बार संबोधित किया हो, उसमें तत्पश्चात संशोधन का प्रस्ताव या समर्थन नही करेगा।

(iii) कोई पदधारी मत देने का प्रस्ताव रखे जाने के पश्चात उस पर नहीं बोलेगाः— कोई पदधारी सभापति द्वारा मत देने का प्रस्ताव रखे जाने के पश्चात् उस पर नही बोलेगा।

(iv) पदधारियों के स्थान— पदधारी उस क्रम में बैठेंगे जो सभापति द्वारा निर्धारित किया जाए तथा पदधारी अपने स्थान पर खड़े होकर ही बोलेगें।

(v) पदधारी बोलते समय खडा होगा— किसी विषय पर बोलने का इच्छुक पदधारी अपने स्थानपर खड़ा होगा किन्तु सभापति द्वारा वक्ता का नाम पुकारें जाने के पूर्व नही बोलेगा, वक्ता सभापति को संबोधित करेगा।

(vi) जब सभापति द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा जाए तब पदधारी बैठ जाएगा :— जब सभापति द्वारा किसी पदधारी से व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा जाए तब तत्काल अपने स्थानपर बैठ जाएगा।

10- in/kkjh 0;oLFkk Hkax djus dk nks"kh dc gksxk&

कोई पदधारी, व्यवस्था भंग करने का दोषी होगा जो,

(क) आपत्तिजनक या संतापकारी शब्दों का प्रयोग करता हैं और उन्हें वापस करने या क्षमा मांगने से इंकार करता है या

(ख) बैठक के शांतिपूर्ण ताकि व्यवस्थित संचालन में जानबूझकर गड़बड़ी पैदा करता है या

(ग) सभापति के किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता हैं, या

(घ) सभापति के अपनी कुर्सी से उठने पर या सभापति द्वारा स्थान ग्रहण करने के लिए आदेशित किए जाने पर अपना स्थान ग्रहण नही करता है।

lrkidkjh 'kCnks dk iz;ksx oftZr&

1. कोई भी पदधारी किन्ही भी संतापकारी शब्दों के संबंध में आपत्ति कर सकेगा।

2. संतापकारी शब्दों पर आपत्ति करने वाले पदधारी को प्रस्ताव रखना चाहिए कि संतापकारी शब्द वापस किए जाए यदि उसका प्रस्ताव मान लिया जाए तो सभापति यह निर्देश देगा कि शब्द वापस लिये जाएॅ।

3. सभापति शब्दों पर आपत्ति तभी उठाई जाएगी जबकि उनका प्रयोग किया गया हो और किसी अन्य पदधारी ने बोलना आरंभ न किया हो।

folxfr ;k iqujkofRr& सभापति ऐसे किसी पदधारी के आचरण के प्रति, जो विचार विमर्श में या तो उसके अपने तर्क या अन्य पदधारी के तर्क में विसंगत या उकता देने वाली पुनरावृतियॉ लगाकर करता हैं, पंचायत का ध्यान आकृष्ट करने के पश्चात उसे अपना भाषण बंद करने के लिए निर्देशित कर सकेगा।

11- *fdlh in/kkjh dks cSBd ls fudy tkus ds funs'k nsus dh lHkkifr dh 'kfDr&*
सभापति किसी भी पदधारी को बैठक से तुरन्त निकल जाने का निर्देश दे सकेगा जिसका आचरण, उसकी राय में अत्यधिक विच्छश्रृंखल हो या जो पदधारी व्यवस्था भंग करने का दोषी होगा।

12- *fdlh cSBd dks LFkfxr djus dh 'kfDr&* सभापति बैठक में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में उसके द्वारा विनिश्चित तथा घोषित किए जाने वाले समय तक के लिए किसी बैठक को स्थगित कर सकेगा।

13- *in/kkjh er nsus ds fy;s gdnkj ugha gksxk&* कोई भी पदधारी पंचायत की बैठक में विचारार्थ लाये गए किसी ऐसे प्रश्न पर चर्चा में अपना मत नही देगा और उसमें भाग नही लेगा यदि वह ऐसे प्रश्न में लोक सदस्य के रूप से भिन्न स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी हित रखता है।

14- *cSBd dh v/;{krk djus okyk O;fDr dfri; ekeyksa esa v/;{krk djus dk gdnkj ugha gksxk&*

यदि बैठक में उपस्थित किसी पदधारी को यह प्रतीत होता है कि, सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक के समक्ष चर्चा के किसी विषय में धन संबंधी कोई ऐसा हित रखता है उसके द्वारा लाया गया तद्र्थक प्रस्ताव पारित हो जाने पर ऐसा व्यक्ति चर्चा के दौरान ऐसे बैठक की अध्यक्षता नही करेगा और बैठक की अध्यक्षता किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो इस प्रकार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति अध्यक्षता करता।

dk;ZoRr %&

1. प्रत्येक पंचायत कार्यवाही विवरण पुस्तिका में निम्न बातें अभिलिखित करेगी–

   (क) उपस्थित पदधारियों के नाम

   (ख) उपस्थित सरकारी अधिकारियों के नाम यदि कोई हो

   (ग) पंचायत और उसकी समितियों के प्रत्येक बैठक की समस्त कार्यवाहियों की कार्यवाही विवरण

   (घ) किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मत देने वाले या तटस्थ रहने वाले पदधारियों के नाम।

2. इस प्रकार अभिलिखित किये गए कार्यवृत उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगें जिसने उक्त बैठकों की अध्यक्षता की है।

3. ऐसे कार्यवाही विवरण की एक–एक प्रति बैठक की समाप्ति से दस दिन के भीतर बैठक में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को वितरित किया जाएगा।

4. यह सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी पदधारी द्वारा परीक्षण के लिए निःशुल्क खुला रहेगा।

5. कार्यवाही विवरण देवनागरी लिपि (हिन्दी) में लिखित होगें।

6. कार्यवाही विवरण की एक प्रति पन्द्रह दिन के भीतर

   (क) ग्राम पंचायत के मामले में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को,

   (ख) जनपद पंचायत के मामले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उप–संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण कों,

   (ग) जिला पंचायत के मामले में जिला उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, कलेक्टर, संयुक्त संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण और संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण को भेजी जाएगी।

अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (4) या उपधारा(6) द्वारा उपेक्षित किए गए अनुसार यदि अध्यक्ष या सरपंच यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने में कम से कम तीन अवसरों पर असफल होता हैं तो यथास्थिति सचिव, या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उस प्रभाव के बारे में एक रिपोर्ट राज्य सरकार या सम्बन्धित विहित प्राधिकारी को भेजेना जिस पर विहित अधिकारी उचित कारवाई करेगा।

––0––

मैंने इस बात को असंख्य बार दोहराया है कि भारत अपने चन्द शहरों में नहीं बल्कि सात लाख गॉवों में बसा है, लेकिन हम शहरवासियों का ख्याल है कि भारत शहरों में ही है और गॉवों का निर्माण शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए ही हुआ है। हमने कभी यह सोचने की तकलीफ ही नहीं कि उन गरीबों को पेट भरने जितना अन्न और शरीर ढंकने जितना कपड़ा मिलता है या नहीं और धूप तथा वर्षा से बचने के लिए उनके सिर पर छप्पर है या नहीं?

–गॉधीजी

xke iapk;r dh LFkk;h lfefr;k

(1) ग्राम पंचायत अपने कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये, 1 (5) से अनाधिक स्थायी समितियां गठित कर सकेगी और ऐसी समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगी जो ग्राम करेंगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उनकी सौंपी जाए। ये समितियां ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन होंगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, एक समय में, दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा :

(1) (परंतु कोई समिति अधिक से अधिक दो ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी जिन्हें उस समिति को सौंपे गये विषयों का अनुभव या विशेष ज्ञान है। इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को समिति की कार्यवाहियों में मत देने का अधिकार नहीं होगाः

परंतु ग्राम पंचायत आवश्यकतानुसार बैठकों में शासकीय अधिकारियों एवं अन्य विषय विशेषज्ञों को सलाह लेने के लिए आमंत्रित कर सकेगी।)

(3) स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और स्थायी समिति के काम काज के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने पंचों में से निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी –

¼d½ *lkekU; i'kklu lfefr &* ग्राम पंचायत के प्रशासन की स्थापना और सेवाओं, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण का अनुमोदन, बजट, लेखे, कराधान तथा अन्य वित्तीय विषय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और ग्राम पंचायत को समनुदेशित किये गये तथा किसी अन्य समिति को आवंटित न किए गए समस्त अन्य विषय

¼[k½ *fuek.k rFkk fodkl lfefr &* ग्राम पंचायत के क्षेत्र में योजना, प्रबंधन, कार्यान्वयन तथा सभी निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण, अभिन्यास की योजना, बजट तथा कार्यान्वयन, सभी प्रकार की स्कीमें और कार्यक्रम संचार में सुधार, ग्राम कुटीर तथा खादी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर विशेषतः महिला तथा बच्चों के लिए उद्यान और उपवन (पार्क), भविष्य में निर्माण हेतु अपनी स्वयं की परियोजनाओं का प्रस्ताव, ग्रामीण विद्युतीकरण वन, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी।

¼x½ *f'k{kk] LokLF; rFkk lekt dY;k.k lfefr &* ग्राम पंचायत क्षेत्र में के सभी विद्यालयों के निरीक्षण, प्रत्येक मास की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती मास के दौरान शिक्षकों को उपस्थिति का प्रमाणन, अनौपचारिक शिक्षा की प्रोन्नति तथा सहायता, प्रोढ़–शिक्षा जिसमें आई.सी.डी. एस. आंगनवाड़ी, बालवाड़ी तथा सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, टीकाकरण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम सहित सभी कल्याण स्कीमों को प्रोत्साहन और निरीक्षण तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र

में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण स्कीम तथा स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण तथा उपनकी उपस्थिति का प्रमाणन, सामाजिक रूप से पिछड़े तथा समाज के विकलांग वर्गो तथा लोगों के लिए कल्याण स्कीमों का निर्माण तथा क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में आरोग्यता तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तथा उन लोगों के लिए, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, विकास तथा विशेष कार्यक्रम खेलकूद,

¼?k½ *df"k i'kqikyu ,oa eRL; ikyu lfefr&* ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि, भूमि विकास तथा संरक्षण, उन्नत बीज, उद्यानिकी, डेयरी मत्स्यपालन, लघु सिंचाई तथा श्रम,

¼M-½ *jktLo rFkk ou lfefr&* ग्राम पंचायत क्षेत्र में राजस्व, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, वन सामाजिक वानिकी, उद्यान, लघु वनोपज का विकास तथा अन्य वाणिकी कार्यक्रम।

(2) प्रत्येक समिति में चार सदस्य होगे जो इस प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा विशिष्टतः बुलाए गए सम्मिलन में पंचो द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किए जाएगे।

(3) सरपंच सामान्य प्रशासन समिति का सभापति तथा उप सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समितियों के सभापति होंगे, शेष समिति अपने में से निर्वाचित करेंगे।

LFkk;h lfefr;ksa ds lnL;ksa dh vof/k & ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के सभापति और सदस्यों की अवधि वही होगी जो उस ग्राम पंचायत की हो।

vkdfLEkd fjfDr & स्थायी समिति के सदस्यो में से किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अनर्हता या उसकी पदावधि के अवसान के पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गयी समझी जाएगी और ऐसी रिक्ति नियम 3 (2) में दर्शित रीति में यथा साध्य शीघ्रता से भरी जाएगी।

LFkk;h lfefr ds lfpo & ग्राम पंचायत का सचिव स्थायी समिति का पदेन सचिव होगा।

lfEeyu &

(1) साधारणतः कामकाज के संचालन के लिए प्रत्येक स्थायी समिति का सम्मिलन ग्राम पंचायत के कार्यालय में या किसी अन्य स्थान पर, महीने में कम से कम एक बार ऐसी तारीख को तथा समय पर होगा जो ऐसी समिति का सभापति अवधारित करे।

(2) सम्मिलन की तारीख से पूरे तीन दिन पूर्व प्रत्येक सम्मिलन की सूचना, उसकी तारीख, समय तथा स्थान और उसमें किए जाने वाला कामकाज दर्शाते हुए, प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी और ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन सम्मिलन की तारीख इस प्रकार नियत की जाएगी जिससे कि अन्य स्थायी समितियो के सम्मिलन की तारीखो से टकराव न हो।

lfEeyu dk lHkkifr & स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता सभापति द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में समिति द्वारा निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाएगी।

x.kifr &

(1) स्थायी समिति के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति तत्समय गठित स्थायी समिति के आधे सदस्यो से होगी।

(2) यदि किसी सम्मिलन में गणपूर्ति न हो तो पीठासीन प्राधिकारी सम्मिलन को, ऐसी तारीख तथा समय के लिए स्थगित कर सकेगा जो उसके द्वारा नियत किया जाए तथा इस प्रकार नियत किए गए सम्मिलन की सूचना ग्राम पंचायत के कार्यालय में चिपकाई जाएगी।

(3) इस प्रकार स्थगित किए गए सम्मिलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नही होगी किन्तु ऐसे सम्मिलन के समक्ष कोई नया विषय विचार नही लाया जाएगा।

cger }kjk i'uk dk fofu'p; & स्थायी समिति के किसी सम्मिलन के समक्ष लाए गए समस्त प्रश्नो का विनिश्चय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यो के बहुमत द्वारा किया जाएगा। मतो के बराबर–बराबर होने की दशा में सम्मिलन के पीठासीन प्राधिकारी का निर्णायक मत होगा।

dfri; ekeyk dk fofu'p; &

(1) स्थायी समिति मुख्यतः केवल उसको सौंपे गए मामलो के संबंध में ही विनिश्चय करेगी। यदि मामले में वित्तीय विवक्षा अंतर्ग्रस्त है तो वह उस मामले को अपनी सिफारिशो के साथ आगे और विचारार्थ ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट करेगी।

(2) जहां कोई मामला एक से अधिक स्थायी समिति से संबंधित हो, वहां वह विनिश्चय के लिए ग्राम पंचायत के समक्ष रह जाएगा।

*xke ipk;r d fu;ek dk ykx gkuk &*ग्राम पंचायत के साधारण सम्मिलन के कामकाज का संचालन करने हेतु नियम, स्थायी समितियो के सम्मिलनों को यथासाध्य लागू होंगे।

dk;oRr &

(1) स्थायी समितियो में से प्रत्येक स्थायी समिति के सम्मिलन की कार्यवाहियां, इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी।

(2) सम्मिलन का पीठासीन प्राधिकारी, सम्मिलन के समाप्त होने के पश्चात यथा शक्य शीघ्र, कार्यवृत्त पुस्तक पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) कार्यवृत्त पुस्तक स्थायी समिति के समक्ष विचारण के लिए उसके अगले सम्मिलन में रखी जाएगी जब तक कि इसी बीच ग्राम पंचायत के सम्मिलन में उसकी पुष्टि न कर दी जाए।

xke ipk;r }kjk fu;=.k &

(1) स्थायी समिति की कार्यवाहियां स्थायी समिति के सम्मिलन के पश्चात किए गए अगले सम्मिलन में ग्राम पंचायत के समक्ष रखी जाएगी।

(2) ग्राम पंचायत ऐसे सम्मिलन में स्थायी समिति के विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगी या ऐसा निर्देश दे सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझे।

——0——

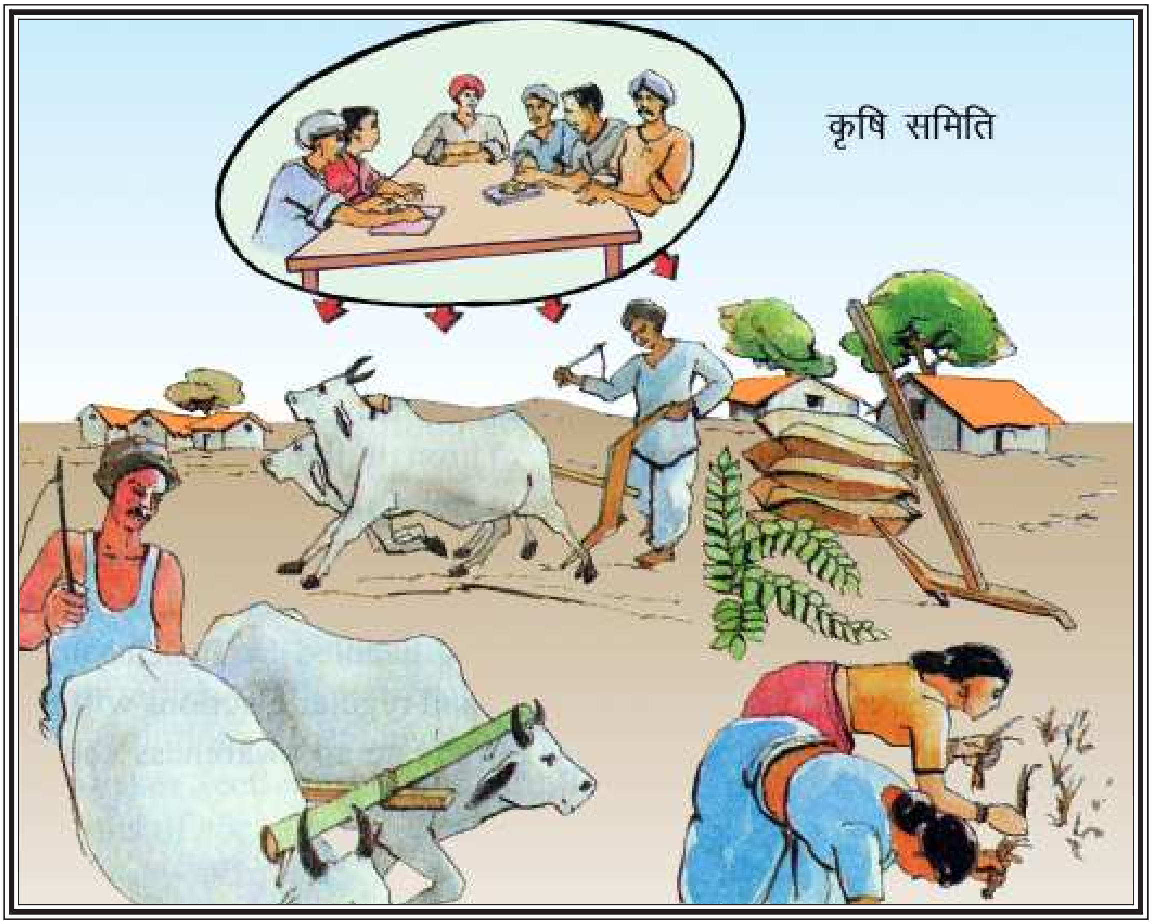

y[kk ,o ctV

स्थानीय स्तर पर सरकार के रुप में स्थापित होने वाली पंचायतों को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये धन की जरुरत पड़ती है। पंचायत यह धन राशि चाहे अपने आर्थिक संसाधनों से प्राप्त करें या राज्य सरकार से प्राप्त करें, इस धन को एक जगह एकत्रित करके रखना जरुरी है ताकि वहां से जरुरत के अनुसार खर्च किया जा सके। अपने प्रतिदिन के कामों को करने के लिये पंचायत को धन की आवश्यकता पड़ती है किन्तु साथ ही यह भी अत्यंत आवश्यक है कि पंचायत अपनी प्रत्येक आमदनी को एक जगह एक कोष के रुप में एकठ्टा करें और फिर जैसी जरुरत हो उस लिहाज से उतना पैसा निकाल कर खर्च करें।

ipk;r fuf/k

पंचायतों के धन को रखने के संबंध में पंचायती राज अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि –

1. प्रत्येक पंचायत अपना धन रखने के लिये एक कोष की स्थापना करेगी, जिसे पंचायत निधि कहा जायेगा।
2. पंचायत द्वारा प्राप्त सभी धन पंचायत निधि में एकत्र किया जाएगा।

ipk;rk d [kkr

पंचायतों के खाते के संचालन के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि –

1. प्रत्येक पंचायत निधि को किसी निकटतम सरकारी खजाने या उप खजाने, या डाक घर या सरकारी बैंक या अनुसूचित बैक या उसकी शाखा में रखा जाएगा और
2. प्रत्येक पंचायत निधि से, उस पंचायत का प्रमुख और उस पंचायत के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही धन निकाला जा सकता है।

पिछले पॉच सालों में पंचायत के कार्यों में यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि पंचायत निधियॉ तो सभी ग्राम पंचायतों से बन गई है पर इस के संचालन को लेकर अभी भी कई दिक्कते है। कई ग्राम पंचायतों में यह देखने में आया है कि सरपंच बिना सोचे समझे सभी चेकों पर हस्ताक्षर कर देता है उन्हें सही मालूम नहीं होता है कि यह किस लिये निकाला जा रहा है। अधिकतर महिला सरपंच को पंचायत निधि के बारे में जानकारी नही होती है उनकी पंचायतों के खातों का संचालन या तो सचिव नही तो उनके पति करते है। हर निकासी के लिये और उसके खर्चों के लिये सरपंच की अंतिम जिम्मेदारी होती है। इस लिये चेक पर हस्ताक्षर करने के पहले देख ले कि :–

1. जिस काम के लिये धन निकाला जा रहा है क्या वह ग्राम सभा ने स्वीकृत किया है।
2. इस धन से किये गये कामों से होने वाले खर्चो का लिखित विवरण तैयार कर लिया गया है।
3. क्या चेक का पूरा विवरण रजिस्टर पर अंकित किया गया है।

vk; d L=kr

पंचायतों को मुख्य रुप से चार स्त्रोतों से धन प्राप्त होता है :–

1. राज्य वित्त आयोग के सुझाव पर राज्य के कुल आय का 2.92 प्रतिशत।
2. केन्द्रीय वित्त आयोग के सुझाव पर केन्द्र सरकार से।
3. राज्य एवं केन्द्र सरकार से विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यकमों के लिये।
4. पंचायत के स्वयं के संसाधनों से होने वाली आय से।

c t V

अधिनियम की धारा 73 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत आने वाले वित्तीय वर्ष अपनी आमदनी और खर्च का सालाना बजट तैयार करेगी। इस प्रकार से पंचायत अपने वार्षिक लेखा और प्रशासनिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारुप में विहित प्राधिकारों को देगी। इसमें मुख्य रुप से जबावदारी पंचायत सचिव की होती है क्योंकि वही सभी लेखों का रख रखाव करता है। इसमें सरपंच की भी जवाबदारी है कि वह सचिव से पंचायत का बजट आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम तीन माह पूर्व तैयार करवा ले व ग्राम सभी की बैठक में प्रस्तुत करें। पंचायत अधिनियम की धारा 7 (2) के अंतर्गत पंचायत की यह जवाबदारी है कि वह लेखाओं का वार्षिक विवरण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट ग्राम सभा की बैठक में पारित करने के लिये प्रस्तुत करें।

foRrh; Lohdfr

ग्राम पंचायत वित्तीय वर्ष मे प्राप्त होने वाले सभी धन की जानकारी ग्राम सभा यह तय करेगी की आगामी वित्तीय वर्ष में किन आवश्यक कार्यो को किया जाना चाहिये इस में विकास से संबंधित व अन्य कार्य भी है । इन कार्यो में कितना धन लगेगा उसका निर्धारण ग्राम पंचायत करेगी व उसकी अंतिम वित्तीय स्वीकृति ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर लेगी।

jkf'k vkgj.k ifd;k

ग्राम पंचायतों में पंचायत के स्वयं के संसाधनों से होने वाली आय को छोड़कर सभी आहरण पर कुछ शर्ते लगी होती है। जैसे राज्य वित्त आयोग के सुझाव पर प्राप्त धन ग्राम पंचायत केवल

मूलभूत कार्यों पर ही खर्च कर सकती है। केन्द्रीय वित्त आयोग के सुझाव पर प्राप्त धन भी आंशिक शर्तो में बंधा है। यह धन राज्य सरकार द्वारा सुझायें गये कार्यो पर ही लगा सकते है । इस सभी आहरणों का वितरण ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित कर के ही कर सकती है।

eY;kdu

वित्तीय वर्ष में किये गये सभी विकास के कार्य के सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकारी ग्राम सभा के पास है। ग्राम पंचायत द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि, किन कार्यों पर पंचायत ने कितना धन लगाया है। ग्राम सभा इस बैठक में इन कार्यों का मूल्यांकन करेगी कि सही में इन कार्यों पर इतना धन लगा है कि नहीं, उसके पश्चात् ही ग्राम सभा पंचायत के बजट को पारित करेगी।

vkfMV

पंचायत द्वारा साल में जो खर्च किया जाता है उसका लेखा जोखा निर्धारित रुप से रखना होता है और इसका अंकेक्षण हर साल राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। वर्तमान में पंचायत का अंकेक्षण पंचायत विभाग के आडिटरों द्वारा किया जाता है। पंचायतों का दायित्व है कि वे अपने आय व्यय से संबंधित लेखों को आडिटर द्वारा मांगे जाने पर पंचायतों को अपना उत्तर समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करना होता है। सभी पंचों और सरपंचों को पंचायत के लेखों में और अंकेक्षण में रुचि होनी चाहिये क्योंकि उनके अध्ययन से उन्हें पंचायत की गतिविधियों का साफ हिसाब किताब मिलेगा।

——0——

> *हम न सर्वज्ञ हैं न सर्व-शक्तिमान। हम अपने हिस्से का फर्ज अदा करें, इतना ही ईश्वर ने हमारे हाथों में रखा है। ऐसा करने से हम अपने कार्य में ज्यादा सफल होंगे और हमें आत्म-संतोष भी होगा। दूसरे कार्यकर्ताओं के न आने से हमें दु:खी नहीं होना चाहिए। किसी के ना आने पर भी यदि हम कर्त्तव्य मे परायण रहें, तो संभव है कि दूसरे आ जावें।*
>
> **– गॉधी जी**

xke iapk;r dh vk; ds L=ksr ,oa
dj ;k Qhl vf/kjksfir djus dh izfdz;k

vk; ds L=ksr

ग्राम पंचायत की आय के निम्नलिखित मुख्य स्त्रोत है –

1. जिला पंचायत राज निधि से

   (क) भूमि उपकर (ख) विकास कर
2. अनिवार्य कर तथा फीस
3. वैकल्पिक कर तथा फीस
4. शासन के विभिन्न कार्यक्रम एवं योजना मद
5. वित्त आयोग की अनुशंसा अनुदान
6. अन्य मद यथा दान, जुर्माना, आदि मद,
7. ऋण आदि।

dj ;k Qhl vf/kjksfir djus dh izfØ;k

प्रत्येक ग्राम पंचयत कोई भी कर या फीस निम्नानुसार अधिरोपित करेगी–

(क) ग्राम पंचायत इन नियमों उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उस दर हेतु जिस पर कर या फीस अधिरोपित की जानी हो, संकल्प पारित करेगी।

(ख) उसके पश्चात् ग्राम पंचायत ऐसी तारीख या उसके पश्चात् जो ऐसे प्रकाशन की तारीख से एक माह पूर्व की नही होगी जिसके पश्चात् ग्राम पंचायत, प्रस्ताव पर विचार करेगी, का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव को सूचना जनसाधारण को ग्राम सभा क्षेत्रों में डोडी पटिवाकर और ग्राम पंचायत के कार्यालय में तथा ग्राम या ग्रामों के सहजदृश्य स्थानों पर सूचना लगा कर देगी।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कर या फीस की दर पर आपत्ति करने वाला ग्राम का कोई भी निवासी खण्ड (ख) के अधीन प्रकाशित सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व लिखित में अपनी आपत्ति या सुझाव भेज सकेगा।

(घ) खण्ड (ख) के अधीन नियत तारीख को या उसके पश्चात् ग्राम पंचायत खण्ड (ग) के अधीन की गई समस्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करेगी और कर या फीस अधिरोपित करेगी तथा वह दर जिस पर कर फीस अधिरोपित की जानी हो, विनिश्चित करेगी।

(ङ) जब ग्राम पंचायत कर या फीस की दर अंतिम रूप से विनिश्चित कर ले तब ग्राम पंचायत द्वारा, अधिरोपित कर या फीस तथा उसकी दर दर्शाते हुए, एक सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय में उसकी एक प्रति लगाकर प्रकाशित की जाएगी। वह ग्राम या ग्रामों में ऐसे प्रकाशन के तथ्यों की उद्घोषणा डोडी पिटवाकर भी करेगी।

(च) कर या फीस तद्नुसार उस तारीख से अधिरोपित की जाएगी जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और जो सूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् एक मास से पूर्व की नही होगी।

dj fdl rkjh[k ls iHkkoh gkXkk&

इन नियमों के अधीन अधिरोपित कोई कर 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले तथा अगली 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अधिरोपित किया जाएगा। यदि कर 1 अप्रैल के अतिरिक्त अन्य किसी तारीख से प्रवृत्त हो तो वह अगली 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी तथा 1 अप्रैल को समाप्त होने वाली तिमाहीवार अधिरोपित किया जाएगा और इसके बाद वर्षवार अधिरोपित किया जायेगा।

1- Hkfe;k rFkk Hkouk ij lifRr dj &

भवनों पर कर की दर – प्रत्येक ग्राम पंचायत अधिनियम की अनुसूची – एक (क) की मद (1) तथा धारा 77 की उपधारा (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए तथा नियम (3) में विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् भूमि या भवनों या दोनों पर भूमि तथा भवन के पूंजीगत मूल्य पर आधारित ऐसी दर से कर अधिरोपित करेगी जो उसके द्वारा विनिश्चित की जाए, किन्तु ऐसी दर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर से कम और अधिकतम दस से अधिक नही होगी।

iFke vuqlph

Hkfe;k rFkk Hkouk ij dj dh nj

		U;ure	*vf/kdre*
		¼1½	*¼2½*
1.	ऐसे भवन पर जिसका पूंजीगत मूल्य 6000 रू. से अधिक हो किन्तु 12000 रू. से अधिक न हो	20 पै. पूंजीगत मूल्य के प्रति 100 पर या उसके किसी भाग पर	30 पै. पूंजीगत के पति 10 रू. पर या उसके किसी भाग पर
2.	ऐसे भवन पर जिसका पूंजीगत मूल्य 12000 रू. से अधिक न हो	1 रू. पूंजीगत मूल्य के प्रति 500 रू. पर या उसके किसी भाग पर	1.50 रू. पूंजीगत मूल्य के प्रति 500 रू. पर या उसके किसी भाग पर

dj fdldk }kjk n; gkXkk &

कर उस भवन के स्वामी द्वारा देय होगा जिस पर वह निर्धारित किया जाए।

2- fu th 'kkpky;k dh lQkbl dk fy; dj &

ग्राम पंचायत नियम 3 में विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् निजी शौचालयों की सफाई के लिये ऐसी दरों पर जो उसके द्वारा विनिश्चित की जाए कर अधिरोपित करेगी। निजी शौचालयों की सफाई पर कर अधिरोपित किये जाने से पूर्व पूरी की जाने वाली

vko';d 'krl&

अधिनियम की अनुसूची 1 क की मद 2 तथा धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन निजी शौचालयों की सफाई के लिये कोई भी कर अधिरोपित नही किया जायेगा, जब तक ग्राम पंचायत –

(क) निजी शौचालयों की सफाई के लिए व्यवस्था न कर दे।

(ख) ऐसी व्यवस्था करने तथा कर अधिरोपित करने के अपने अभिप्राय की एक मास की सूचना ऐसे कर का भार उठाने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत अथवा ग्राम या ग्रामों के निवासियों को सामान्यतः न दे दी हो,

dj fdldk }kjk n; gkxk &

निजी शौचालयों की सफाई के लिए कर यदि मकान, जिसमें निजी शौचालयों हैं –

(क) स्वयं स्वामी के अभियोग में हो, स्वामी द्वारा देय होगा।

(ख) स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के अधिभोग में हो, अधिभोगी द्वारा देय होगा।

(ग) स्वामी तथा किरायेदार के अभियोग में हो, स्वामी देय होगा।

3- idk'k dj &

(1) कोई ग्राम पंचायत जिसने प्रकाश व्यवस्था की हो, नियम 3 में विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् ग्राम पंचायत ऐसे क्षेत्र के समस्त भवनो पर भवन के पूंजीगत मूल्य के संबंध में ऐसी दर से जो उसके द्वारा विनिश्चित की जाए, कर अधिरोपित होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी ऐसे भवन पर कोई प्रकाश कर अधिरोपित नही किया जाएगा, जो पूर्णतः धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजनों जिसमें छात्रावास भवन शामिल है, उपयोग में लाया जाता हो तथा जिससे उसके स्वामी या न्यासी को कोई किराया प्राप्त न होता हो।

dj fdldk }kjk n; gkxk &

प्रकाश कर मकान के वास्तविक अभिभोगी द्वारा देय होगा।

4- fdlh 0;olk; dykRed dk;l ;k fdlh 0;kikj ;k vkthfodk ij dj dh nj &

ग्राम पंचायत नियम 3 में विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् ऐसे व्यक्तियों पर, जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर कोई व्यवसाय करते हो या कलात्मक कार्य करते हो या कोई व्यापार या आजीविका चलाते हों ऐसी दशा में जो ग्राम पंचायत द्वारा विनिश्चित की जाए, कर अधिरोपित करेगी किन्तु वह दर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर से कम और अधिकतम दर से अधिक नहीं होगी।

f}rh; vu|lph

ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर कोई व्यवसाय या कलात्मक कार्य या कोई व्यापार या आजीविका चलाने पर लगाये जाने वाला कर –

okf"kd vk;	U;ure	vf/kdre
¼1½	¼2½	¼3½
रूपये 11000 से 15000	रूपये 100	रूपये 200
15001 से 20000	150	300
20001 से 30000	200	400
30001 से 40000	300	600
40001 से 50000	450	900
50001 से अधिक	650	1400

dj dk vkfxe Hk|xrku &

ग्राम पंचायत के भीतर कोई व्यवसाय, कलात्मक कार्य या व्यापार या आजीविका चलाने वाले व्यक्तियों पर वर्ष भर के लिए अग्रिम में देय होगा।

5- xke ipk;r d fu;=.kk/khu fdlh cktkj ;k LFkku e fod; d fy, eky j[ku ;k mle d fdlh Hkou ;k ljpuk dk mi;kx dju d fy; Qhl &

Qhl dh nj & ग्राम पंचायत, नियम 3 में विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् एसे व्यक्तियों पर, फीस अधिरोपित करेगी, जो ग्राम पंचायत के नियंत्राधीन या किसी बाजार या स्थान में विक्रय के लिए माल रखते हों या उसमें के किसी भवन या संरचना का उपयोग करने के लिए ऐसी दर से जो उसके द्वारा विनिश्चिय की जाए, किन्तु वह दर तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर से कम और अधीकतम दर से अधिक नही होगी।

Rkrh; vuqlwph

xke ipk;r d ;k mud fu;=.kk/khu fdlh cktkj ;k LFkku e fod; ;k eky dk in'ku ;k Hkou ;k ljpuk dk mi;kx dju d fy, Qhl dh nj &

		U;wure	vf/kdre
1.	1. प्रति एक वर्ग मीटर या उसके किसी भाग के स्थान के लिये	30 पै. प्रतिदिन या 8 रू. प्रतिमास	50 पै. प्रतिदिन या 14 रू. प्रतिमास
2.	बजार में विक्रय के लिए लाए गए माल के लिए	25 पैसे प्रति टोकरी या सिरभार (जो थैला न हो) या 50 पैसे प्रति थैला	50 पैसे प्रति टोकरी या सिरभार (जो थैला न हो)

6- xke ipk;r d fu;=k/khu fdlh cktkj ;k LFkku e cp x; i'kvk d jftLVhdj.k ij Qhl &

1. कोई ग्राम पंचायत, नियम 3 में विहित प्रक्रिया का पालन करने पश्चात् ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या स्थान में बेचे गये पशुओं रजिस्ट्रीकरण पर ऐसी दर से जो उसके द्वारा विनिश्चित की जाए, फीस अधिरोपित करेगी, किन्तु ऐसी दर चतुर्थ अनुसूची में विनिदिष्ट न्यूनतम दर से कम और अधिकतम दस से अधिक नही होगी।

2. पशुओं के ऐसे बछड़ों पर फीस की छूट दी जाएगी, जो अपनी मां के दूध पर निर्भर हो।

prFk vuqlwph

xke ipk;r d ;k ml d fu;=.kk/khu fdlh cktkj ;k LFkku e cp x; i'kvk d jftLVhdj.k ij Qhl dh nj &

		U;wure	vf/kdre
		¼1½	¼2½
1.	सुअर, बकरा, बकरी, गधा, बछड़ा	3 रूपए	20 रूपए
2.	भैंसा, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी	5 रूपए	25 रूपए
3.	भैंस, हाथी, ऊंट	10 रूपए	30 रूपए

2- NRrhlx< xke ipk;r okdfYid dj rFkk Qhl ¼'krs rFkk viokn½ fu;e] 1996

1. संक्षिप्त नाम – इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्तें तथा अपवाद) नियम 1996 है।

2. जब कभी कोई ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 77 उपधारा (2) के अधीन कोई कर, फीस या दर अधिरोपित की जाने वाली ग्राम सभा के सम्मेलन के समक्ष रखेगी, ग्राम सभा के प्रस्तावों पर ग्राम पंचायत द्वारा विचार किया जाएगा।

3. अधिनियम की अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट कोई भी कर, फीस या दर इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकतम के अध्यधीन होगी।

4. जनपद पंचायत के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, यदि ग्राम पंचायत धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन कोई कर, दर या फीस अधिरोपित करने का संकल्प करती हैं तो वह ऐसे प्रस्ताव से प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए संकल्प के तात्पर्य की उद्घोषणा करेगी तथा डोडी पिटवाकर या ग्राम पंचायत के कार्यालय पर तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों के सहज दृश्य स्थान पर या दोनों पर लिखित सूचना चिपका कर उद्घोषित की जाने वाली तारीख के पूर्व उनकी आपत्तियॉ आमन्त्रित करेगी। उद्घोषित तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, ग्राम पंचायत के सम्मिलन में केवल आपत्तियों पर (यदि कोई हो) सहित संकल्प पर पुर्नविचार किया जायेगा। यदि कोई प्रस्ताव किसी कर, दर फीस या उपकर अधिरोपित करने के लिए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिया जाता हो, तो प्रस्ताव आपत्तियों, यदि कोई हो सहित अनुमोदन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत की अग्रेषित किया जायेगा।

5. जनपद पंचायत और विचार–विमर्श के लिये प्रस्ताव को वापिस कर सकेगी या उसे उपांतरण के साथ या उपांतरण के बिना अनुमोदित कर सकेगी। यदि जनपद पंचायत द्वारा किये गये उपांतरण महत्वपूर्ण स्वरूप के हों तो धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा उसके अन्तिम रूप से अंगीकृत किये जाने के पूर्व ऊपर निर्दिष्ट रीति में आपत्तियों के लिये उपांतरित प्रस्ताव के तात्पर्य कि फिर से उद्घोषणा की जाएगी।

6. जनपद पंचायत, किसी प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय, एक तारीख विनिर्दिष्ट करेगी, जिस तारीख से उसमें उल्लिखित कर, दर या फीस प्रवृत्त होगी।

7. जब जनपद पंचायत द्वारा कोई कर, दर या फीस अधिरोपित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया जाता है तब ग्रम पंचायत यथास्थिति दरों की एक अनुसूची या निर्धारित कर की वास्तविक रकम के साथ निर्धारितों की एक सूची तैयार करेगी। नियम की गयी दरों की अनुसूची और निर्धारित किये गये कर की डोंडी पिटवाकर

और साथ ही ग्राम पंचायत कार्यालय के सहजदृश्य स्थानों पर ऐसी अनुसूचियों की प्रतियां चस्पाकर सार्वजनिक उद्घोषणा की जाएगी और उससे प्रभावित ऐसे व्यक्ति को, जो देखने की इच्छा करें, कर निर्धारण सूची दिखलायी जाएगी।

8. ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति निर्धारण की उद्घोषणा की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, निर्धारण के विरूद्ध उठाई गयी किसी भी आपत्ति की सुनवाई करेगी।

9. आपत्तियां, यदि कोई हों तो उनका निपटारा करने के बाद निर्धारण सूची यदि आवश्यक हों, संशोधित की जाएगी और उस पर सरपंच, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य तथा सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। इसके बाद डोडी पिटवाकर दरों की पुनरीक्षित सूची, यदि कोई हो, की सार्वजनिक उद्घोषणा की जाएगी, और ग्राम पंचायत कार्यालय पर उसकी प्रतियां चस्पाकर उन्हें पुनः प्रकाशित किया जाएगा।

10. निर्धारण से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, नियम 7 के अधीन निर्धारण की तारीख से या निर्धारण सूची के पुनः प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। अपील में विहित प्राधिकारी के ओदश के अनुसार निर्धारण का पुनरीक्षण किया जाएगा।

11. अधिनियम की अनुसूची दो की मद (4) के अधीन फीस किसी भी सराय, धर्मशाला, विश्राम गृह, वधशाला और शिविर भूमि का उपयोग किये जाने के पूर्व ही अग्रिम रूप से वसूल की जाएगी।

12. अधिनियम की अनुसूची दो की मद 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 और 12 के अधीन कर, दर और फीस की वसूली या तो वार्षिक या छः माही या तिमाही अग्रिम के रूप में की जा सकेगी। वर्ष का प्रारंभ पहली अप्रैल, पहली जुलाई, पहली अक्टूबर और पहली जनवरी से समझा जाएगा।

13. ऐसा व्यक्ति, जिसकी स्वतः की सम्पत्ति न हो या सम्पत्ति का अधिभोगी न हो या जो किसी तिमाही में ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर जानवर या वाहन रखता हो तो वह अधिनियम की अनुसूची दो की मद 2, 3, 5 से 7 तथा 9 से 12 के अधीन कोई दर, कर या फीस के चुकाने के लिये दायी नहीं होगा। परन्तु यदि कोई व्यक्ति उस तिमाही, छः माही या वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर कोई जानवर, वाहन आदि रखते हुए पाया जाए तो वह यथास्थिति, तिमाही, छःमाही के अन्त में कर चुकाने के लिये दायी होगा।

14. इन नियमों से संलग्न प्रारूप ''क'' में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें कर, फीस और दर की मांग और संग्रहण दर्शाया जायेगा। प्रविष्टियां वार्डों के अनुसार की

जाएगी। अधिरोपित किये गये विभिन्न प्रकार के करों, फीस या दरों के लिय पृथक–पृथक पृष्ठों के समूह रखे जायेंगे। प्रत्येक मास के अंत में रजिस्टर पर सरपंच तथा सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

Ikk:i *d*

vf/kfu;e dh vuqlwph nks ds v/khu 31 ekpZ ---------- dks lekIr gksus okys o"kZ ds fy;s dj] Qhl rFkk nj dh ekax vkSj lxzg.k n'kkZus okyk jftLVj

ग्राम पंचायत .... तहसील .... जिला ....

अनुक्रमांक	नाम	पिता का नाम
1	2	3

मांग			वसूलियां	
चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	योग	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
.... से ....तक	.... से ....तक		.... से ....तक	.... से ....तक
4	5	6	7	8

योग	अतिशेष	अभयुक्ति
9	10	11

3- NRrhlx<+ iapk;r ¼Hkw&jktLo ij midj dh of) rFkk forj.k½ fu;e 1999

भू राजस्व पर उपकर की वसूली – अधिनियम की धारा 74 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिये उपकर उद्ग्रहीत किया जाएगा।

midj ds Hkqxrku djus dk mRrjnkf;Ro &

(1) निम्नलिखित व्यक्ति निम्नलिखित अधिमान क्रम में उपकर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी होंगे।

(क) भू–धृतिधार के मामले में भू–धृतिधारक,

(ख) ऐसे खाते के मामले में, जिसमें राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि समाविष्ट हो, उसका पट्टेदार।

(2) जब किसी खाते में एक से अधिक भू–धृतिधारक या पट्टेदार हो या तो यथा स्थिति ऐसे समस्त भू–धृतिधारक या पट्टेदार, समस्त उपकर के भुगतान के लिये संयुक्त या पृथकतः दायी होगें।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उपनियम (1) के अधीन प्रथमतः दायी हैं, खाते में जमा करने का हकदार होगा।

परन्तु ऐसा व्यक्ति, उससे वसूल की गई रकम उस व्यक्ति के, जो प्रथमतः दायी है खाते में जमा करने का हकदार होगा।

उपकर जिला पंचायत राज निधि में जमा किया जाएगा – उपकर की रकम, अधिनियम की धारा 76 के उपबंधों के अधीन गठित जिला पंचायत राज निधि में जमा की जाएगी।

midj dh nj e of) dh ifd;k &

(1) जिला पंचायत, विशेष बैठक में, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किये गये संकल्प द्वारा जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि के उपकर की दर में वृद्धि कर सकेगी जो अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (2) में विहित सीमा से अधिक नही होगी। उपकर की वर्धित दर आगामी राजस्व वर्ष से उद्ग्रहीत होगी।

(2) जिला पंचायत द्वारा उपनियम (1) के अधीन पारित किए गए किसी संकल्प की सूचना उस क्षेत्र में स्थित जिला पंचायत तथा जनपद पंचायतों और समस्त ग्राम पंचयतों के, कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित करके उद्घोषित की जाएगी और किन्ही ऐसे व्यक्तियों से, जिनके कि उपकरों की ऐसी वृद्धि से प्रभावित होने की संभावना है, उसके प्रकाशन से 15 दिन के भीतर आपत्तियों या सुझावों को आमंत्रित करेगी।

(3) जिला पंचायत उसके आगामी सम्मिलन में समस्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार करने के पश्चात् उपकर की बढ़ी दर को अंतिम रूप देकर अधिसूचना जारी करेगी।

(4) जिला पंचायत द्वारा जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति जिले तहसीलदारों को बढ़ी उपकर के निर्धारण तथा वसूली हेतु तत्काल भेजी जाएगी। अधिसूचना की एक प्रति जिले के कलेक्टर तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी जानकारी के लिए भेजी जाएगी।

of/kr ¼c<h½ midj dh jde dk fu/kkj.k &

(1) तहसीलदार के पटवारियों द्वारा सामान्य्य उपकर तथा वर्धित उपकर के निर्धारण का विवरण इन नियमों से संलग्न प्रारूप में तैयार करवाएगा।

(2) उपकर की रकम निर्धारित करते समय पटवारी भू–धारक की उस समस्त भूमि पर, जिसके लिए वह भू–राजस्व या भाटक के भुगतान का दायी है, विचार होगा।

(3) प्रत्येक पटवारी प्रारूप–1 में उसके द्वारा तैयार किये गये विवरण को, क्षेंत्र को राजस्व निरीक्षक के माध्यम से तहसीलदार को भेजेगा।

midj dh jde dk forj.k &

(1) जिला पंचायत राज निधि में जमा की गई उपकर की रकम आगामी राजस्व वर्ष में पंचायतों में नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार वितरित की जाएगी –

(क) सामान्य उपकर की कुल रकम संबंधित ग्राम पंचायत को, जिससे वह उगाही गई है।

(ख) वर्धित उपकर की रकम का पच्चीस प्रतिशत जिला पंचायत को पच्चीस प्रतिशत जिले की समस्त जनपद पंचायतों को तथा शेष पचास प्रतिशत जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को।

(2) जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों में रकम का वितरण उस क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्यां के आधार पर किया जाएगा।

ik:i

Hk&/kkjdk ij o"k ---------------------------------- *d fy, midj d fu/kkj.k dk fooj.k*

ग्राम का नाम .... पटवारी सर्कल क्रमांक ....

ग्राम पंचायत का नाम .... तहसील ....

खाते का अनुक्रमांक	भू–धारक पट्टेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान	खाते पर भू–राजस्व / लगान रकम	भू–राजस्व लगान पर 50 पैसे प्रति रूपए की दर से सामान्य उपकर	.... से भू–राजस्व / लगान पर वर्धित उपकर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6

fVIIk.kh & यदि खाते में भूमि के अंतरण या अन्य किसी कारण से कोई परिवर्तन हो तो उसके ब्यौरे टिप्पणियों के कालम में विनिर्दिष्ट किये जाए।

पटवारी के हस्ताक्षर

dk;ky; ,o i c/ku

सामान्यतः कार्यालय का अर्थ वह स्थान है जहां से संस्था, नियोजन संगठन समन्वयक नियंत्रण किया जाता है। कार्यालय, प्रबंधन को वह सूचनायें उपलब्ध कराता है, जिनके आधार पर निर्णय लिये जाते है, गतिविधियों को मॉनिटर किया जाता है, नीति एवं कार्य विधियों का निर्माण किया जाता है। यहॉ आंकड़ों सूचनाओं का संकलन उनका प्रति प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण प्रबंधकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता जिनके आधार पर सही निर्णय लेना संभव होता है। कार्यालय के कुछ आधारभूत तथा प्रशासकीय प्रबंधन कार्य होते है। आधारभूत कार्य, प्रशासकीय कार्य हेतु आवश्यक जानकारी देते है, सूचनायें देते है, संबंधित कार्य सम्पादन में क्षेत्र से प्राप्त कठिनाईयों समस्याओं को प्रस्तुत करते है। कार्यालय एक पूर्ण संगठित कार्यकारी कार्यस्थल होता है।

dk;ky; dh Nfo %&

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यालय की सक्रियता, स्पष्टता तथा तत्परता छवि निर्माण में अति महत्वपूर्ण होती है। अच्छा प्रबंधन इस पूर्ति में महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। इस माध्यम की कुछ प्रमुख गतिविधियॉ होती है, जिनका अच्छा प्रबंधन, उद्देश्य पूर्ति में सहायक बनता है।

¼1½ dk;ky; e i=kpkj] vkod&tkod rFkk ufLr;k dk l/kkj.k %&

कार्यालय में आने तथा जाने वाले पत्र एक उद्देश्य के लिये हुये होते है। इसकी संख्या सक्रिय कार्यालय में बड़ी मात्रा में होती है प्रेषण करने वाले उत्तर की प्रतीक्षा में रहते है, इससे पत्राचार का महत्व बहुत बढ़ जाता है। किन्तु पत्र प्राप्ति पश्चात् की गई तत्परता एवं सही प्रमाणिक उत्तर छवि बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते है।

¼2½ vkod&tkod 0;oLFkk %&

यह कार्यालय का स्थायी एवं प्रमाणिक अभिलेख होता है, कार्यालय में आवक हो जाने पर आया पत्र जीवन्त हो जाता है कि जब तक वह नष्ट न किया जावें। फलस्वरुप इस पर की गयी अथवा न की गई कार्यवाही अथवा विलंब से की गई कार्यवाही का प्रमाण भी मिल जाता है इससे कार्यालय में पत्र प्राप्ति के साथ ही उनका आवक किया जाना एवं उसे नंबर एवं दिनांक दिया जाना एक निर्धारित की गई है इसी तरह भेजा जाने वाला पत्र कार्यालय से प्रेषित होता है। इन दोनों कार्यो को तत्परता से ही प्रबंधन को प्रमाणिकता मिलती है अच्छे प्रबंधकीय को इस ओर संतर्क रहना चाहिये तथा समय–समय पर इस व्यवस्था को स्वयं देखना चाहिये।

¼3½ ufLr;k dk l/kkj.k %&

यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अच्छे प्रबंधन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक

विषय पर एक नस्ति हो जिससे उसी विषय से संबंधित पत्रों का आवक के पश्चात् संधारण किया जावें। ऐसी नस्ती का एक अनुक्रमांक हो। कभी भी किन्ही नस्तियों में भी कोई भी पत्र प्रस्तुत कराये जावे। ऐसी नस्तियों की क्रमांक एवं विषय देते हुये एक सूची होना चाहिए जो प्रभारी लिपिक के पास उपलब्ध हो।

यदि वे नस्तियॉ किसी आलमारी में रखी गई तो वह सूची आलमारी के बाहरी आवरण पर लगाई गई हो।

dk;k|y; i;k|oj.k

प्रबंधकीय का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह कार्यालय के उपलब्ध साधनों के अंतर्गत सुविधाजनक व्यवस्था कराये जिसमें बैठक व्यवस्था प्रमाणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवस्था तथा साफ–सुधरा कार्य स्थल उपलब्ध कराया जाये। इस व्यवस्था से कार्य करने वाले कर्मचारियों को सुविधा महसूस होगी। एवं वे अधिक देर तक बैठकर आवश्यक कार्य करते रहेगें।

cBd 0;oLFkk %&

यह माध्यम आज की दशा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बहुत समय लेता है। कभी सामूहिक बैठक, कभी समिति बैठक, कभी अंर्तविभागीय बैठक आदि। आज के प्रशासनिक दबाव की स्थिति में बैठके आवश्यक सी बन गई, परन्तु विचारणीय प्रश्न यह बनता है कि क्या यह बैठक अर्थपूर्ण एवं परिणाम मूलक हो सकी है। यदि यह अत्यंत प्रभावी माध्यम मात्र एक औपचारिकता में सिमट जाये तो स्वाभाविक रुप से इसे समय साधन एवं व्यय के अतिरिक्त क्या कहा जा सकेगा? परन्तु यही साधन यदि पूरी व्यवस्था एवं तैयारी के साथ इस्तेमाल किया जाये तो यह अत्यंत ही प्रभावी तथा लाभप्रद साध्य भी हो सकता है। बैठक हेतु कुछ प्रमाणिक तैयारियॉ आवश्यक होती है बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या है ?

1. क्या ? यह जान लिया गया है कि बैठक के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अन्य कोई मार्ग नही जो कम खर्चीला होता है अथवा जिसमें समय एवं व्यय बच सकता है।
2. क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि संचार की इतनी सुलभ सुविधाओं से अपेक्षित परिणाम नही मिल सकते थे। क्या यह निश्चित कर लिया गया है कि बैठक में आमंत्रित प्रतिभागी किस स्तर के है क्या वे आप ही के विभाग के है या वे अन्य विभागों के। क्या कनिष्ठ स्तर के प्रतिभागियों को उनकी विषय विशेषज्ञता के कारण आमत्रित किया गया है अथवा वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रश्नों के उत्तर देने अथवा जानकारियॉ प्रदाय करने के उद्देश्य से ही आये है। इस दूसरी स्थिति को हतोत्साहित करना चाहिये ताकि प्रभारी अधिकारी की स्वयं की जानकारी का आंकलन किया जा सके अन्यथा यह केवल व्यय बढ़ाने की क्रिया ही होगी।

3. क्या बैठक हेतु एक एजेन्डा है ? क्या इसे पूर्व से सर्वसंबंधित को भेजा जा चुका है। बैठक संचालन की प्रक्रिया में सबसे पहले एजेन्डा आयटम का अच्छी तरह अध्ययन आपको स्वयं कर लेना चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप चर्चा को किस दिशा में ले जाना चाहते है। यह सावधानी बरतना चाहिए कि आप अपना अभिमत पूर्व में ही घोषित नही करेगें अन्यथा प्रतिभागी संकोचवश अपने विचार व्यक्त नही कर सकेगें। प्रारंभ में यह प्रयास किया जाना चाहिए कि बैठक का सहज वातावरण में प्रारंभ हो।

4. बैठक सामान्यतः निर्धारित समय पर प्रारंभ कर देना चाहिये। प्रतिभागियों की प्रतीक्षा में समय नष्ट नही करना चाहिये क्योंकि इससे समय पर आने वालों को गलत संदेश जायेगा और वे भी अगली बार देर से आ सकते है। यदि चर्चा विषय से बाहर जाने लगे तो सहज कौशल से उसे सही बिन्दुओं पर वापस ले आइयें। चर्चा का समय बिन्दुवार बांट देना चाहिये एवं संचालन में अपने कौशल से यह प्रयास करना चाहिये कि सभी प्रतिभागियों को बोलने का अवसर मिले।

5. अच्छे विचार एवं सुझाव देने पर उत्साह कि प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिये। बैठक के दौरान आपसी चर्चा को हतोत्साहित करना चाहिये।

चर्चा उपरांत चर्चित बिन्दुओं पर सामूहिक राय कायम करने का प्रयास करना चाहिये ताकि अधिकांश को यह महसूस हो कि निर्णय में उनका भी योगदान है, बैठक संचालन में कुछ ध्यान रखने योग्य प्रमुख बिन्दु है :-

1. अपनी वरिष्ठता का लाभ लेकर प्रतिभागियों पर अपने विचार थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

2. आपको स्वयं अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए एवं धैर्य से प्रतिभागियों को सुनना चाहिए। चर्चा में अनावश्यक तेजी अथवा किसी विवाद को लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए और न ही किसी प्रतिभागी के विचारों पर उत्तेजित रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिये। बैठक सामान्यतः निर्धारित समय पर समाप्त कर देने का प्रयास करना चाहिए ताकि प्रतिभागी अपने पूर्व निर्धारित व्यक्तिगत कार्यक्रमों में भाग ले सकें, बैठक का स्पष्ट वास्तविक इतिवत् तत्काल लिखना चाहिये एवं उसे यथाशीघ्र प्रतिभागियों को भेज देना चाहिये। कार्यालय प्रमुख से यह अपेक्षा होती है कि वह अपनी स्थापना एवं विभाग की नीतियों से अच्छी तरह अवगत हैं, उसे स्थापना संबंधी मूलभूत नियमों की जानकारी जिसमें अत्यंत ही लघु दिखने वाले किंतु महत्वपूर्ण बिन्दु होते हैं की जानकारी है। वित्तीय संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उसे अद्यावत रूप से मालूम होना चाहिए ताकि वह वित्तीय प्रबंधन, बजट प्रतिक्रिया आहरण एवं

वितरण अधिकारी के दायित्व एव ंक्रय नियम यात्रा भत्ता एवं अवकाश नियम आदि संबंधी प्रकरणों को सही ढंग से क्रियान्वित कर सकें। कार्यालयीन प्रबंधन में संवेदनशीलता का विशेष महत्व है। कार्यालय प्रमुख के नाते स्वयं के स्थापना में कार्य कर रहे कर्मचारियों की व्यक्तिगत कठिनाईयॉ एवं समस्याओं के प्रति उसे संवेदनशील रहना चाहिए। समय पर निराकरण एवं पारदर्शी निर्णय उसे अपने साथी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच प्रभावी ढंग से स्थापित कर सकें। उनकी व्यक्तिगत सेवा पुस्तिका एवं वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तथा मिल सकने वाले अग्रिम हेतु समय पर की गई कार्यवाही अपना निश्चित प्रभाव छोड़ती है, क्योकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी एक मिश्रित प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रमुख है। अतः उससे उच्चकोटि की संवेदनशीलता एवं कौशल की आवश्यकता होगी तथा वह अपने कर्तव्य निर्वाह में सफल भूमिका का निर्वाह कर सकता है ।

——0——

आज दुनिया के सामने जो बहुत सी समस्याऍ हैं, छोटे पैमाने पर एक गॉव में भी हुआ करती हैं। उत्पादन बढ़ाना, शिक्षा की योजना, आरोग्य का प्रबंध, पड़ौसी गॉव के संबंध, शान्ति की रक्षा ये सब काम गॉव में भी उपस्थित है। इसलिए एक ओर समस्या-निदान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था आवश्यक हैं, दूसरी ओर ग्राम स्वराज्य संस्था आवश्यक है। ग्राम स्वराज्य विश्व-समस्या को हल करने का ही एक प्रयोग है।

–विनोबा

l|puk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

भारत सरकार की यह एक साहसी पहल है जिससे भारत के नागरिकों को ऐसा अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह लोक महत्व की जानकारियॉ सरकार से प्राप्त कर सकता है। इससे सरकारी कामकाज, में अधिक पारदर्शिता आयेगी और खुलापन प्रकट होगा।

केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को दोषी अधिकारियों के विरूद्ध परिवाद या अपील पर विनिश्चय के समय दैनिक नियम शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार है तथा सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करने का भी अधिकार है, इसलिये यह अधिनियम अधिक प्रभावी दिखाई देता है। जागरूक नागरिक ही इसका लाभ उठा सकता है।

1- l|puk d| vf/kdkj e| 'kkfey g|&

1. कृति, दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण,
2. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित लेना,
3. सामग्री के प्रमाणित नमूना लेना,
4. डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी युक्ति में भण्डारित है अभिप्राप्त करना।

2- vfHky|[k e| D;k 'kkfey g|&

1. कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपी और फाइल,
2. किसी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और प्रतिकृति प्रति,
3. ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन, और,
4. किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

3- fuf"k) vfHky|[k&

कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। वह संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

1. सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध से विपरीत प्रभाव पड़ता हो या फिर अपराध को करने का उद्दीपन होता हों,

2. सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती है,

3. सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा,

4. सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतिभागी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी उजागर करने से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है,

5. किसी विदेशी सरकार से विश्वासय में प्राप्त सूचना,

6. सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने से अभियोजन की क्रीड़ा में अड़चन पड़ेगी,

7. मंत्रिमंडल के कागजात, जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं : परन्तु मंत्री परिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, विनिश्चय किये जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराये जाऐंगे।

8. सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का इत्यादि, इत्यादि।

¼vf/kfu;e dh /kkjk 8½

4- jkT; ljdkj d foHkkx@dk;ky; ftUg vf/kfu;e dh ifjf/k l ckgj j[kk x;k g&

छत्तीसगढ़ की सरकार ने निम्न को इस नियम की परिधि से बाहर रखा है :–

छत्तीसगढ़ की सरकार ने निम्न को इस नियम की परिधि से बाहर रखा है :–

1. पुलिस अधीक्षकों के अधीन विशेष शाखा,
2. नक्सली गतिविधियों से संबंधित गठित विशेष आसूचना शाखा,
3. पुलिस मुख्यालय विशेष शाखा एवं इस शाखा से सीधे मैदानी कार्यालय,
4. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, एस.ए.एफ.
5. सी.आई.डी.

¼lkekU; i'kklu foHkkx dekd ,Q- 7&16@2005@1@6] fnukd 22 vDVcj] 2005½

5- vfHkys[k ftudk idVu foLrr ykd fgr e ugh ekuk x;k g&

गोपनीय प्रतिवेदन तथापि यह अभिलेख की श्रेणी में आता है। किन्तु यह व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है। इसका उजागर करना किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है। शासन का मानना है कि इसको उजागर करने से व्यक्ति की निजता (Privacy) का उल्लघंन होता है इसलिये ऐसी सूचना प्रदाय किया जाना बंधनकारी नहीं है।

6- vf/kfu;e dk ikyu lfufpr dju dh 0;oLFkk D;k g&

1. अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिये अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्येक कार्यालय/विभाग में लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किये गये हैं।
2. जहॉ किसी मामले में किसी व्यक्ति को सूचना के अधिकार से वंचित किया गया है अथवा जानकारी अपूर्ण दी गई है अथवा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय नहीं की गई है या लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है, तो अपील सुनने के लिये अपीलीय प्राधिकारी को नामांकित किया गया है।
3. कोई भी सूचना निःशुल्क प्राप्त नहीं होगी। इसके लिये आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रारूप पर आवदेन करना होगा तथा उसके साथ रूपये 10.00 शुल्क जमा करना होगा। आवेदन पूर्ण विवरण के साथ सादे कागज पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन स्वयं प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा डाक से भी भेजा जा सकता है। डाक से भेजने की स्थिति में आवेदन के साथ 10 रूपये का नान–ज्युडिशियल स्टाप्म संलग्न करना होगा। नगद जमा के मामले में पावती दी जावेगी।

7- vkonu dk fujkdj.k&

अधिनिमय की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शुल्क जमा करने के दिनांक से 30 दिन के भीतर आवेदन का निराकरण किया जायेगा। चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जायेगी अथवा उपलब्ध नहीं करा पाने का कारण सूचित किया जावेगा। जहॉ मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहॉ वह अनुरोध करने पर 48 घंटों के भीतर भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

8- vkonu dk fujkdj.k dl gkxk&

1. यदि अभिलेख की छाया प्रति चाही गई है तो A4/A3 साइज की फोटोकॉपी के लिये 2.00 रूपये प्रति पृष्ट के हिसाब से मांग करने पर आवेदक तीन दिन के अन्दर जमा करेगा।
2. यदि आवेदक दस्तावेज का अवलोकन करना चाहता है तो एक घन्टे या उससे कम समय के लिये 50.00 रूपये का और तत्पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट क लिये रू. 25.00 के मान से नगद या नान–ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में शुल्क जमा करेगा।

3. यदि आवेदक किसी सामग्री का प्रमाणित नमूना लेना चाहता है तो नमूने की निर्धारित लागत जमा करेगा।

4. जहॉ ऐसी सूचना का भण्डारण कम्प्युटर में किया गया है तो ऐसी सूचना के डिस्केट्स या फ्लापी में उपलब्ध कराने हेतु 50.00 रूपये प्रति डिस्केट्स या फ्लापी के मान से जमा करेगा। जहॉ सूचना टेप या वीडियो कैसेट में उपलब्ध करानी हो वहॉ टेप या कैसेट या वीडियो की वास्तविक लागत मांगे जाने पर शीघ्र जमा करेगा।

9- 'kYd ls eqfDr&

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों से कोई फीस मूल आवेदन करते समय या अपील करते समय नहीं की जायेगी।

10- vihy&

1- *iFke vihy&* यदि अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के भीतर 50.00 रूपये शुल्क के साथ अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपील की जा सकती है। अपील का शुल्क नगदी में जमा किया जा सकता है अथवा अपील के ज्ञापन के साथ नान–ज्युडिशियल स्टाम्प संलग्न किये जा सकते हैं। यदि पर्याप्त कारण हो तथा अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाये तो 30 दिन के बाद भी अपील ग्राह्य की जा सकेगी। प्रथम अपील विभागीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुनी जायेगी।

अपील का निराकरण अपील प्राप्त किये जाने से 30 दिन के भीतर और अधिकतम 45 दिन के भीतर किया जायेगा।

2- *f}rh; vihy&* द्वितीय अपील रू. 100.00 शुल्क के साथ 90 दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को की जा सकती है। राज्य सूचना आयोग पर्याप्त कारणों से देरी से की गई अपील को भी ग्राह्य कर सकता है।

राज्य सूचना आयोग लोक प्राधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील प्रस्तुत होने के दिनॉक से 30 दिन के भीतर अपील का निराकारण करेगा।

राज्य सूचना आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ शासन के निर्णयानुसार अपील में अधिवक्ता की सहायता की जा सकती है।

11- vf/kfu;e dgk¡&dgk¡ iHkkoh'khy

1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय। शासन द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित समस्त निकाय।
2. गैर सरकारी संस्थान, शासन या उसकी किसी संस्था से वित्त पोषित है अनुदान के रूप में, जिसका प्रतिवर्ष वार्षिक टर्नओवर पचास हजार या उनके टर्नओवर का 50 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर हैं, पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होगा।

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005
iath dk izk:i

¼lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dh /kkjk 6 ds vUrxZr /kkfjr dh tkus okyh iath dk izk:i½

l-Ø-	vkosnd dk uke lLFkk@QeZ	vkosnd dk lEidZ	vkosnu iLrqfr dk fnukad	vkosnu ikIr gksus dk ek/;e
1	2	3	4	5

fo"k;	vkosnd }kjk tek fd;k x;k 'kqYd jlhn dh -----fnukad-------	vkosnd dk mifLFkfr gksus ds fy;s nh xbZ	'kk[kk	lEcfU/kr dk Hkstu dk fnukad@'kk[kk
6	7	8	9	10

ikIrdrkZ ds gLrk{kj	'kk[kk ls tkudkjh ikIr gksus dh fnukad	vkosnu dk fujkdj.k		fjekdZ
		fnukad	Lo:i	
11	12	13	14	15

ykd l|puk vf/kdkfj;ksa ds uke] inuke ,oa vU; fof’k"V;ka

ykd ikf/kdj.k dk uke & ipk;r ,oa xzkeh.k fodkl foHkkx

Ø-	ykd ikf/kdkjh bdkbZ dk Lrj	foHkkx@'kk[kk dk uke	lgk;d ykd l|puk vf/kdkjh dk inuke	ukfer ykd l|puk vf/kdkjh dk inuke	foHkkxh; vihyh; vf/kdkjh dk inuke
1	शासन स्तर पर	1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	अवर सचिव	संयुक्त सचिव	विशेष सचिव
2	मुख्यालय स्तर पर	1. विकास आयुक्त कार्यालय	उपायुक्त	संयुक्त आयुक्त	विकास आयुक्त
		2. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	कार्यपालन अभियंता, ग्रा.या.से.	अधीक्षण अभियंता, ग्रा.या.से.	मुख्य अभियंता ग्रा.या.से.
		3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	कार्यपालन अभियंता (मानिटरिंग)	अधीक्षण अभियंता ग्रा.या.से.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
		4. पंचायत संचालनालय	उप संचालक पंचायत (प्रशासन)	संयुक्त संचालक पंचायत	संचालक पंचायत
3	जिला स्तर पर	1. ग्रामीण विकास विभाग	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी / सहा. परियोजना अधिकारी, जिला	पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पचांयत	कलेक्टर
		2. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सहायक अभियंता, ग्रा.या.से.	कार्यपालन अभियंता, ग्रा.या.से.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
		3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	सहा. अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
		4. पंचायत शाखा	जिला आडिटर पंचायत एवं समाज कल्याण	उप संचालक / संयुक्त संचालक, पं. एवं स. कल्याण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4.	जनपद स्तर	1. विकास शाखा	विकास विस्तार अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
5.	ग्राम पचांयत स्तर	1. पंचायत शाखा		सचिव ग्राम पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

lkekftd vd{k.k ¼iol vkn’k½ & Hkkx 1

1- okf"kd dk; ;ktuk dk fuek.k

1.1 ग्राम पंचायत द्वारा जवाहर रोजगार योजना की 80 प्रतिशत सीधी प्राप्त होनी वाली राशि से वित्तीय वर्ष में लिये जाने वाले कार्यो की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जावेगी। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की बैठक में वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तावों को पारित करा ग्राम सभा से उनका अनुमोदन अनिवार्य है।

1.2 ग्राम सभा से अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना से ही भविष्य में निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा लिये जावेगे।

1.3 ग्राम पंचायत यदि वार्षिक कार्य योजना में कोई परिवर्तन करना चाहे तो उसके प्रस्ताव पर परिवर्तित कार्यों की सूची का अनुमोदन अगली ग्राम सभा में कराना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् ही ग्राम पंचायत परिवर्तित कार्य ले सकेगी।

2- dk; dk ikDdyu %

2.1 ग्राम पंचायत की निर्माण कार्य प्रांरभ करने के पूर्व निर्माण कार्य का अपने स्तर पर एक प्राक्कलन तैयार करना होगा।

2.2 निर्माण कार्य के प्राक्कलन में मजदूरी, सामग्री पर अनुमानित व्यय की राशि तथा निर्माण में लगने वाली विभिन्न सामग्रियों की अनुमानित मात्रा का उल्लेख होगा।

2.3 प्राक्कलन ग्राम पंचायत की निर्माण एंव विकास समिति द्वारा तैयार किया जावेगा। उचित होगा कि समिति ग्राम पंचायत से संलग्न ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री की मदद लें।

2.4 निर्माण कार्य का प्राक्कलन ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित करवाया जावेगा।

3- fuek.k dk; d fØ;kUo;u dh bdkb %

3.1 ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम के दायरे में लागू किये जा सकने वाले सभी कार्यो के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व अब ग्राम पंचायत को होगा।

3.2 ग्राम पंचायत द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्य सरपंच के बजाय मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धाा 46 (3) के तहत बनाये गये नियम, मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और काम करने के संचालन की प्रक्रिया नियम, 1994 के नियम 3–1 ख के तहत गठित ''निर्माण एवं विकास समिति'' के द्वारा कराया आवश्यक होगा।

3.3 कार्यो का नियमानुसार करवाने का उत्तरदायित्व समिति के सभी सदस्यों का संयुक्त रुप से होगा।

3.4 निर्माण कार्य समिति द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरुप कराया जावेगा।

4- *rduhdh lgk;rk*

4.1 ग्राम पंचायत द्वारा चाहे जाने पर तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा प्रदान की जावेगी।

4.2 जनपद पंचायत के अंतर्गत पदस्थ उपयंत्रियों के मध्य ग्राम पंचायतों का बटवारा किया गया है। प्रत्येक पंचायत के लिये एक उपयंत्री का जवाबदार बनाया गया है।

4.3 ग्राम पंचायत द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार करने उपयंत्री द्वारा आवश्यकतानुसार मदद की जावेगी।

4.4 उपयंत्री का यह दायित्व होगा कि माह में दों बार संबंधित ग्राम पंचायत में जावेगा। ग्राम पंचायत द्वारा मांगे मार्गदर्शन पर उपयंत्री द्वारा लिखित में सलाह दी जावेगी।

5- *lkekftd vd{k.k d vrxr vku oky dk; %&*

5.1 पंचायत क्षेत्र में किये जाने वाले निम्नलिखित कार्य सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत किये जावेगें :–

(क) 80 प्रतिशत जवाहर रोजगार योजना के कार्य

(ख) हितग्राही मूलक येाजनाओं से संबंधित कार्य

(ग) अन्य सामान्य कार्य जिनमे ग्राम पंचायत क्षेत्र से शासकीय विभागों द्वारा करवाये जाने वाले कार्य भी होगें।

6- *lkekftd vd{k.k dh ifØ;k %*

6.1 शासन द्वारा निर्धारित दिनांकों को ग्राम सभा को आहुत करने का दायित्व सरपंच का है।

6.2 ग्राम सभा में निर्धारित कोरम होना चाहिये।

6.3 ग्राम सभा में सरपंच द्वारा निर्माणाधीन एवं पूर्ण किये गये कार्यो के संपूर्ण ब्यौरें प्रस्तुत किये जावेगें। निर्माणाधीन कार्यो के बारें में प्रगति विवरण, जिनमें स्वीकृति दिनांक प्राक्कलन अनुसार धन राशि उस पर सामग्रीवार व्यय मजदूरी पर व्यय, गुणवत्ता आदि शामिल होगा, ग्राम सभा को दी जावेगीं

6.4 दो ग्राम सभाओं के बीच की अवधि का प्रतिवेदन एवं कार्य होने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

6.5 मूल दस्तावेज ग्राम सभा में किसी को सौपे नही जावेगें। आवश्यकता होने पर पढ़ कर सुनाये जायेगें। अभिलेख की सुरक्षा का दायित्व सरपंच का होगा।

6.6 ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कार्य का ब्यौरा या तो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर दिया जावेगा या आपत्ति होने पर अनुमोदन नही होने की अवस्था में लिखित सूचना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेजी जावेगी। इस सूचना में वह सभी बिन्दु सम्मिलित किये जावेगें जिन पर ग्राम सभा करवाना चाहें। यह सूचना ग्राम सभा में उपस्थित पंचायत सचिव या किसी अन्य शासकीय कर्मचारी या स्वयं आपत्तिकर्ताओं द्वारा दी जा सकती है।

6.7 शासकीय विभागों द्वारा करवायें जा रहे कार्यो का विवरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। इस हेतु विस्तृत निर्देश पृथक से प्रसारित किये जायेगें।

7- vuqfoHkkxh; vf/kdkjh }kjk dk;Zokgh %

7.1 ग्राम सभा से सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी अपने न्यायालय में पचांयत राज अधिनियम के तहत् प्रकरण दर्ज करेगा।

7.2 सूचना की जॉच करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा :–

7.2.1 निर्माण कार्य से सबंधित शिकायत प्राप्त होने पर जॉच समिति उस ग्राम पंचायत का एक पंच (जो निर्माण एवं विकास समिति का सदस्य न हो) विकासखंड का उपयंत्री तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांकित एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे।

7.2.2 हितग्राही मूलक योजना एवं विभागीय कार्य से सबंधित शिकायत होने पर जॉच समिति में उस पंचात का एक पंच, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र मे एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे।

7.2.3 इन समितियों के संयोजक उसमें नामांकित शासकीय कर्मचारी होंगे।

8- tkp izfronu ij dk;Zokgh %

8.1 जॉच समिति जॉच हेतु तिथि निर्धारित कर उस सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को देगी।

8.2 जॉच का कार्य मौके पर ही किया जावेगा। जॉच के दौरान सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जावेगा। जॉच समिति को संबंधितों द्वारा पूर्ण अभिलेख उपलब्ध करवाया जावेगा।

8.3 यह समिति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि के अंतर्गत अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को सौंप देगी।

9- tkp ifronu mijkr dk;okgh %

9.1 जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी किसी अधिकारी को जाच प्रतिवेदन ग्राम सभा में पेश करने हेतु नियुक्त करेगा।

9.2 यह अधिकारी ग्राम सभा के दिन उपस्थित रह कर प्रविदन ग्राम सभा मे प्रस्तुत करेगा।

9.3 ग्राम सभा यदि संतुष्ट हो जो जॉच प्रकरण समाप्त करने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी को भेजेगी।

9.4 अनुशंसा प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण समाप्त कर देगा।

9.5 यदि ग्राम सभा संतुष्ट न हो तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी को भेजेगी। इसकी सूचना कण्डिका 6.1 में नामांकित अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को लिखित में देंगे।

9.6 अनुशंसा प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी पंचायत राज अधिनियम के तहत् अपने न्यायालय में पूर्व से दर्ज प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही करेगा।

dk;Øe fu"iknu e ikIr f’kdk;r

10- vufoHkkxh; vf/kdkjh dk ikIr vU; f’kdk;rk dh tkp ,o i;ok{k.k %

10.1 ग्राम पचांयत के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी इस बात का समाधान करेंगे कि क्या प्रकरण में आगे कार्यवाही आवश्यक है। पर्याप्त औचित्य सामने आने पर कंडिका 7, 8 व 9 के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

11- ekuhVfjx ,o fujh{k.k %

उक्त अनुसार दर्ज प्रकरणों की मासिक समीक्षा राजस्व अधिकारियों की बैठक में की जावे। संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, कलेक्टरों एवं अनुविभागीय अधिकारियों के न्यायालयों के निरीक्षण के समय इन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जावेगी।

त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा किये जा रहे कार्यो में अधिक पारदर्शिता लाना था। गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

––0––

lkekftd vad{k.k NREGA ds lEcU/k esa Hkkx 2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनांतर्गत किए गए कार्यों में पारदर्शिता जवाबदेही तथा ग्रामीण समुदाय के लोगों को भागीदारी बनाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण का बुनियादी मकसद लोगों का शासन के साथ कार्य कर परियोजनाओं, कानूनों और नीतियों के कियान्वयन, मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होता है।

सामाजिक अंकेक्षण व्यापक अर्थ में निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके जरिए किसी गतिविधि या परियोजना के संभावित लाभान्विती तथा अन्य सामाजिक पक्षों को संबंधित गतिविधि या परियोजना के नियोजन से लेकर कियान्वयन निगरानी और मूल्यांकन तक की हर अवस्था में शामिल रखा जाता है।

lkekftd vad{k.k ds rRo %&

- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्राप्त अधिकार एवं सुविधाओं के बारें में जागरूकता को बढ़ावा देना है।
- विशेषकर, सामाजिक अंकेक्षण में भागीदार बनने का अधिकार।
- सभी दस्तावेज एवं प्रपत्र उपयोग हेतु सुलभ उपलब्ध हो।
- सभी जानकारियों को देखा व पढ़ा जा सके साथ ही उसका आंकलन किया जा सकें।
- प्रभावित लोगों के समक्ष पारदर्शिता एवं सहभागिता के आधार पर निर्णय लिये जाने की प्रकिया की जावे।
- नमूना व चकीय कम में प्रभावित लोगों का प्रमाण–पत्र, माप व निरीक्षण किया जावें।
- सामाजिक अंकेक्षण से पाए गए तथ्यों पर शीघ्र कार्यवाही किया जावे।

jkstxkj xkjaVh esa lkekftd vad{k.k

1- lkekftd vad{k.k D;ksa vko';d gS

- सामुदायिक भागीदारी।
- मस्टर रोल की जांच।
- जवाबदेही का निर्धारण।
- अनियमितता पर रोक।
- पारदर्शिता का निर्धारण।

- न्याय संगत प्रक्रिया।
- निष्पक्षता का निर्धारण।
- योजना के प्रभाव का मूल्यांकन।
- गलतियों में सुधार।
- सही दिशा का निर्धारण।

2- *lkekftd vad{k.k l iol dh r;kjh@ftEenkfj;k%&*

- कम से कम 1 माह पूर्व सामाजिक अंकेक्षण की घोषणाा करते हुए एजेंडा जारी किया जावें, जिसमें स्थान, तिथि व समय तथा जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों का स्पष्ट उल्लेख हो।
- सामाजिक अंकेक्षण का प्रचार–प्रसार वृहद स्तर पर हो।
- सामाजिक अंकेक्षण हेतु समस्त अभिलेख कम से कम 15 दिवस पूर्व ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो जिसे देखा व पढ़ा जा सकें।

सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजित कर किया जायेगा। ग्रामसभा का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नहीं बनाया जावेगा। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव द्वारा ग्राम सभा की कार्यवाही विवरण दर्ज की जावेगी। उक्त सचिव संबंधित ग्राम पंचायत में नियुक्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा में उपस्थित लोागों के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर उस कार्य के क्रियान्वयन एजेंसी के उपस्थित जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी द्वारा दिया जावेगा। ग्रामसभा का समय ऐसा होना चाहिए जिससे सभी लोग, खासतौर से योजना में काम करने वाले मजदूर, औरतें और पिछड़े समुदाय उसमें आसानी से हिसा ले सकें। सारे प्रस्ताव और फैसले मतदान के आधार पर लिए जाएँगे लेकिन जो लोग/पक्ष अल्पमत में हैं उनकी बात भी नोट जरूर की जानी चाहिए। पिछली सामाजिक ऑडिट फोरम से संबंधित कार्यवाही रिपोर्ट को अगले फोरम में सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण फोरम और तकनीकी दलों की रिपोर्ट एक निश्चित समय के भीतर कार्यक्रम अधिकारी और जिला पंचायत को भेज दी जानी चाहिए ताकि वह उन पर उचित कार्यवाही कर सकें।

3- *lkekftd vad{k.k fdu fcnqvk ij dh tko %&*

- ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण।
- पंजीकृत परिवारों के रोजगार कार्ड का वितरण।
- परिवार द्वारा रोजगार हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति।

- कार्यो की सूची एवं स्थलों का चयन।
- कार्य योजना का ग्रामसभा में अनुमोदन।
- तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृतियॉ तथा कार्य आदेश।
- निर्धारित तिथि में आवेदक श्रमिकों को कार्य आबंटन।
- कार्यो का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण।
- कार्य का मूल्यांकन व सत्यापन।
- उपयोग किए गए मस्टर रोल की जॉच।
- निर्धारित तिथि में मजदूरी भूगतान।
- सामग्री खरीदी, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अन्य व्यय की जानकारी।
- माप पुस्तिका की छायाप्रति।
- प्राप्त शिकायत एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण।
- बेरोजगारी भत्ता की मांग एवं भुगतान।
- ग्रामसभा में सामाजिक अंकेक्षण।

4- lkekftd vd{k.k l gku oky ykHk %&

- सामाजिक अंकेक्षण से योजनांतर्गतत किए गए कार्यो में पारदर्शिता आएगी तथा अनियमिताओं पर रोक लगेगी।
- सहभागी प्रजातंत्र मजबूत होगा तथा शासन एवं समाज के बीच में भरोसा बढ़ेगा।
- मजदूरों को सही समय पर काम व सही मूल्यांकन के आधार कार्य की सही मजदूरी प्राप्त होगी।
- शासन द्वारा दी जाने वाले अधिकार एवं सुविधाओं से ग्रामीण जागरूक होंगे।
- शासन द्वारा प्रदाय राशि का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, ग्रामीण जन जान सकेंगे।

——0——

गॉव का सारा इन्तजाम गॉव को अपने हाथ में लेना होगा। अपना भला-बुरा दूसरा कोई नहीं कर सकता, हम खुद ही अपना उद्धार कर सकते हैं, ऐसा आत्मविश्वास गॉव वालों में पैदा करना होगा। गॉव का कारोबार सम्भालने के लिए ग्रामसभा बनानी होगी।

–विनोबा

ipk;r ,o inkf/kdkfj;k ij fu;=.k

सत्ता के विकेन्द्रीकरण के तहत् जहॉ एक ओर पंचायत राज संस्थाओं को वयापक अधिकार एवं दायित्व सौपे गए है वही दूसरी ओर पंचायत राज अधिनियम में पंचायत राज संस्थाओं पर नियंत्रण के भी पर्यापत प्रावधान किये गये है।

1- fujh{k.k %&

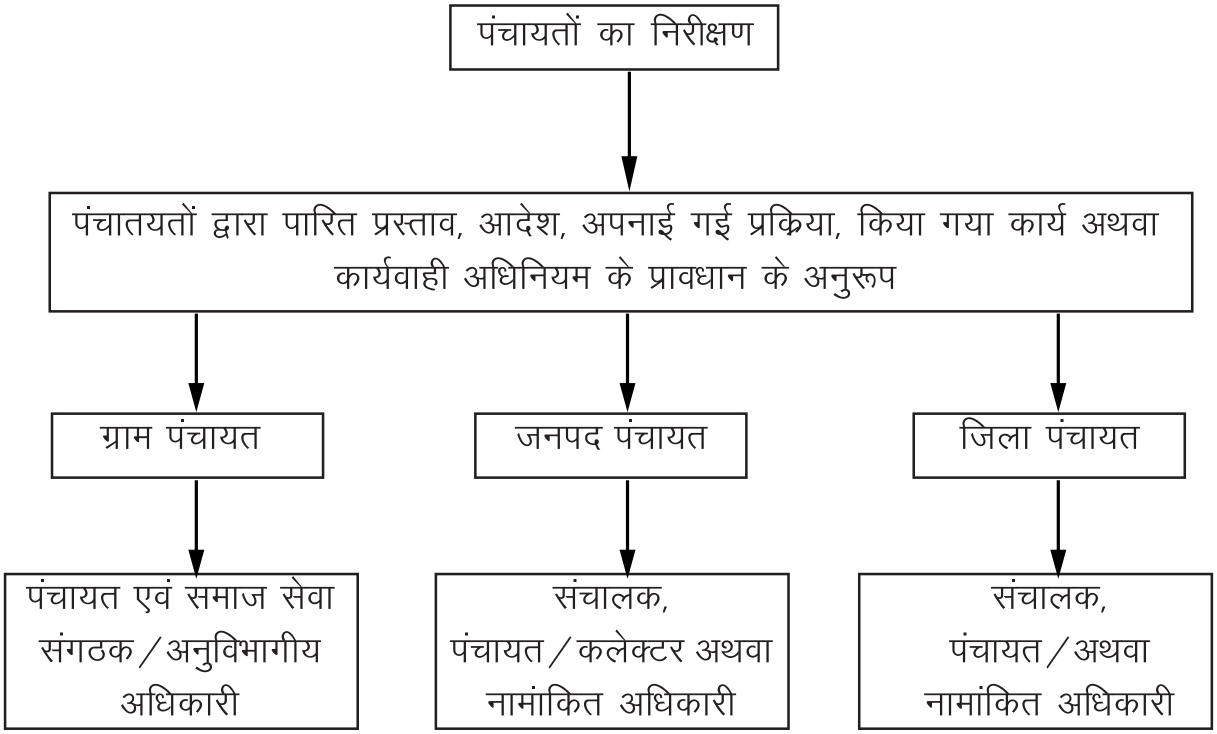

पंचायत राज अधिनियम के धारा 84 में पंचायतों के निरीक्षण का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत प्राधिशत अधिकारी समय–समय हपर पंचायत की कार्यवाहियों एवं कार्यों का निरीक्षण छत्तीसगढ़ पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम 1995 में निर्देशानुसार कर करेंगे।

निरीक्षण कर्ता अधिकारी निम्नानुसार होंगे –

1. *xke ipk;r %&* पंचायत एवं समाजसेवा संगठक/अनुविभागीय अधिकारी
2. *tuin ipk;r %&* संचालक (पंचायत), कलेक्टर स्वयं अथवा उसके द्वारा नामांकित अधिकारी
3. *ftyk ipk;r %&* संचालक (पंचायत) या उसके द्वारा नामांकित अधिकारी

पंचायत संस्थाओं का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा रोस्टर तैयार कर में कम से कम एक बार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार आकस्मिक निरीक्षण भी कर सकेंगे।

निरीक्षण कर्ता अधिकारी पंचायतों का निरीक्षण करते समय देखेंगे कि पंचायतों द्वारा पारित प्रस्ताव, आदेश, अपनायी गई प्रक्रिया, किया गया कार्य अथवा की गई कार्यवाही अधिनियम में प्रावधानों के अनुरूप किया गया है या नहीं।

fujh{kd vf/kdkjh dh 'kfDr;k¡ %&

निरीक्षणकर्ता अधिकारी निरीक्षण के दौरान आवश्यकतानुसार गवाह बुला सकेंगे। साक्ष्य अभिलिखित कर सकेंगे, अभिलेख की प्रतियां ले सकेंगे, अभिलेख जब्त कर सकेंगे। तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकेंगे।

अभिलेख जब्त करने की स्थिति में निरीक्षकर्ता द्वारा पंचायतों को जब्त की जाने वाली अभिलेखों की पावती देगा।

निरीक्षणकर्ता इस बात का ध्यान रखें कि जब्त किए गए अभिलेख आवश्यकता से अधिक समय तक अपने पास नहीं रखेंगे।

fujh{k.k fjiksVZ %&

निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण पूर्ण करने के बाद यथा शीघ्र निरीक्षण टीप तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट में निरीक्षक के बिन्दु पर टीप प्रस्तुत की जाएगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण का निर्देश देने वाले अधिकारी या प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

2- iapk;rksa ds vkns'kksa dk fu"iknu fuyafcr djus dh 'kfDr ¼/kkjk 85½%&

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत् पंचायत संस्थाओं को सौपे गए अधिकारों एवं दायित्वों पर लोकहित तथा विशिष्ट कारणों पर राज्य शासन तथा विहित प्राधिकारी को अधिकार प्रावधानित है। अनिधिनियम के धारा 85 के तहत् राज्य सरकार अथवा विहित अधिकारी लिखित आदेश द्वारा पंचायत द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के निष्पादन को निलंबित कर सकेंगे साथ ही किसी पंचायत द्वारा किसी कृत्य के पालन को निम्न स्थितियों में प्रतिशिद्ध भी कर सकेगा :–

धारा 85 की कार्यवाही के कारण :–

1. यदि विहीत अधिकारी के राय में ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या कार्य वैध रूप से पारित, जारी, मंजूर या प्राधिश्त नहीं किया गया है।
2. उपरोक्तानुसार कार्यवाही विधि विरूद्ध होने पर।
3. पंचायत की हानि, अथवा सम्पत्ति का नुकसान होना संभावित हो।

4. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ना संभावित हो।

5. जनता के किसी वर्ग या निकाय को क्षति या होना संभावित हो।

6. शांति भंग होना सम्भावना हो।

अधिनियम की धारा 85 के उप धारा 1 के अधीन जारी किए जाने वाले आदेश की एक प्रत राज्य शासन अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को 10 दिनों के भीतर प्रेषित करेंगे। प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेंगा या अपास्त कर सकेगा अथवा उसे पुर्नरीक्षित कर सकेगा। यह निर्देश भी दे सकेगा कि वह आदेश उपान्तरण सहित या उसके बिना स्थायी रूप से जैसा उन्हें उचित लगे ऐसे कालावधि के लिए लागू रखेगा।

विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश राज्य शासन या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी द्वारा तब तक पुष्टि अपास्त, पुर्नरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित पंचायत को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का युक्ति अवसर नहीं दे दिया जाता है।

3- iapk;rks ds drZO;ks dk fu"iknu djus ds fy, vkns'k nsus dh jkT; ljdkj dh 'kfDRk ¼/kkjk 86½ %&

राज्य सरकार विहित प्राधिकारी पंचायत राज अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित कर्तव्य के पालन हेतु निर्देश दे सकेगा जिसका पालन या निष्पादन पंचायत संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है। जबकि उसका पालन या निष्पादन लोकहित में किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार सा विहित अधिकारी पंचायत राज अधिनियम के धारा 86 के तहत् उपरोक्तानुसार आदेश पंचायतों को दे सकेगा।

धारा 86 (1) के तहत् जारी आदेश पालन के लिए पंचायते आबद्ध होगी। पंचायतें यदि ऐसा नहीं करती है तो राज्य सरकार या विहित अधिकारी उन निर्देशों को पंचायत के व्यय से कराने की समस्त शक्तियॉ प्राप्त होगी। विहित प्राधिकारी ऐसी शक्तियों के प्रयोग करने में वह उस पंचायत या उसके अधिकारी या सेवक जिसकी शक्तियॉ प्रयोग में लाई जाती है के समान ही इस अधिनियम के अधीन उसी संरक्षण का उसी सीमा का हकदार होगा।

4- 0;fDrØe] 'kfDr;ksa ds nq:i;ksx ds fy, iapk;rks dks fo?kfVr djus dh jkT; ljdkj dh 'kfDr ¼/kkjk 87½ %&

यदि राज्य शासन या विहित प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई पंचायत इस अधिनियम द्वारा, उसके अधीन या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन पंचायतों को सौपे गए कर्तव्यों का पालन करने में बार–बार व्यतिक्रम कर रही है या फिर पंचायतें अपनी शक्तियों से परे कार्य करती है या अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करती है अथवा राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी

के किसी आदेश का पालन नहीं करती है तो राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी पंचायत राज अधिनियम के धारा 87 के तहत् उचित जांच करने के उपरांत पंचायत का विघटन कर सकेगा तथा पंचायत का नए सिरे से गठन के लिए आदेश दे सकेगा।

पंचायत को विघटन किए जाने संबंधी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक पंचायत को अपना पक्ष रखने का युक्ति अवसर न दे दिया गया हो। स्पष्टीकरण की सूचना यथा स्थिति ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के सरपंच या अध्यक्ष को संबोधित की जाएगी। सूचना की तामिली पंचायत राज अधिनियम की धारा 119 के प्रावधान के तहत् की जाएगी। पंचायत द्वारा सूचना का उत्तर पंचायत के संकल्प के रूप दिया जाएगा।

fo?kVu ds ifj.kke %&

(1) समस्त पदधारी आदेश की तारीख से अपने–अपने पद रिक्त कर देगे।

(2) पंचायत के पुनर्गठन होने तक राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी व्यक्ति या व्यक्तियों की समिति नियुक्त करेगा जिनके द्वारा पंचायत के शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी गठित समिति का प्रधान भी नियुक्त किया जाएगा।

(3) ऐसी गठित समिति या उनके द्वारा प्राधिष्त सदस्य पंचायत की ओर से वाद चला सकेगा या विधिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा। पंचायत के विरूद्ध संस्थितवाद का प्रतिवाद कर सकेगा।

(4) ऐसा नियुक्त किया गया सदस्य अपनी सेवाओं के लिए संबंधित पंचायत निधि से ऐसा संदाय प्राप्त कर सकेगा जो राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे।

(5) विघटित पंचायत का पुर्नगठन छः माह के भीतर किया जाएगा। ऐसी पुनर्गठित पंचायत इस पंचायत की शेष अवधि के लिए कार्य करेगा । यदि कार्यकाल की शेष अवधि 6 माह से कम हो तो इस कालावधि के लिए पंचायत का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा।

5- iapk;r ds dk;Zdykiksa dh tkap %&

पंचायत राज अधिनियम के धारा 88 में प्रावधान है कि राज्य सरकार समय–समय पर अपने किन्ही अधिकारियों द्वारा पंचायत की जांच, उससे संबंधित विषयों के बारे में या किसी ऐसे विषय के बारे में जिसके संबंध में राज्य सरकार की मंजूरी, अनुमोदन, राय या आदेश इस अधिनियम या उनके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित है करवा सकती है।

6- gkfu ;k nq:i;ksx ds fy, iapk@lnL;ksa dk nkf;Ro %&

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के धारा 89 में प्रावधान किया गया है कि पंचायत धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिए संबंधित पंचायत के पंच एवं सदस्यों को

भी दोषी माना जा सकेगा। पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिए, जिसमें वह एक पक्षरहा है या जो उसके द्वारा अवचार के या उसके कर्तव्य या दुरूपयोजन की प्रतिपूर्ति करने के लिए अपेक्षित है, विहित प्राधिकारी द्वारा वसूल की जाएगी।

7- ipk;r vkj LFkkuh; ikf/kdkfj;k d chp fookn ¼/kkjk 90½ %&

(1) पंचायत राज अधिनियम की धारा 90 के तहत् दो या दो से अधिक पंचायतों के बीच या पंचायत और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच किसी ऐसे विषयों के संबंध में, जिसमें से संयुक्त रूप से हितबद्ध है, कोई विवद अद्भूत होने की दशा में, ऐसा विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। परन्तु यदि विवाद पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच है तो राज्य सरकार का विनिश्चय केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

(2) ऐसे विवादों को निपटाने के संबंध में राज्य सरकार धारा 90 (2) के तहत् नियम बना सकेगी।

8- vihy ,o iqujh{k.k ¼/kkjk 91½ %&

पंचायत राज अधिनियम की धारा 91 में अपील तथा पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत् पंचायतों के तथा अन्य प्राधिकारियों के आदेशों या कार्यवाहियों के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण सक्षम प्राधिकारी को किए जा सकेंगे।

vihy rFkk vihyh ikf/kdkjh %&

vkns'k ikfjr djus okys vf/kdkjh	vihyh; ikf/kdkjh
उपखण्ड अधिकारी	कलेक्टर
कलेक्टर	संचालक
संचालक पंचायत	राज्य सरकार

पंचायतों द्वारा पारित आदेश हेतु विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नानुसार है :–

1. ग्राम पंचायत — उपखण्ड अधिकारी
2. जनपद पंचायत — कलेक्टर
3. जिला पंचायत — आयुक्त

अपीली प्राधिकारी को अपील करने की अधिकतम सीमा 30 दिन है किन्तु 30 दिन के पश्चात भी अपीली प्राधिकारी अपील स्वीकार कर सकेगा जब उनको यह समाधान हो जाएकि समयावधि में अपील प्रस्तुत न करने का कारण औचित्यपूर्ण है।

iqujh{k.k %&

अपीली प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी भी समय उनके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में या की गई कार्यवाही की नियमितता के संबंध में अपना स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए जैसा उचित समझे अधीनस्थ प्राधिकारी से लंबित या निर्णित मामले के अभिलेख मंगवा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा या उसके संदर्भ में आदेश दे सकेगा।

परन्तु कोई भी आदेश जब तक परिवर्तित नहीं कर सकेगा जब तक हितबद्ध व्यक्ति (पक्षकारों) को सुनवाई का अवसर न दिया हो –

1. राज्य सरकार द्वारा किसी मामले के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो तो उस मामले पर अन्य प्राधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।
2. पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी मामले पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी हो ऐसे प्रकरण में राज्य सरकार तब तक कोई कार्यवाही नहीं करेगी जब तक पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी कार्यवाही का नंतिम निपटारा न कर दिया हो।

le; lhek %&

पुनरीक्षण के लिए कोई भी आवेदन, आदेश की तारीख से साठ दिन समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा। पुनरीक्षण प्राधिकारी 60 दिन के बाद भी आवेदन ग्रहण कर सकेगा। यदि उन्हें यह समाधान हो जाए कि आवेदन को उस कालावधि के भीतर प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

- अपील या पुनरीक्षण ज्ञापन के रूप में होगा जिसमें आपत्ति के आधारों का संक्षेप में उल्लेख होगा। आवेदन के साथ पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी।
- अपीली या पुनरीक्षण प्राधिकारी प्रस्तुत आवेदन पर निविश्चय होने तक स्थगन दे सकेगा।
- अपीली या पुनरीक्षण प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आवश्यकतानुसार जिसके विरूद्ध अपील में की गई है कि पुष्टि, परिवर्तन या अपास्त कर सकेगा।
- अपीली या पुनरीक्षण अधिकारी पक्षकारों को ऐसे खर्चे दिला सकेगा जैसा वह उचित समझे।

9- vfHkys[k vkj oLr|,i okil djkui rFkk /ku ol|y djui dh 'kfDr %&

कोई व्यक्ति अप्राधिष्त रूप से पंचायत का कोई अभ्झिलेख या वस्तुएं या धन अपनी अभिरक्षा में रखा हो तो विहित प्राधिकारी पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत इस प्रयोजन हेतु नियुक्त अधिकारी के समक्ष सौपने हेतु लिखित आदेश जारी कर सकेगा।

अभिलेख या वस्तुएं परिदत्त नहीं करता है या धन का संदाय नहीं करता या इन्कार करता है तो विहित प्राधिकारी उसे गिरफ्तार करवा सकेगा तथा वारंट के साथ अधिकतम 30 दिनों के कालावधि के लिए परिरूद्ध रखे जाने के लिए भेज सकेगा।

धन की वसूल भू–राजस्व के बकाया तौर पर वसूल किया जाएगा ऐसे अभिलेख या वस्तुओं को वापस करने के लिए तलाशी हेतु वारंट जारी कर सकेगा तथा विहित प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय सात के उपबंधों के अधीन समस्त शक्तियों का विधिपूर्वक प्रयोग कर सकेगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी तब तक संबंधित व्यक्ति को कारण बतानें का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो कि क्यों न उसके विरूद्ध ऐसी कार्यवाही की जाए।

इस धारा के तहत् किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही आरंभ की जाने से 6 वर्ष की कालावधि के लिए वह व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य होने के लिए अपात्र होगा।

10- 'kfDr;ka dk iR;k;ktu ¼/kkjk 93½ %&

पंचायत राज अधिनियम की धारा 93 के तहत् राज्य सरकार नियम बनाने के अतिरिक्त अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को या किसी पंचायत को शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है। विहित अधिकारी अपने अधिकारी का प्रत्यायोजन किसी अन्य को नहीं कर सकेंगे, प्रत्यायोजन अधिसूचना (Notification) द्वारा किया जाएगा।

11- iapk;r infrfuf/k;ka dk in ls gVk;k tkuk %&

संसद और विधान सभा की तरह से पंचायतों के सरपंच तथा पंच भी जनता द्वारा पांच वर्ष के लिए चुने जाते है। अगर एक सरपंच या पंच पांच साल तक अपने पद बना रहे और वह पंचायत के नियम कायदों का ध्यान न दे, देश के संविधान की मूलभावना का ख्याल न रखे और इन सबसे बढ़कर ग्राम सभा के सुझाव और निर्देशों की अनदेखी करें तब क्या किया जा सकता है? क्या ऐसी स्थिति में पंचायत गांव के लोगों की जरूरते और इच्छा पूरी कर पाएगी? क्या पंचायती राज व्यवस्था लोगों की सरकार होने का संदेश पूरा कर पाएगी ? असल में पूरा सवाल इस बात से जुड़ा है कि अगर जनप्रतिनिधि नियम – कानून और जनता की भावना को जानबूझकर अनदेखी करें तो क्या पांच साल से पहले कुछ किया जा सकता है ?

प्रदेश पंचायत राज कानून, पंच तथा सरपंच को निरंकुश (मनमानी करने से) होने से रोकते है। आइए यह समझते है कि कब और कैसे पंचायत प्रतिनिधियों को हटाया जा सकता है।

xke ipk;r ifrfuf/k;k dk mud in l gVku d rjhd %&

पंचायत राज कानून में पंच और सरपंच को उनके पद से हटाने के तीन–चार तरीके हैं –

- सरपंच तथा उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव (धारा 21)
- ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाना (धारा 21–क)
- पंचायत पदाधिकारी का निलंबन (धारा 39)
- पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना (धारा 40)
- पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र

1- ljip rFkk miljip d fo:) vfo'okl iLrko &

अगर ग्राम पंचायत के पंचों को ऐसा लगता है कि उनकी पंचायत का उपसरपंच या पंच ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे है या ग्राम पंचायत के हितों की अनदेखी कर रहे है तो उस ग्राम पंचायत के सदस्य सरपंच तथा उपसरपंच को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा सकते है। अविश्वास प्रस्ताव लाने व पास करने का तरीका इस प्रकार है –

- सरपंच तथा उपसरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चाकरने व उस पर मतदान के लिए अलग से विशेष बैठक बुलाई जाएगी।
- इस बैठक की अध्यक्षता वह पदाधिकारी नहीं करेगा जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।
- इस बैठक की अध्यक्षता सरकारी कर्मचारी द्वारा की जाएगी जिसे इसके लिए नियुक्त किया गया हो।
- सरपंच या उपसरपंच चर्चा में भाग लेने पर वे अपना पक्ष रख सकते है।
- अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित पंचायत सदस्यों में तीन–चौथाई सदस्य उसे प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उसके पक्ष में मतदान करें। अगर पंचायत में 12 सदस्य है और यह सभी 12 अविश्वास प्रस्ताव के लिए आयोजित बैठक में उपस्थित है। तो यह अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब इन 12 में से 9 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें।
- अविश्वास प्रस्ताव पास होने के तुरन्त बाद से सरपंच या उपसरपंच का पद खाली हो जाएगा।

vfo'okl iLrko dc yk;k tk ldrk g ¿/kkjk 21 ¼31½À

सरपंच तथा उपसरपंच के खिलाफ हमेशा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता ।

- जिस दिन कोई आदमी सरपंच या उपसरपंच के पद काम करना शुरू करेगा, उसके 1 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
- अगर उपसरपंच तथा सरपंच का कार्यकाल खत्म होने में सिर्फ छः महीने बचे है तो भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
- अगर पंचायत में एक बार किसी पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हुए एक साल का समय नहीं बीता तो भी उस पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास नहीं लाया जा सकता।
- अगर सरपंच तथा उपसरपंच को ऐसी लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव कानूनी ढंग से नहीं लाया गया तो वह प्रस्ताव पास होने के सात दिन के भीतर कलेक्टर को अपील करेंगे और कलेक्टर अगले 30 दिन में उस पर अपना फैसला सुनाएगें। कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा।

1- xke iapk;r ds inkf/kdkfj;ksa dks okil cqykuk ¼/kkjk 21 & d½

अगर पंचायतों के पदाधिकारी ग्राम सभा के निर्देश को नहीं मान रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं तो ग्राम सभा गुप्त मतदान द्वारा सरपंच और पंचों को वापस बुला सकती है। सरपंच या पंच को वापस बुलाने की कार्यवाही नीचे लिखें तरीके से होगी :–

- ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्यों को अभियोग पत्र पर दस्तखत करके विहित या सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी SDO) को देना होगा।
- अनुविभागीय अधिकारी ग्राम सभा को मतदान कि तिथि बताएगा और गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाएगी।
- पंचायत के ग्राम निर्वाचन (जब पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होते है) से चुनकर आया सरपंच या पंच जब अपने कार्यकाल के कम से कम ढाई वर्ष (2.5 वर्ष) पूरे कर लेगा तभी उसके खिलाफ यह कार्यवाही शुरू हो सकती है।
- जो सरपंच या पंच उप चुनाव में चुनकर आया है उसके भी कुल कार्यकाल के आधे कार्यकाल के खत्म होने पर ही ग्राम सभा उसे वापस बुलाने की कार्यवाही शुरू कर सकती है।

- अगर मतदान में आधे से ज्यादा सदस्य पंच या सरपंच को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते है तो सरपंच का पद तुरन्त खाली हो जाएगा।
- अगर पंच या सरपंच का ऐसा लगता है कि ग्राम सभा द्वारा उसे हटाने की कार्यवाही में कानून का पालन नहीं हुआ तो वह कलेक्टर के यहां 7 दिन के भीतर विवाद ले जाएगा और कलेक्टर 30 दिन के भीतर अपना फैसला सुनाएगें। कलेक्टर का मत अंतिम होगा।

3- ipk;r ifrfuf/k;k }kjk R;kxi= %&

पंचायत का कोई भी पदाधिकारी, अगर अपने पद से खुद हटना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र लिखित रूप से देकर अपना पद छोड़ सकता है।

- ग्राम पंचायत का कोई भी पंच, सरपंच को अपना लिखित त्यागपत्र दे सकता है।
- सरपंच तथा उपसरपंच, जिला उपसंचालक पंचायत को अपना लिखित त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते है। त्याग पत्र देने के बाद अगर त्यागपत्र देने वाले पंच या सरपंच को एंसा लगे कि वे अभी और काम करना चाहते है तो ऐसी स्थिति में त्यागपत्र स्वीकार होने से पहले उसे वापस ले सकते है।

4- ipk;r inkf/kdkjh dk fuyEcu %&

पंचायत का सरपंच, उपसरपंच या पंच अगर देश के विभिन्न कानूनों के उल्लंघन का दोषी है और उसके खिलाफ किसी अदालत में मुकदमा चल रहा है तो ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उस पदाधिकारी को उसके पद से निलम्बित कर देंगे।

पदाधिकारियों के विरूद्ध निम्न अपराधों पर मुकदमा चलने के कारण निलम्बित किया जा सकता है :–

- हत्या, बलात्कार से जुड़े संगीन अपराध का मुकदमा।
- खाने के सामान व दवाओं में मिलावट के आरोप का मुकदमा।
- महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में अनैतिक व्यापार के आरोप का मुकदमा।
- किसी भी ऐसे कानून जिसमें दण्ड की व्यवस्था हो उसके तहत् मुकदमा।

vufoHkkxh; vf/kdkjh ¼jktLo½ ml fuyfcr djd %&

- इस निलंबन की रिपोर्ट 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को भेजेगा।
- राज्य सरकार को इस निलंबन की पुष्टि 90 दिन के भीतर करनी होगी, नहीं तो यह निलंबन अपने आप बेअसर हो जाएगा।

5- iapk;r inkf/kdkjh dk in ls gVk;k tkuk ¼/kkjk 40½

अगर पंचायत प्रतिनिधि या सरपंच ऐसे काम करे जिससे कि –

- देश की एकता, अखण्डता और समप्रभुता पर बुरा असर हो।
- राज्य में लोगों के बीच धर्म, भाषा, क्षेत्र जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव–माहौल बने।
- महिलाओं के सम्मान पर बुरा असर पड़े। तो अनुविभागीय अधिकारी–राजस्व जांच के बाद किसी भी पदाधिकारी को किसी भी समय हटा सकता है।
- इसके साथ ही अगर पंचायत पदाधिकारी अपने पद का दुरूपयोग करके अपने किसी नातेदार को आर्थिक फायदा पहुंचाता है तो भी विहित अधिकारी जांच के बाद उसे अपने पद से हटा देगा।

;gk¡ /;ku nsus okyh ckr ;g gS fd %&

- हटाये जाने वाले व्यक्ति को कारण बताने का अवसर देना जरूरी हैं।
- इस संबंध में अंतिम आदेश, कारण बताओं सूचना जारी होने के 90 दिन के भीतर देना होगा। इससे संबंधित पदाधिकारी की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी ओर वह अगले 6 साल तक पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा।

6- iapk;r ds dke esa Hkkx u ysus ij lnL;rk lekIr gksuk %&

अगर पंचायत का कोई पदाधिकारी ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना –

- पंचायत की लगातार तीन बैठकों में नहीं आता, या
- पंचायत के 6 महीने के काम के दौरान आधे बैठकों में नहीं आता या
- पंचायत की स्थायी समितियों की तीन लगातार बैठकों में नहीं आता तो ऐसे सदस्य की सदस्या खत्म हो जाएगी। इस मामले में पंचायत या कोई अन्य व्यक्ति कलेक्टर को दरख्वास्त देंगे और कलेक्टर इस दरख्वास्त के आधार पर अपना फैसला देगें। फैसले से पहले जिस सदस्य के खिलाफ शिकायत हुई है उसे अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा।

in [kkyh gksus ij in Hkjus dh 0;oLFkk %&

पंचायत के आम चुनाव के बाद, 5 साल के कार्यकाल के बीच में अगर त्यागपत्र, अविश्वास प्रस्ताव, ग्राम सभा द्वारा वापस बुलाने पर (धारा 40) के तहत हटाए जाने या पंचायत की बैठकों में भाग न लेने की वजह से अगर सरपंच तथा पंच के पद रिक्त होते हैं तो –

- उस पद पर जल्दी से जल्दी चुनाव करवा कर खाली पद भरा जाएगा लेकिन
- जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक सरपंच का पद खाली नहीं रहेगा और सरपंच के पद पर, पंचों में से एक सदस्य अस्थाई रूप से, चुनाव होने तक, सरपंच चुना जाएगा।

dk;okgd ljip pur oDr&

यह ध्यान रखना होगा कि नया सरपंच उसी वर्ग से होगा जिस वर्ग के लिए सरपंच का पद आरक्षित हैं।

अतः अगर पंचायत में सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था तो नये कार्यवाहक–सरपंच के पद पर इसी वर्ग के किसी पंच को चुना जा सकता है।

अगर सरपंच का पद पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित है तो कार्यवाहक सरपंच भी उसी वर्ग के महिला पंचों में से चुनी जाएगी। अगर कोई भी महिला पंच उस वर्ग से नहीं है तो फिर दूसरे वर्ग से महिला पंच को सरपंच पद पर चुना जा सकता है। इसलिए अब यह ध्यान रखना है कि –

- सरपंच का पद खाली होने पर उपसरपंच को कार्यवाहक सरपंच नहीं बनाया जाएगा।
- कार्यवाहक सरपंच उसी वर्ग से बनेगा जिसे वर्ग के लिए सरपंच का पद आरक्षित है।
- महिला सरपंच की जगह कोई महिला की कार्यवाहक सरपंच बनेगी, पुरूष नहीं।

––0––

ipk;r ekuo fodkl ixfr dkM % 2010
¼lHkh vkdM+ ipk;r Lrj d bdtkb½
^ekuo fodkl d 16&lLdkj**

ukV %& पंचायतों में मानव विकास की क्या दशा है? नीचे मानव विकास का एक पैमाना प्रस्तुत है। इसमें दर्ज सूचकों के आधार पर, ग्राम–वार सूचना संकलित कर, पंचायतें अपना–मानव विकास प्रगति कार्ड : 2010 बनावें। फिर हर साल ताजा ऑकड़े लेकर, नवीनतम प्रगति कार्ड तैयार करें।

1. पंचायत में गॉवों की संख्या ....
2. आबादी (ग्राम–पंचायत) कुल..............स्त्री...........पुरूष...........
3. पंचायत में लिंग अनुपात–प्रति हजार पुरूषों पर महिलाएॅ...
4. वर्ष में पंचायत में जन्मे नवजात शिशु कुल.............बालिका.........बालक.......
5. सम्पूर्ण टीकाकरण की प्रगति

   0–5 वर्ष के बच्चे कुल............बालिका.........बालक.......

   सम्पूर्ण टीकाकरण से सुरक्षित बच्चे कुल............बालिका..........बालक.......

   पल्स पोलियों अभियान कुल............बालिका..........बालक.......

   में तीन खुराक ले चुके बच्चे
6. स्वच्छ पेयजल सुरक्षा से जुड़े कुल गॉव ....

   स्वच्छ पेयजल युक्त गॉव ....समस्या ग्रस्त गॉव............................
7. शौच सुविधाओं की प्रगति

   पंचायत में कुल घर .... शौचालय युक्त घर ....

   गॉव–वार कुल शौचालय ....महिला शौचालय.............................
8. प्रारम्भिक शिक्षा प्रगति

   (क) 6–14 वर्ष की आयु के

   बच्चों की संख्या कुल............बालिका..........बालक.......

   (ख) स्कूल से वंचित बच्चों की संख्या कुल............बालिका..........बालक.......

   (ग) स्कूल से जूड़े बच्चे कुल............बालिका.........बालक.......

9. बालिका शिक्षा प्रगति (0–18 वर्ष) ग्रामवार कुल शिक्षित बालिकाएॅ......................................
5 वीं कक्षा तक शिक्षित ....8 वीं तक......................................
10 वीं तक ....12 वीं .... कॉलेज शिक्षा..................

10. विवाह के समय औसत आयु
16 वर्ष से कम उम्र में विवाहित बालिकाएॅ..................बालक...............
16–18 वर्ष के मध्य विवाहित बालिकाएॅ..................बालक...............
18 वर्ष के बाद विवाहित बालिकाएॅ..................बालक...............

11. गर्भवती माताओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य–जॉच प्रगति : कुल गर्भवती माताएॅ
ए.एन.एम. द्वारा पंजीकृत ....टी.टी. टीकों से सुरक्षित.......................................
मातृत्व लाभ योजना एक मुश्त 500/– रू. प्रसूति सहायता लाभार्थी................................
नियमित ए.एन.एम./दाई द्वारा कराये प्रसव...

12. सुरक्षित प्रसव प्रगति : वर्ष में कुल प्रसव
प्रशिक्षण ए.एन.एम./दाई द्वारा कराये प्रसव...
वर्ष में प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु ....मातृ–मृत्यु के कारण................................

13. आंगनबाड़ी सेवाओं से जुड़े बच्चे कुल.................बालिकाएॅ.................बालक.......................
आंगनबाड़ी सेवाओं से जुड़ी गर्भवती/धात्री माताएॅ कुल..

14. पंचायत में उपलब्ध स्वास्थ्य उप–केन्द्र
ए.एन.एम. की उपलब्धता...............प्रशिक्षित दाई की उपलब्धा वाले गॉव............................
वह गॉव जहॉ ए.एन.एम./प्रशिक्षित दाई दोनों ही नदारद..

15. पंचायत में कार्यरत कुल विकास–कर्मी
महिला कार्यकर्ता...कौन–कौन हैं...
क्या उनकी सेवाएॅ संतोषप्रद हैं........................नहीं, तो किनकी..

16. पंचायत में सक्रिय महिला समूहों की संख्या
महिला सदस्य संख्या..
बैंक लोन प्राप्त महिलाएॅ...
स्व–रोजगार से जुड़ी महिलाएॅ (संख्या) ....
सफल स्व–अद्यमी महिलाएॅ..

––0––

पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के लिए प्रतिज्ञा
संदर्भ : मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स
(सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य–2015 तक प्राप्ति का समय)

विश्व स्तर का लक्ष्य	पंचायत का लक्ष्य
लक्ष्य – 1 अत्यधिक गरीबी और भूखमरी का उन्मूलन :– ऐसे लोग जो अत्यधिक गरीबी और भूखमरी से त्रस्त हैं का अनुपात आधा करना (मौजूदा स्तर से 2015 तक)	पंचायत में अत्यधिक गरीबी व भूखमरी से त्रस्त लोगों की संख्या हम दस वर्षों के भीतर आधी से भी कम करेंगे।
लक्ष्य – 2 प्राथमिक शिक्षा की पहुॅच सब तक सुनिश्चित करना :– सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा का हक पा सकें, यह आश्वस्त करना	पंचायत में दस साल के भीतर, 6–14 वर्ष की आयु वाले कोई भी बच्चे प्राथमिक–स्कूल की पढ़ाई पूरी करने से वंचित न रहें–यह जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे।
लक्ष्य – 3 जैण्डर समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना :– लड़कियों को लड़कों के समान ही शिक्षा के अवसर देना	दस साल के भीतर, पंचायत की हर लड़की को लड़के के समान ही स्कूल–शिक्षा से जोड़ने का बीड़ा हम उठायेंगे।
लक्ष्य – 4 बाल–मृत्यु दर कम करना :– पॉच वर्ष के पूर्व अकाल मृत्यु का ग्रास बनने वाले बच्चों की संख्या को दो तिहाई तक कम करना	हम अपनी–अपनी पंचायत में पॉच साल से पहले गुजर जाने वाले बच्चों की मौत, दो–तिहाई तक कम करेंगे, यानि बाल मृत्यु दर 66 प्रतिशत घटायेंगे। दस साल के भीतर बच्चों हेतु शत–प्रतिशत टीकाकरण, सही पोषण, स्वच्छ पेयजल एवं स्वास्थ्य जॉच सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
लक्ष्य – 5 मातृ–मृत्यु दर व मातृ–स्वास्थ्य में सुधार लाना :– गर्भवती माताओं को प्रसव–संबंधी मौतों को	हम अपनी पंचायत में प्रसव–संबंधी कारणों से माताओं की मौतों को 75 प्रतिशत तक कम कर देंगे। दस वर्ष के भीतर न्यूनतम 75 प्रतिशत

तीन चौथाई तक घटाना	प्रसव, प्रशिक्षित दाई/चिकित्सा–कर्मी की देखरेख मे हों–यह अपनी पंचायत में सुनिश्चित करेंगे। प्रसव पूर्व/दौरान व पश्चात् स्वास्थ्य–सेवाओं में तेजी से सुधार लायेंगे।
लक्ष्य – 6 एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम :– एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों की प्रभावी रोकथाम हेतु हर सम्भव कदम उठाना	अपनी पंचायत में एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों की प्रभावी रोकथाम हेतु जन–शिक्षा, सूचना व संचार का प्रभावी प्रबंध – वार्ड तथा ग्राम सभाओं व अन्य तरीकों से करेंगे। पर्यावरणीय स्वच्छता व सुरक्षित यौन–संबंध बनाने की समझ जन–जन तक पहुँचायेंगे। 'पहलो सुख–निरोगी काया' के सदेश से स्वास्थ जागरूक समाज बनायेंगे।
लक्ष्य – 7 पर्यावरण का विनाश रोकना :– दुनिया के पर्यावरण को विनाश से बचाने के बेहतर उपाय करना	अपनी पंचायत के 'जन, जंगल, जमीन, जानवर और जन–शक्ति' के विनाश को बचाने का हर सम्भव साझा प्रयास–हम जल ग्रहण विकास कार्यक्रम अपनाकर सुनिश्चित करेंगे।
लक्ष्य – 8 विकास हेतु विश्व–स्तरीय गठबन्धन विकसित करना :– सरकारी, गैर–सरकारी, निजी तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की साझेदारी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सक्रिय तौर पर सुनिश्चित करना	पंचायत क्षेत्र के चहुंमुखी विकास और लोगों की जैण्डर समानता आधारित खुशहाली सुनिश्चित करने हेतु हम सरकारी, गैर सरकारी व दानदाता संस्थाओं से गठबंधन बनाकर साझा प्रयास करेंगे।

fodUnhdr fu;ktu

iLrkouk

निर्वाचित सदस्य के रूप में आपकी अपने क्षेत्र एवं वहॉ रहने वालों के भाग्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी क्षेत्र में भावी समय में जो भी कार्यकलाप किए जाएँगे, उन्हें उस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सोच–समझ कर किया जाना चाहिए। यह कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि इस का संबंध सीधा विकास से है। विकास से आशय परिवर्तन के लिए वांछनीय सतत् कार्यकलापों या परिवर्तन की नियोजित प्रक्रिया से है। इस दिशा में सर्वप्रथम नियोजन के आधार बिंदुओं के बारे में जानना जरूरी है।

fu;ktu D;k g \

हम समय के आधार पर भिन्न–भिन्न घटनाओं एवं कार्यकलापों की योजना बनाते हैं, जैसे किसी यात्रा पर जाना, घर का निर्माण करना, किसी विवाह या उत्सव में भाग लेना अर्थात ऐसे हर कार्य को करने से पहले इसकी योजना बनाना जरूरी है और ऐसी योजना प्रक्रिया के बहुत से चरण होते हैं जिन्हें क्रमबद्ध ढंग से आपस में जोड़ कर हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के योग्य बनते है।

आइये, किसी ऐसी परियोजना का उदाहरण ले जिसे आप अपने गॉव के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में पूरा कर सकते है। मान लीजिए, आपके गॉव में वार्ड क को वार्ड ख से जोड़ने के लिए सड़क बनाने की आवश्यकता है। आप इस बारे में क्या कदम उठायेंगे ? यहॉ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन पर इस परियेाजना पर काम कते समय आपको अवश्य विचार करना चाहिए।

- वार्ड क के किस बिंदु से सड़क शुरू होगी और वार्ड ख के किस बिंदु पर सड़क खत्म होगी? अन्य शब्दों में इसकी लंबाई एवं स्थिति क्या होगी?
- क्या इन दोनों वार्डो के बीच झरने या नदियॉ हैं ? क्या यह सड़क इनके ऊपर बनेगी या इनके गिर्द ?
- क्या यह पक्की कोलतार वाली सड़क होगी या कच्ची मिट्टी से बनी या किसी अन्य प्रकार की सड़क ?
- क्या यह वहॉ के पर्यावरण के लिए लाभप्रद होगी ?
- अन्य शब्दों में, आपको सड़क निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर पेड़ों, पौधों और उपजाऊ भूमि की बर्बादी से बचना होगा।

- सड़क बनाने के लिए आपके पास कितना वक्त है ?
- इस कार्य के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता है ?
- कितने किस्म की और कितनी–कितनी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होगी ?
- वर्ष के किन महीनों में सड़क बनने का काम शुरू होगा ? आप बारिश के मौसम में ऐसा काम शुरू नहीं कर सकते ? नहीं ना ?
- ऊपर बताई गई बातों के बाद, वित्तीय सहायता के प्रश्न पर ध्यान देना होगा–
- आपको कितने धन की आवश्यकता होगी ?
- यह धन आप कहॉ से प्राप्त करेंगे ?
- आप उस धन को सामग्री, श्रमिकों आदि पर होने वाले खर्च के आधार पर कैसे विभाजित करेंगे?
- क्या सड़क बनाने पर जो भी खर्च आएगा, उस को दोनों वार्ड समान रूप से उठाएंगें ?

उपर्युक्त और ऐसे बहुत से प्रश्नों पर उन सभी से चर्चा की जाएगी जो इस कार्य से संबंधित होंगे। इसके बाद ही जरूरी निर्णय लिया जाएगा। यही योजना बनाने की प्रक्रिया है। यहॉ एक बात पर गौर करना बेहद जरूरी है। चूँकि संसाधन दुर्लभ हैं, इसलिए इनका प्रयोग यथासंभव सोच समझ कर किया जाना चाहिए, ताकि इनका अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके। अलादीन का जादुई चिराग सिर्फ अरब की परियों की कथाओं में ही नजर आता है। इसलिए, आपको संसाधनों की बर्बादी या उनका दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। यहॉ तक कि एक रूपये की बर्बादी भी बड़ी बर्बादी है, क्योकि आपको अतिरिक्त निधियों को जुटाना है अन्यथा आपको गुणवत्ता पर समझौता करना होगा।

जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, राज्य, जिलों, खंडों या ग्रामों की योजनाओं के भी समान पहलू हैं। यदि इनमें कोई फर्क है, तो वह सिर्फ इनके आकार एवं पैमाने को लेकर ही है। जैसा कि अब आप समझ गए हैं, किसी निश्चित समय सीमा में कुछ निश्चित उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए हम उपलब्ध मानव एवं सामग्री संसाधनों का जिस प्रकार श्रेष्ठ ढंग से प्रयोग करते हैं, वह प्रक्रिया नियोजन कहलाती है।

y{; ,o mnn';

लक्ष्य एक सामान्य वक्तव्य है जो बताता है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और इससे हमें अपने समस्त मनोरथों का पता चलता है, जबकि उद्‌देश्य सुस्पष्ट रूप से व्यक्त कोई खास मकसद है जो हमने तय किया है और जिस तक हम पहुॅचना चाहते हैं। यह लक्ष्य (मान लीजिए, किसी जिले का) बुनियादी रूप से तीन पहलुओं पर आधारित होना चाहिए–

1. मानव विकास सूचक
2. बुनियादी ढॉचे का विकास, और
3. उत्पादन क्षेत्र में विकास

सामाजिक विकास का अर्थ सिर्फ मनुष्यो से जुड़ा हुआ है। बुनियादी मानव विकास सूचकों के लिए लक्ष्य निर्माण में अनिवार्यतया स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाएं एवं बाल कल्याण और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं आदि की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाता है। जहॉ तक बुनियादी ढॉचे के लिए लक्ष्य की बात है तो भारत निर्माण परियोजना के अंतर्गत लक्षित लक्ष्यों को उसी तरीके से अपनाया जा सकता है जैसे कि वे प्रत्येक जिले के लिए लागू हैं। उत्पादन क्षेत्र के लिए लक्ष्य के लिए जिले में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, जिले की क्षमता की जॉच करना जरूरी होगा। इसके लिए कुछ बुनियादी संसाधनों, जैसे कि खाद्य एवं गैर–खाद्य फसलों के उत्पादन, भू सुधार, सिंचाई आदि की बारीकी से जॉच करना जरूरी है।

ikFkfedhdj.k

प्राथमिकीकरण का अर्थ है, महत्व के आधार पर पूरे किए जाने वाले कार्यो के प्रत्येक चरण को सूचीबद्ध करना ताकि आपको पता हो कि आपको किन कार्यो को पहले और किन्हें बाद में पूरा करना है इसलिए प्राथमिकता सूची को तैयार करना बेहद जरूरी है। इस सूची को बनाने में ग्राम सभा एवं इसके प्रतिनिधियों (आप भी इसी श्रेणी में आते हैं) की भूमिका होनी चाहिए।

le; lhek

समय सीमा दर्शाती है कि योजना के लक्ष्यों को हमें कितने समय के भीतर पूरा करना है। समय सीमा के आधार पर नियोजन तीन प्रकार का हो सकता है। इसे नीचे चार्ट में दर्शाया गया है–

uke	vuqekfur	vof/k	fooj.k
1	भावी योजना	10–15 वर्ष (यह 15–20 वर्ष की भी हो सकती है)	1. बड़े उद्देश्य का निर्धारण करना, जैसे 10–15 वर्षो में प्रति व्यक्ति की आय को दुगुना करना। अथवा 2. काम करने के योग्य व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार देना आदि।
2.	मध्यावधि योजना	5 वर्ष	1. उत्पादन या खासकर खाद्यान्न उत्पादन संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण करना, जैसा कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए किया जाता है। इसी

uke	vuqekfur	vof/k	fooj.k
			तरह आप ग्राम पंचायत या खंड पंचायत या जिला पंचायत के लिए भी खाद्य उत्पादन संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण कर सकते है।
3.	वार्षिक	1 वर्ष	1. पंचवर्षीय योजनाओं के कार्य 5 भागों में विभाजित किए जाते है। प्रत्येक भाग के लिए एक वर्षीय कार्ययोजना बनाई जाती है। केंद्रीय करकार वार्षिक योजना के लिए आर्थिक सहायता देती है, जो केंद्रीय बजट से आती है। राज्य सरकारें वार्षिक योजनाओं के लिए जो आर्थिक सहायता देती हैं, वह राज्य बजटों का भाग होता है। 2. आदर्श रूप से प्रत्येक स्तर पर (जिला, खंड एवं ग्राम) हर पंचायत को अपना–अपना वार्षिक बजट बनाने के साथ, निजी वार्षिक कार्ययोजना भी बनाना जरूरी है।

tu lgHkkfxrk

योजना बनाने का काम हर हालत में जनता को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। जन ही विकास लागू करने के साधन हैं और वही अंततः विकास के लक्ष्य भी हैं। इसलिए जन सहभागिता अर्थपूर्ण लोकतंत्र का अनिवार्य भाग है। जिले के लक्ष्यों के निर्माण कार्य में ग्राम सभा को पूर्ण रूप से शामिल होना चाहिए।

Hkkjr esa fu;kstu

जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक संघ हैं। पहले इसकी रूपरेखा द्वि–स्तरीय संघीय व्यवस्था के रूप में तैयार की गई थी, अर्थात् एक ऐसी व्यवस्था जहॉ संघ या केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित हों। 73वें और 74वें सांविधानिक संशोधनों ने भारतीय संघीय संरचना में एक तीसरे स्तर की सरकार को जोड़ा है। अतः अब हमारी बहुस्तरीय संघीय संरचना है। तीसरे स्तर का निर्माण स्थानीय स्व–शासन संस्थानों को समायोजित करने के उद्देश्य से किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, 73वें संशोधन के एक भाग के रूप में सृजित पंचायतो के तीन उप–राज्य स्तर हैं।

ये हैं – ग्राम, खंड एवं जिला पंचायतें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अनुसार, इन पंचायतों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना है और

स्थानीय योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करना है। बुनियादी रूप से विकेंद्रीकृत नियोजन की शुरूआत, यहॉ ग्राम स्तर से होते हुए धीरे–धीरे आगे बढ़ती हैं। अतः हमारा बहु–स्तरीय संरचना वाला संघीय संगठन है जहॉ नियोजन एवं लोक वित्त का कार्य भी बहु–स्तरीय संरचना में विभाजित है। योजना बनाने के कार्य की शुरूआत ग्राम पंचायत स्तर से हो सकती है। इस प्रकार नियोजन, निम्न स्तर से उच्च स्तर और उच्च स्तर से उच्चतम स्तरों की ओर बढ़ता है।

ldYiuk, ,o fl)kr

विकेन्द्रकरण से आशय पंचायतों को स्वायत्तता (स्वतंत्रता) एवं निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना है। बहु–स्तरीय संघीय व्यवस्था में स्वायत्तता का अर्थ ऐसे किसी भी स्तर को सौंपे गए कार्यो या व्यय संबंधी जिम्मेदारियों के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना है। भारतीय संविधान की अनुसूची XI में पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों का उल्लेख है। राज्य विधान सभा कुछ और विषय भी पंचायतों को सौंप सकती है।

fodUnhdr fu;ktu d pj.k

गॉव, खंड, जिला या अन्य क्षेत्रों की विशिष्ट योजना बनाने का कार्य अलग–अलग किस्म का होता है। आइए, सर्वप्रथम ग्राम योजना बनाने के चरणों से शुरूआत करें :–

pj.k 1 % y{; lc/kh fooj.k@oDr0;

लक्ष्य विवरण, विकास के लक्ष्यों एवं परिणामों को रेखांकित करते हैं और मुख्य रूप से विकास के पॉच पहलूओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हैं –

- मानव विकास सूचक जिनमें अनिवार्यतया स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाएं एवं बाल कल्याण, सामाजिक न्याय एवं बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है,
- बुनियादी ढॉचा (अधिसंरचना) विकास,
- उत्पादन संबंधी क्षेत्रों में विकास,
- पर्यावरणीय संतुलनों को बनाए रखना, और
- सेवा एवं वृद्धि के क्षेत्र में पंचायतों में विद्यमान असमानताओं को कम करना।

pj.k 2 % tulkf[;dh; :ij[kk

यह प्रत्येक गॉव के जनगणना ऑकड़ों (हर दस वर्षो में संग्रहित) और नागरिक सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। इनके अलावा, अन्य एजेंसियों द्वारा संग्रहित सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़ों का भी अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिए।

pj.k 3 % fLFkfr fo'ys"k.k

यह कार्य मुख्य रूप से चार उद्देश्यों की ध्यान में रखकर किया जाता है। ये हैं–

क) लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण,

ख) तय करना कि पहले क्या किया जाएं और बाद में क्या,

ग) तय करना कि प्रत्येक कार्य के लिए सही ढंग से क्या किया जाएं, और

घ) उन क्षेत्रों की पहचान करना जहॉ समस्या उत्पन्न होने की संभावना हो और साथ ही उन क्षेत्रों की भी पहचान करना जिन्हें बेहतर बनाना संभव हो।

{k= ikQkby e dku lk C;kjk gkuk t :jh g \

ये शीर्ष हैं –

- क्षेत्र का संक्षिप्त इतिहास
- जलवायु एवं पर्यावरण
- संसाधन सूची। इसमें निम्नलिखित से जुड़ी जानकारी शामिल होनी चाहिए–
  - क) जल संसाधन
  - ख) मृदा संयाजन (मिट्‌टी की किस्म)
  - ग) खनिज संसाधन, आदि
- कृषि– आर्थिक आंकड़े (बोया हुआ निवल क्षेत्र, कृषि उत्पादन का सकल मूल्य, पशु संख्या संबंधी ब्यौरे आदि)
- सामाजिक–आर्थिक आंकड़े (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या, क्षेत्र में बेरोजगारी की संरचना आदि) और
- बुनियादी ढॉचा अर्थात उपलब्ध सेवाएं एवं सुविधाएं जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा सेवाएं, जन वितरण पद्धति, सड़कें आदि।

pj.k 4 % ekufp= r;kj djuk

हम प्रायः वांछित स्थानों का पता लगाने के लिए सड़क मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। अन्य शब्दों में आप अपने प्राप्त ऑकड़ों का मानचित्र तैयार कर सकते है। इसके बाद आप ऐसे मानचित्रों को दूसरों को देख कर उनसे जरूरी सुझाव आदि की प्राप्ति कर सकते है। यह जन सहयोग प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है।

pj.k 5 % y{;k ,o dk;luhfr;k dk l=hdj.k

इस चरण पर प्रोफाइल हमारे लिए कारगर सिद्ध होता है। प्रोफाइलों एवं अन्य निर्धारित आंकड़ों के आधार पर आपने कुछ विशेष निष्कर्ष निकाले होंगे। फिर भी कुछ विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा सकता है।

pj.k 6 % {k=d fu;ktu

pj.k 7 % llk/ku fu;ktu

हमें पता होना चाहिए कि आगामी वर्ष (वार्षिक योजना) और आगामी पॉच वर्षो की (पंचवर्षीय योजना) के लिए कितना धन उपलब्ध होगा। भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए वित्त के मुख्य स्त्रोतों को नीचे दर्शाया गया है।

नीचे दिए गए ऐसे पॉच मुख्य स्त्रोत निम्न है–

1. केंद्र सरकार
2. राज्य सरकार
3. स्थानीय शासन का निजी स्त्रोत राजस्व (ओ.एस.आर)
4. वित्तीय संस्थान
5. जन योगदान (अंशदान)

pj.k 8 % xke ipk;r Lrj dh ;ktuk dh lekU; :ijs[kk fuEufyf[kr gk ldrh g &

- लक्ष्य विवरणों को तैयार करना
- ऑकड़ा आधार का निर्माण जो अंतरालों और आवश्यकताओं को दर्शाता हो
- स्थिति विश्लेषण
  - – जनसांख्यिकीय रूपरेखा
  - – प्राकृतिक संसाधन एवं अवसंरचना (बुनियादी ढॉचा)
  - – वित्तीय संसाधन रूपरेखा
- लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को तय करना
- आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय का नियोजन

- मानव विकास की योजना बनाना
- उत्पादन क्षेत्रों की योजना बनाना
- अवसंरचना (बुनियादी ढॉचे) की योजना बनाना
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- जेंडर संबंधी कार्यक्रम
- विशेष घटक एवं जनजातीय कार्यक्रम
- सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम

- कार्यान्वयन
- अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

——0——

लोग कहते हैं–"साधन आखिर साधन ही हैं।" मैं कहूँगा "साधन ही आखिर सब कुछ हैं। जैसे साधन होंगे, वैसा ही साध्य होगा। साधन और साध्य के बीच दोनों को अलग–अलग करने वाली कोई दीवार नहीं है।"

–गॉधी जी

शासन की प्रमुख योजनाएँ

केन्द्र प्रवर्तित योजना

- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGA)
- सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC)
- एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हरियाली) (IWDP)
- इन्दिरा आवास योजना (IAY)
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY)
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- राष्ट्रीय परिवार सहायता (NFBA)
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन (SSP)
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
- बारहवॉं वित्त आयोग

राज्य योजनाएँ –

- गृह लक्ष्मी योजना
- निर्मलाघाट
- मुक्तिधाम
- गली सीमेंट कांक्रीटीकरण
- केशवकुंज
- कांजीहाऊस निर्माण
- गोठान निर्माण (वृन्दावन)
- छत्तीसगढ़ ग्राम गौरव योजना
- इन्द्रप्रस्थ योजना
- हमारा छत्तीसगढ़ योजना
- सुखद सहारा योजना
- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
- नवा अंजोर
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना
- मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना
- अटल चौक
- स्वामी आत्मानंद वाचनालय

——0——

ipk;r jkt vf/kfu;e d vrxr fofgr ikf/kdkjh ,o /kkjk,

vu-	vf/kdkjh ;k ikf/kdkjh	/kkjk
(1)	(2)	(3)
1	कलेक्टर	13 (4) (एक) तथा (6)
2	कलेक्टर	17 (4)
3	तहसीलदार	17 (5)
4	तहसीलदार	18 (2)
5	तहसीलदार	18 (3)
6	उप खंड अधिकारी (राजस्व)	19
7	सचिव, ग्राम पंचायत	20 (1)
8	उपखंड अधिकारी (राजस्व)	21 (2)
9	कलेक्टर	23 (1)
10	उपखंड अधिकारी (राजस्व)	23 (3) (एक) एवं 5
11	उपखंड अधिकारी (राजस्व)	25 (1)
12	कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर	25 (2) (दो)
13	जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा	26
14	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	27 (1)
15	कलेक्टर	28 (1)
16	कलेक्टर	30 (1)
17	कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर	30 (3) (एक) 30 (5)
18	कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर	32 (1)
19	संचालक, पंचायत	32 (2) (1)
20	कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर	33
21	कलेक्टर	33 (क)
22	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	34 (1)
23	संचालक, पंचायत	35 (2)
24	1. ग्राम पंचायत के लिये–जिला संयुक्त संचालक/उपसंचालक,पंचायत एवं समाज कल्याण 2. जनपद पंचायत के लिये कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – कलेक्टर	37 (2)

vuq-	vf/kdkjh ;k ikf/kdkjh	/kkjk
25	1. ग्राम पंचायत के सदस्य तथा सरपंच तथा उपसरपंच के लिये उपखंड अधिकारी (राजस्व) 2. जनपद पंचायत के सदस्य–कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 3. जिला पंचायत के अध्यक्ष, कलेक्टर, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के लिये	39 (1)
26	1. ग्राम पंचायत के लिये – उपखंड़ अधिकारी (राजस्व) 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – संचालक पंचायत	40 (1)
27	कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर	41
28	1. ग्राम पंचायत के लिये – उपखंड अधिकारी (राजस्व) 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – कलेक्टर	45
29	1. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 2. जिला पंचायत के लिये – कलेक्टर	47 (2)
30	उप खंड अधिकारी (राजस्व)	55 (4)
31	उप खंड अधिकारी (राजस्व)	59
32	1. ग्राम पंचायत के लिये – उप खंड अधिकारी (राजस्व) 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – कलेक्टर	61
33	1. ग्राम पंचायत के लिये – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – कलेक्टर	65
34	1. ग्राम पंचायत के लिये – उप खंड अधिकारी (राजस्व) 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – कलेक्टर	68
35	जिला संयुक्त संचालक/उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण	69 (1)
36	1. ग्राम पंचायत के लिये – जिला संयुक्त संचालक/उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – राज्य सरकार	69 (4)

vu-	vf/kdkjh ;k izkf/kdkjh	/kkjk
37	1. ग्राम पंचायत के लिये – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – राज्य सरकार	70 (1)
38	1. ग्राम पंचायत के लिये – जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण 2. जनपद पंचायत के लिये –संभागीय संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण 3. जिला पंचायत के लिये – संचालक, पंचायत	73 (2) (3)
39	1. ग्राम पंचायत के लिये – उप खंड़ अधिकारी 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर	79
40	1. ग्राम पंचायत के लिये – उप खंड़ अधिकारी (राजस्व) 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – संचालक, पंचायत	85 (1)
41	1. ग्राम पंचायत के लिये – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – संचालक पंचायत	86 (1) (2)
42	1. ग्राम पंचायत के लिये – संचालक 2. जनपद पंचायत के लिये – संचालक 3. जिला पंचायत के लिये – संचालक	87 (1) तथा 3 (ख)
43	कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर	89 (1)
44	1. ग्राम पंचायत के लिये – उप खंड़ अधिकारी 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – कलेक्टर	92 (1) (2) तथा (3)
45	1. ग्राम पंचायत के लिये–जिला,संयुक्त संचालक/उपसंचालक, पंचायत एवं समाज 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – संचालक, पंचायत	96 (3)
46	1. ग्राम पंचायत के लिये – जिला संयुक्त संचालक/उपंसचालक 2. जनपद पंचायत के लिये – कलेक्टर 3. जिला पंचायत के लिये – संचालक, पंचायत	100

, ekfyd rj cn ge

ऐ मलिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम
नेकी पर चलें और बदी से डरें,
तकि हंसते हुए निकले दम।
ऐ मालिक तेरे................

बड़ा कमजोर है आदम,
अभी लाखों हैं इसमें कमी।
पर तू जो खड़ा है दयालू बड़ा,
तेरी कृपा से धरती बनी।
दिया तूने हमें जब जनम,
तू ही ले लेगा हम सबके गम।
नेकी पर चलें और बदी से डरें,
ताकि हंसते हुए निकले दम।
ऐ मालिक ....

यहॉ अंधेरा घना छा रहा,
तेरा इंसान घबरा रहा।
हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर,
सुख का सूरज छुपा जा रहा।
है तेरी रोशनी में जो दम,
नेकी पर चलें और बदी से डरें,
ताकि हंसते हुए निकले दम।
ऐ मालिक ....

——————0——————

nk vk[k ckjg gkFk fQYe l*

ys e’kkys py iMs gS

ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गॉव के,
अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गॉव के।

पूछती है झोंपड़ी और पूछते हैं खेत भी,
कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गॉव के।

बिन लड़े कुछ भी यहॉ मिलता नहीं यह जानकर,
अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गॉव के।

लाल सूरज अब उगेगा, देश के हर गॉव में,
अब इकट्ठे हो चलेंगे, लोग मेरे गॉव के।

चीखती है हर रूकावट, ठोकरों की मार से,
बेड़ियॉ खनका रहे हैं, लोग मेरे गॉव के।

देखों यारों जो सुबह लगती है फीकी आजकल,
अब रंग उसमें भरेंगे, लोग मेरे गॉव के।

&cYyh flag phek

ge gkxs dke;kc

होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब
हम होंगे कामयाब एक दिन।
हो हो मन में है विश्वास
पुरा है विश्वास,
हम होंगे कामयाब एक दिन।

होगी शांति चारों ओर एक दिन,
हो हो मन में है विश्वास
पूरा है विश्वास,
होगी शांति चारों ओर एक दिन।

हम चलेंगे साथ–साथ,
डाल हाथों में हाथ
हम चलेंगे साथ–साथ एक दिन,
हो हो मन में है विश्वास,
पूरा है विश्वास
हम चलेंगे साथ–साथ एक दिन।

नहीं डर किसी का आज,
नहीं भय किसी का आज
नहीं भय किसी का आज के दिन,
हो हो मन में है विश्वास
पूरा है विश्वास,
नहीं डर किसी का आज के दिन।

हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब
हम होंगे कामयाब एक दिन।

––––––0––––––

i|jd xhr

जितनी बुलन्द होगी अपनी आवाज!
गॉवों में होगा 'समानता' का राज,
बदलेगा जीवन जीने का अन्दाज,
'स्वस्थ, शिक्षित, न्यायपूर्ण समाज'
के सपने को साकार करेंगे
हम सब मिलकर आज!
पंचायतों ने मिलकर किया है
सुराज का यह दृढ़–संकल्प–
गॉवों की किस्मत पलटेंगे
लायेंगे अब हम ग्राम–स्वराज!

——————0——————

जनता माने या न माने उसकी मर्जी की बात है। उसको समझाने का सेवक का उत्साह कभी मंदा नहीं पड़ना चाहिए। सेवक तो अपना कर्त्तव्य करता ही जायेगा। वाणी से समझायेगा। जीवन से समझायेगा और परिणाम की आसक्ति छोड़ेगा।

–विनोबा

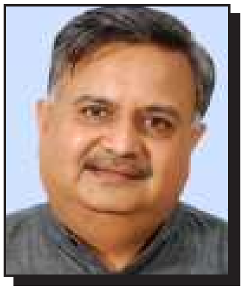

Mk- jeu flag

e[;ea=h
NRrhlx< 'kklu

%% lans'k %%

80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी वाले छत्तीसगढ़ में ग्रामीणजनों का जीवन स्तर सुधारना और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सम्पन्न बनाना अति आवश्यक है। इसके लिये पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करना होगा।

इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा पंचायत पदाधिकारियों, सरपंचों, पंचो एवं सचिवों हेतु iBu lkexzh तैयार की गयी है, जिसमें उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं प्रक्रिया के साथ–साथ सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण, वित्तीय प्रबंधन आदि का समावेश किया गया है। आशा है कि यह साहित्य निश्चित ही उनकी कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि करते हुये पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करेगा।

प्रकाशन की सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

¼Mk- jeu flag½

jke fopkj usrke

ea=h
iapk;r ,oa xzkeh.k fodkl
rFkk fof/k ,oa fo/kk;h dk;Z foHkkx
NRrhlx<+ 'kklu

%% lans'k %%

सर्वप्रथम मैं समस्त पंचायत पदाधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने पर बधाई देता हूँ। पंचायती राज लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है, जिसमें पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की एक प्रभावशाली इकाई के रूप में विकसित करने के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से कार्य दायित्व एवं शक्तियों के साथ–साथ कर्तव्य भी सौंपे गये हैं। प्रदेश शासन ने पंचायत अधिनियम में ग्राम सभा की बैठक, शिक्षा तथा सफाई को दृष्टिगत रखते हुये महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। हमारे नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इस हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन की मंशा है कि समस्त पदाधिकारियों का मूलभूत प्रशिक्षण हो। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधीन छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा रायपुर द्वारा इस पुस्तक में संशोधन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम जैसे– सूचना का अधिकार अधिनियम, सामाजिक अंकेक्षण को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिवों के लिए iBu lkfgR; तैयार की गई है, जो निश्चित ही उन्हें अपने कार्य दायित्वों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

¼jke fopkj usrke½

ljft;l feUt

vij eq[; lfpo
iapk;r ,oa xzkeh.k fodkl
NRrhlx<+ 'kklu

%% lans'k %%

यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच एवं सचिवों के ज्ञान, कौशल एवं क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा iBu lkfgR; तैयार किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यदायित्व, ग्राम सभा की भूमिका, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के संशोधन तथा सूचना का अधिकार जैसे विषयों को विस्तृत रूप से शामिल किया गया है।

आशा है यह पठन साहित्य ग्राम पचांयत स्तर पर सरपंचो, पंचों एवं सचिवों को अपने ज्ञान कौशल में वृद्धि के साथ–साथ सकारात्मक सोच में कारगर सिद्ध होगी।

¼ljft;l feUt½

fo"k;&l|ph

Øekd	fo"k;	i"B Øekd
1	संविधान की पंचायतीराज संस्थाओं से अपेक्षा	1
2	ग्यारहवीं अनुसूची	2
3	73 वॉ संविधान – विशेषताऍ	3–10
4	छत्तीसगढ़ पंचायत–राज अधिनियम	11–18
5	त्रि–स्तरीय पंचायत की संरचना	19
6	ग्राम पंचायत के कृत्य	20–23
7	ग्राम पंचायत सचिव की शक्तियॉ तथा कृत्य	24–30
8	सरपंच तथा उपसरपंच की शक्तियॉ तथा कृत्य	31
9	ग्राम–सभा	32–39
10	पंचायतों की बैठक तथा कामकाज संचालन प्रक्रिया	40–46
11	ग्राम पंचायत की स्थायी समितियॉ	47–50
12	लेखा एवं बजट	51–53
13	ग्राम पंचायत की आय के स्त्रोत एवं कर या फीस अधिरोपित करने की प्रक्रिया	54–63
14	कार्यालय एवं प्रबंधन	64–67
15	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	68–73
16	सामाजिक अंकेक्षण (पूर्व आदेश) – भाग 1	74–77
17	सामाजिक अंकेक्षण नरेगा के संबंध में – भाग 2	78–80
18	पंचायत एवं पदाधिकारियों पर नियंत्रण	81–92
19	पंचायत मानव विकास प्रगति कार्ड : 2010	93–94
20	पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के लिए प्रतिज्ञा संदर्भ – मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स	95–96
21	विकेन्द्रीकृत नियोजन	97–104
22	शासन की प्रमुख योजनाऍ	105
23	पंचायतराज अधिनियम के अंतर्गत विहित प्राधिकारी एवं धाराऍ	106–108
24	गीत	109–112

xke ipk;r d ljipk@lfpok
gr

iBu lkexh

NRrhlx< jkT; xkeh.k fodkl lLFkku

fuekjk] jk;ij & 492015

फोन नं. : (0771) 2473204, 2473210, 2473214 (फैक्स)

वेबसाइट http://www.cgsird.gov.in, Email : ps.cird@nic.in

ekxn’ku

- Mk- vkj-d- flg

liknu ,o ldyu

- Jh vut dekj iVy

lg;kx ,o Vd.k

- Jh eg’k ljkn
- lJh 'kkEHkoh nc

Vhi % अधिनियम का यह स्व–अध्ययन सामग्री कानूनी दस्तावेज नहीं है। इसका उद्देश्य अधिनियम की अनिवार्य विशेषता के बारें में आवश्यक जागरूकता सृजित करना है।